राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] नवम् विधान सभा के प्रथम सत्र का बारहवां दिवस [संख्या : 8

सोमवार,

दिनांक 26 मार्च, 1990

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 50 ।

पलाना बरसिंहसर (बीकानेर) में थर्मल पावर स्टेशन

50. श्री मनीराम (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले एवं राज्य के अन्य भागों में लिग्नाइट के पर्याप्त भण्डार हैं जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है ? यदि हां, तो कहां-कहां ऐसे भण्डार पाये गये हैं और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

(2) बीकानेर जिले के पलाना बरसिंहसर में थर्मल पावर स्टेशन लगाने की योजना की क्रियान्विति में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती सुमित्रा सिंह) : (1) योजना आयोग ने जुलाई, 1988 में देश में, कोयले एवं लिग्नाइट के बारे में जानकारी एकत्र करने हेतु एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी । इस दल ने लिग्नाइट एवं लिग्नाइट से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक उप-कार्यकारी दल का गठन किया था । उपरोक्त उप-कार्यकारी दल के जनवरी, 1989 में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्न क्षेत्रों में लिग्नाइट भण्डारों का पता लगाया गया है जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है :-

	अनुमानित खनन योग्य लिग्नाइट (मि. टन)
1. बीकानेर जिला	
अ. पलाना	13.65
ब. बरसिंहसर	62.00
स. गुढ़ा	54.45
2. बाड़मेर जिला	
अ. कपूरड़ी) ब. जालिप्पा)	183.90
कुल	314.00

इसके अतिरिक्त नागौर जिले के मेड़ता रोड, मोकाला व कसनऊ इजियार क्षेत्रों में भी लिग्नाइट के भण्डार पाये गये हैं । 2 नवम्बर, 1987 को राज्य सरकार, कोयला विभाग, (भारत सरकार) एवं मै. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के मध्य हुए एक समझौते के अनुसार बीकानेर जिले में पलाना-बरसिंहसर गुढ़ा क्षेत्र में पाये गये

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लिग्नाइट के खनन एवं इस पर आधारित 2×120 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत गृह का कार्य मैं. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र किया जाएगा।

(2) दि. 2.11.87 को हुए उपरोक्त समझौते के अनुसार मैं. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा बरसिंगसर में आरम्भ में 2×210 मेगावाट क्षमता के लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत गृह का प्रतिवेदन फरवरी, 1988 में बना कर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी और आर्थिक स्वीकृति हेतु भेजा गया था। इस परियोजना की स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पी.आई.बी.) को टेरिफ तय होने के पश्चात् निवेदन किया जाएगा। वर्तमान में परियोजना हेतु उक्त कारपोरेशन द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मनीराम : अध्यक्ष जी, मैं इस बाबत जो जानकारी चाह रहा था वह मिल गई है। बाकी कोई माननीय सदस्य पूछना चाहें तो....

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या पी.आई.बी. ने नवम्बर, दिसम्बर माह में राज्य सरकार से कोई एग्रीमेंट किया है? यदि किया है तो इस योजना को पानी कहां से दिया जाएगा? इसके साथ ही यह पश्चिमी राजस्थान की बहुत बड़ी योजना है जो वर्षों से विचाराधीन है। इसका शिलान्यास भी होने वाला था लेकिन पी आई.बी. की क्लियरेन्स में देरी होने के कारण शिलान्यास नहीं हुआ। उसके बाद मेरी जानकारी यह है कि पी. आई. बी. की क्लियरेन्स सम्भवत: हो गई है जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल इस बिजली को खरीदेगा। पानी राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से उपलब्ध कराया जाएगा। इन सबके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी क्रियान्विति आप आगामी 1–2 माह में कर सकेंगे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य, जानकारी आपको मालूम ही है। पानी कहां से आएगा यह आपको पता है और 2.11.87 को समझौता हो गया है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई एग्रीमेंट हुआ क्या, यह बता दें सदन को?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एग्रीमेंट हो गया है। नेवेली को दे दिया है। (व्यवधान) अब प्रश्न यह है, माननीय सदस्य, कि विद्युत ताप गृह की टेरिफ रु. 1.95 पैसे आ रही है इसलिए हम चाहते हैं कि यह 3-4 यूनिट यदि स्थापित हो जायं तो टेरिफ थोड़ी कम हो जाय। यह बात चल रही है इसलिए इसमें देरी हो रही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि पी.आई बी. से क्या एग्रीमेंट हुआ टेरिफ के सम्बन्ध में? साथ ही साथ आपने लिखित जवाब में कहा है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है लेकिन किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला है। वह मुआवजा कब तक दे देंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मदेरणा जी।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के साथ में एग्रीमेंट किया है या मेमोरण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग है ? दूसरा, यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने पहले जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है उसमें कास्ट प्रति-मेगावाट बताई थी, क्या कारपोरेशन ने राज्य सरकार को सूचना दी है कि वह कास्ट बढ़ी हुई है और उस पर 300 करोड़ के आस-पास ज्यादा खर्चा आएगा ? तीसरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार के सेण्ट्रल थर्मल प्रोजेक्ट्स के जनरेशन में से राजस्थान को बिजली का शेयर देने की जो पालिसी है, उसमें कोई परिवर्तन किया है तो वह क्या है और उस परिवर्तन के सन्दर्भ में कारपोरेशन से जो बिजली मिलेगी उसका राजस्थान का शेयर क्या होगा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने अपने प्रश्न के जवाब में ही कहा है कि मै. नेवेली लिग्नाइट से 2.11.87 को समझौता हो गया और उसके मुताबिक पहले 2×600 मेगावाट यूनिट लगाने की बात थी उसमें 297 करोड़ प्रस्तावित थे कि 297 करोड़ का विनियोजन किया जाएगा। लेकिन बाद में अब दो विद्युत ताप गृह लगाएंगे, उसकी कास्ट बढ़ कर 923 करोड़ हो गई है इस लिए समझौता तो 2.11.87 को ही हो गया है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है लेकिन प्रश्न यह है कि इसका टेरिफ आ रहा है रु. 1.95 पैसे, इसलिए हम चाहते हैं कि चार यूनिट लगें ताकि टेरिफ थोड़ा कम हो जाएगा और जैसा कि आपने कहा कि टेरिफ तो पी आई.बी. ही करेगी। पी.आई.बी. को पुनः लिखा है। टेरिफ तय अभी हुआ नहीं है। चार यूनिट लगेंगी तब टेरिफ कितना आता है तभी पता लगेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा प्रश्न ही दूसरा था। आपने जो समझौता किया है यह मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग में इस पावर जनरेशन का जो बरसिंगसर में लग रहा है, जो नेवेली कारपोरेशन लगाएगा, उसमें आपका शेयर क्या है ? तीसरा, कन्वेंशन आफ कोर्ट जनरेशन है उससे डिपार्चर क्या है जहां तक नेवेली कारपोरेशन से आपको बिजली सप्लाई करने का प्रश्न है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से हमारा समझौता हो गया है, जो जानकारी मेरे पास है उसके आधार पर बता रहा हूं। जो बिजली उसमें पैदा होगी वह पूरी राजस्थान को मिलेगी अब तक के समझौते के अनुसार। तीसरी बात आपने क्या पूछी थी, आप भी भूल गये होंगे....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, भारत सरकार का सेण्ट्रल जनरेटिंग पावर स्टेशन हैं। उससे जो बिजली उत्पन्न होगी, जनरेट होगी उसके क्राइटेरिया और मानदण्ड बिल्कुल बदल दिये गये हैं। उसमें जो कुछ क्राइटेरिया रहा है वह क्या है ? उसके सन्दर्भ में आपको बिजली का शेयर यह सेन्ट्रल जेनरेटिंग सेण्टर में भी होगा, और जो कारपोरेशन आटोनामस बाडी है उसमें आपका शेयर क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूरा शेयर अपना होगा। सारी बिजली हम को मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय महावीर प्रसाद जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिजली कब तक शुरू करवा देंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिजली शुरू करवाने के लिए आपने भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी से शिलान्यास की योजना बनाई थी। सौभाग्य की बात है कि उन्होंने शिलान्यास नहीं किया, नहीं तो न मालूम कितने समय में काम पूरा होता। फिर भी अभी इतना ही कहना है कि जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू होगा।

श्री परसराम मदेरणा : क्या मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे, कारपोरेशन ने रिपोर्ट दी है सैण्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी को, उसमें उन्होंने कहा है कि एक मेगावाट पर जो खर्चा आयेगा 1989-90 अगस्त की प्राइसेज के ऊपर, वह खर्चा 2.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट आयेगा। क्या इतनी महंगी बिजली लेकर के काश्तकारों को आप 32 नये पैसे पर यूनिट में दे सकेंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं समझता हूं कि पूर्व सरकार को समझौता करने से पहले इस पर विचार करना चाहिये था। उन्होंने समझौता किया है तो इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए समझौता किया होगा। इस बात को आज उठाना, 2 वर्ष के पहले समझौता हुआ है और आज यह कहना कि आपने इन बिन्दुओं के ऊपर विचार किया है या नहीं किया, आपने जो पाइंट रखे हैं कि इतनी महंगी हम दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, यही प्रश्न हैं जो पी. आई. बी. को रैफर किये हुए हैं। उनसे बैठ कर बातचीत करेंगे कि रेट्स क्या तय होंगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

टौंक जिले के उद्योग

51. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक दृष्टि से व अन्यथा पिछड़े जिले टौंक में पूंजी विनियोजन पर अनुदान सुविधा बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि कार्यशील पूंजी के अभाव में टौंक जिले में उद्योग प्राय: बन्द पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से कब-कब से और किस कारण ? संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पूंजी विनियोजन पर अनुदान चालू करने एवं बन्द पड़े उद्योगों को चालू करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है और कब तक इसकी सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (1) जी हां। भारत सरकार द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में उपलब्ध केन्द्रीय विनियोजन अनुदान सुविधा दिनांक 1.10.1988 से समाप्त की जा चुकी है।

(2) कार्यशील पूंजी का अभाव व अन्य कारणों से बन्द पड़े उद्योगों के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) केन्द्रीय विनियोजन अनुदान चालू करने का विषय केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। रुग्णता के फलस्वरूप बन्द पड़े उद्योगों के पुनर्संस्थापन/पुनर्चालन हेतु सम्बन्धित

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

इकाइयों से आवेदन प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रसारित मार्गदर्शिका के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप सहायता, ऋण व ब्याज आदि की किश्तों का पुनर्निर्धारण, नये कुशल प्रबन्ध की स्वीकृति/प्रबन्ध में परिवर्तन आदि के प्रयास किये जाते हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट '1' देखें)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, यह जो 1.10.1988 से अनुदान बन्द किया गया है इससे पूर्व अनुदान के कारण जिन उद्यमियों ने अपने उद्योग लगा लिये या कार्य प्रारम्भ कर दिया, किसी का 50 पर्सेण्ट इन्वेस्टमेंट हो चुका है. किसी का 75 पर्सेण्ट हो चुका है, किसी का चालू है क्योंकि पूरा नहीं होता है 1.10.1988 से पहले, उन उद्योगों को आप अनुदान देंगे या नहीं देंगे ? अभी तक तो आपने दिया नहीं। उन उद्योगों का क्या होगा क्योंकि पिछली सरकार के आश्वासन के कारण उन्होंने उद्योग लगाने प्रारम्भ कर दिये ? यदि उनको अनुदान नहीं दिया गया तो उनके साथ बड़ा भारी विश्वासघात होगा। दूसरी बात, यह है कि बन्द की जो लिस्ट दी है वह जल्दीबाजी में विभाग ने 35–36 इकाइयों की लिस्ट दी है। यह अधूरी लिस्ट है। जिले में आधे से ज्यादा उद्योग बन्द पड़े हैं। जो एक ही छत के नीचे सारी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और एक जो वहां पर जिला सलाहकार समिति की मीटिंग होनी चाहिये हर महीने में, वह नहीं होती डिपार्टमेंट और वित्तीय संस्थाओं में आपस में सामंजस्य नहीं होने के कारण। क्योंकि सारे अधिकारियों का एक ही दृष्टिकोण है कि किसी न किसी रूप में इन उद्यमियों से खींचा जाय। इस दृष्टिकोण के कारण उनका जो संरक्षण होना चाहिये, उस संरक्षण के बजाय वे भक्षक बने हुए हैं। किसी ने यह कोशिश नहीं की कि ये इकाइयां बन्द क्यों हैं। उनका सर्वे करवाने की कोशिश नहीं की, न कोई मीटिंग का आयोजन किया गया। सारी पैसा कलेक्शन करने की एजेन्सियां बनी हुई हैं। उसके बारे में क्या कर रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, यह सच है कि अनुदान बन्द हो जाने के कारण कई कठिनाइयां उत्पन्न हो गयीं। लेकिन अभी-अभी केन्द्र में स्वयं वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर अनुदान देने की घोषणा की है तथा इस हेतु 39 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखना बताया है। पर अभी तक भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय से इस सम्बन्ध में विवरण प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो वर्तमान स्थिति में राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में कुछ कहना बड़ा कठिन है। अपनी आठवीं पंचवर्षीय योजना के काल में, उद्योगों को राज्य अनुदान देने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस प्रकार की घोषणा का उल्लेख स्वयं राज्यपाल महोदय ने चालू विधान सभा सत्र के प्रारम्भ में अपने अभिभाषण में किया है। इस हेतु योजना आयोग के वर्किंग ग्रुप द्वारा धनराशि प्रस्तावित की गई है। उसकी स्वीकृति आने के बाद डिटेल्ड रूप से कहा जा सकेगा कि यह

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

अनुदान जो अभी तक चालू था वह किस-किस रूप में, किस-किस प्रकार से पुनः इकाइयों को दिया जा सकेगा।

जहां तक आपने एडवाइजरी कमेटी के बारे में कहा हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान में रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में या बन्द इकाइयों के सम्बन्ध में अर्थात् जो नयी इकाइयां प्रारम्भ करना चाहते हैं उनके सम्बन्ध में जिला स्तरीय सलाहकार समितियां बनी हुई हैं जिनकी अध्यक्षता स्वयं जिलाधीश करते हैं और विभिन्न विभाग जो इससे जुड़े हुए हैं के भी सदस्य हैं। उनकी हर तीन महीने में एक बार मीटिंग होती है। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर एक समिति बनी हुई है जिसकी अध्यक्षता स्वयं उद्योग सचिव करते हैं उसकी बैठक हर महीने होती है। यह सच है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि प्रावधान सारा है, व्यवस्थाएं सारी हैं लेकिन स्थिति यह है कि इन बैठकों को जिस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिये, जिस गम्भीरता से दर्द को अहसास करके पुनः इकाइयों को चालू करने की कोशिश की जानी चाहिये वह कोशिश नहीं होती है। इसलिए कल विभाग के अन्दर हमने निर्णय लिया है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति गठित है, जिसमें बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा औद्योगिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व होता है। इस समिति की बैठक समय-समय पर आयोजित की जाती है और उसमें उद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं पर एवं आधारभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा होती है और समस्याओं के निराकरण के प्रयास किये जाते हैं। यह प्रस्तावित है कि इस जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की एक उप समिति केवल रुग्ण इकाइयों की समस्या के समाधान हेतु जिलों में गठित कर दी जाय। इस उप समिति में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे और यह रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार करेगी। यह उप समिति समय-समय पर अपने कार्यक्रमों का विवरण एवं प्रोग्रेस जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति के समक्ष रखेगी। रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में जो समस्याएं प्रस्तावित हैं उनको यदि उप समिति द्वारा नहीं निपटाया जा सकेगा तो उनका निपटारा जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति द्वारा किया जायेगा। सम्भागीय आयुक्तों को भी यह निर्देश दिया जाना प्रस्तावित है कि वे अपने सम्भाग की जिला कलक्टरों की मीटिंग में रुग्ण इकाइयों की समस्या का समाधान करें ताकि जो समस्याएं जिला स्तर पर नहीं निपटायी जा सके उन्हें विभागीय स्तर पर निपटाया जा सके तथा व्यवस्थाएं जो अभी तक हैं उनको इफेक्टिव बनाकर जो रुग्ण इकाइयां हैं या बन्द इकाइयां हैं उनको वापस चालू किया जा सके ये व्यवस्थाएं हमने जिला स्तर पर की हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी व्यवस्था की है कि राज्य सरकार के स्तर पर निदेशक उद्योग के यहां रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में, एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी जो अभी तक केवल सेक्रेटरी लेवल पर थी यह प्रकोष्ठ रुग्ण इकाइयों के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करेगा। राज्य सरकार एवं राज्य स्तरीय समिति को सूचनाएं एकत्रित करेगा और राज्य स्तरीय समि-

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

तियां अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रति तिमाही देंगी। राज्य स्तरीय समितियां जिसमें सभी विभागों के प्रतिनिधि होते हैं, रुग्ण इकाइयों की उन समस्याओं को निपटाने का प्रयास करेंगी जो नीचे के स्तर पर नहीं निपटायी जा सकेंगी। इस प्रकार, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, कि मीटिंग होती है लेकिन मीटिंग की कोई सूचना नहीं होती है, कोई वहां पर कार्यवाही नहीं होती है। इसका मोनिटरिंग किया जा सके और रुग्ण इकाइयों के लिए इफेक्टिव कोई कार्यवाही की जा सके, इसके लिए हमने नई व्यवस्था की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह निर्देश पूर्व में भी दिया गया था। सलाहकार समितियां बनी हुई हैं प्रान्त में। इसको प्रभावी बनाने के लिए क्या कोई मोनिटरिंग की व्यवस्था की है या किसी को जिम्मेदार बनाया है कि फलां अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होगा? आपने कहा कि मीटिंग होती है। मैं कहता हूं कि एक मीटिंग नहीं हुई है। जहां सलाहकार समिति की बैठक तीन महीने में जिले में होनी चाहिये, प्रदेश में एक महीने में होनी चाहिए, नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : यह स्वीकार किया हैं उन्होंने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नियमित क्या, कोई नहीं हुई है, होती नहीं है। कोई चिन्ता करने वाला नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिये हालत यह है कि कोई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिये....

श्री अध्यक्ष : सवाल करें आप। यह हालत तो उन्होंने मान ली जो आपने कही। उन्होंने कहा है कि जैसी होनी चाहिये, वैसी नहीं हुई। अब आप बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उन्होंने कहां माना? उन्होंने कहा कि यह होती हैं। जबकि बिल्कुल नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि क्या मंत्री महोदय इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि चाहे वे रजिस्ट्रेशन कराने के लिये आते हैं, लोन के लिये आते हैं चाहे वह बिजली के कनेक्शन के लिये आते हैं, पानी के कनेक्शन के लिये आते हैं, चाहे वह भूमि लेने के लिये आते हैं; किसी भी काम के लिये आयें, उसकी समय पर और तुरन्त व्यवस्था हो? यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ निर्णय हो। इन सब को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिये क्या किसी अधिकारी को जिम्मेदारी आप देंगे? और वह जिम्मेदार अधिकारी सुपरविजन नहीं करेगा तो उसको दण्डित करने का कोई प्रावधान आप करेंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सेंट्रल सब्सिडी तो बन्द हो गयी लेकिन उसके अलावा राज्य की सब्सिडी भी दी जाती रही है 10–15 या जो प्रतिशत आपने तय किया था, क्या वह भी बन्द हो गया? सेंट्रल सब्सिडी बन्द कर दी, उसके बाद में राज्य सब्सिडी हमने चालू रखी या नहीं रखी?

दूसरा, जैसा कि पहले प्रश्न में पूछा गया है, मैं पुनः पूछना चाहता हूं कि

(श्री टीकमचन्द कान्त)

प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिस समय उद्योग वालों ने बनायी थी, उस के अन्दर सब्सिडी भी उन्होंने लिखी हुई थी कि इतना जो पैसा है, वह हमको सब्सिडी में मिल जायेगा ? वही उद्योग पूर्ण कहे गये तो पूर्ण भी हो गये, लेकिन उसके बाद में हम उन्हें सब्सिडी नहीं दिलवा सके तो उसके लिये अब हम क्या करने जा रहे हैं ?

तीसरी चीज, आबू रोड़ का जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है....

श्री अध्यक्ष : यह बात आबू रोड़ से संबंधित नहीं है, बैठिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं बात कर रहा हूं साहब। उसके पास में ही गुजरात ने अभी ज्यादा सब्सिडी देने की बात कही है, आबू रोड़ से सिर्फ आठ किलोमीटर बाद गुजरात प्रारम्भ हो रहा है, वहां वह दे रहे हैं, उद्योग भाग रहे हैं वहां। क्या इस प्रकार की जानकारी उद्योग मंत्री जी को है ? यदि है तो इसको रोकने के लिये किस प्रकार से प्रयास करेंगे ? चौथी चीज, एक औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर दो नीति। एक जगह हम जब पाच वर्ष तक सैल्स टैक्स या ऑक्ट्रॉय वगैरह बन्द करते हैं, लेकिन आबू रोड़ की स्थिति ऐसी है कि एक औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर एक जगह ऑक्ट्राय लगती है और एक जगह नहीं लगती।

श्री अध्यक्ष : इसका आबू रोड़ से कोई संबंध नहीं है, आप बैठिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : अच्छा, आबू रोड़ से संबंधित नहीं है, तीसरी बात का जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : हो गयें आपके तीन सवाल। माननीय श्री रमाकांत जी। (व्यवधान) आप प्रश्न को डाइवर्ट क्यों करते हैं ? टोंक से सम्बन्धित है सवाल।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, जब भी किसी उद्योग को लोन स्वीकृत होता है, तो उसके साथ ही उस पर कितना अनुदान मिलेगा, यह उसमें समाविष्ट होता है और जिस प्रकार से ऋण की स्वीकृति जारी होती है, उसी प्रकार से अनुदान के लिये, एक एग्रीमेंट होता है उद्योगपति और वित्तीय संस्था के बीच में। (व्यवधान) एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब भारत सरकार ने वह अनुदान देना बन्द कर दिया था चालू रखा यह राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच की बात है लेकिन एग्रीमेंट हैं वह वित्तीय संस्था और उद्योगपति के बीच की बात है। या तो भारत सरकार से प्राप्त करें या राजस्थान सरकार से, परन्तु एक रास्ता तो यह है कि उद्योगपति अदालत में जायें और दूसरा रास्ता यह है कि आप ही उसका फैसला करें। तो क्या उद्योग मंत्री यह विचार करेंगे कि जिन-जिन उद्योगों ने इस प्रकार के एग्रीमेंट साइन कर लिये थे और कार्य प्रारम्भ कर दिये थे, उनको उचित अनुदान मिलेगा ? अन्यथा, उनका सारा वित्तीय ढांचा चरमरा जायेगा और उद्योग रोगी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मदनलाल जी सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योग घाटे में चल रहे हैं, बन्द भी हुए हैं, रुग्ण भी हैं, उद्योग

(श्री मदनलाल सैनी)

ठीक-ठीक चलें, इसके लिये पैसा, मार्केट, कुशल प्रबंध की तो आवश्यकता है ही, लेकिन जो समिति बनाई जा रही है, यदि रूग्ण उद्योग को ठीक चलाने के बारे में, बंद उद्योगों को ठीक चलाने के बारे में मजदूरों के प्रतिनिधि उसमें रहेंगे जिला समितियों में तो ठीक प्रकार से विचार किया जा सकेगा और कर्मचारी भी अपनी भूमिका उसमें ठीक रख सकेंगे। क्या उद्योग मंत्री जी जो जिला समितियां बना रहे हैं, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर, इसमें कर्मचारियों के, मजदूरों के प्रतिनिधि जो उद्योग से संबंधित हैं, प्रदेश से संबधित हैं, उनको लेने का विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि क्या केन्द्र सरकार के द्वारा अनुदान बंद किये जाने के बाद राज्य सरकार जो अपना अनुदान दे रही थी, वह भी बंद हो गया। वस्तुस्थिति इसी प्रकार है क्योंकि राज्य अनुदान योजना, केन्द्र अनुदान योजना की ही पूरक थी। अत: 30.9.88 के पश्चात् वह अब नहीं बढ़ायी गयी है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि एक योजना विचाराधीन है, जिसके केन्द्र ने भी संकेत दिये हैं और राज्य सरकार ने भी अपनी आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये इनकी मांग की है। हमारी आशा है कि यह शायद फिर चालू हो जाये। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि एग्रीमेंट में ऐसी व्यवस्था थी और अब सब्सिडी बन्द होने पर उद्योगों में दिक्कतें पैदा हो गयी हैं, तो सब्सिडी की बजाय उनको लोन दिया जाये। ऐसी व्यवस्था की जा रही है। जहां तक मजदूरों को भी सलाहकार समितियों में बुलाया जाये, मैं समझता हूं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बैठ करके विचार कर लिया जायेगा, कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : महावीर जी वाला सवाल, किसको जिम्मेदारी मोनीटरिंग करने के लिये आप देंगे ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बिल्कुल ? अधिकारी को जिम्मेदार बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल ठीक है। चलिये, हरिकुमार जी। (व्यवधान) आपका मतलब साफ हो गया हरिकुमार जी।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्षजी, अभी प्रश्नकर्ता ने एक बात इस विषय में कही है कि जिला सलाहकार समिति की मीटिंग नहीं होती, मंत्री जी ने माना है। अगर यही स्थिति चली तो बैठकें होंगी भी नहीं क्योंकि जिला सलाहकार समितियों में जो निर्णय लिये जाते हैं, उनकी क्रियान्विति के बारे में जब तक सरकार द्वारा कोई न कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा, तब तक सलाह देने मात्र से तो काम चलता नहीं है। वे समितियां जो निर्णय लेती हैं, उन निर्णयों के बारे में सरकार की तरफ से संबंधित विभागों को एक टाइम पीरियड में उसकी क्रियान्विति के बारे में कहा जाना चाहिये। अगर उनके निर्णय पर कार्यवाही नहीं होगी तो सलाहकार समिति का कोई लाभ नहीं रहता है। विशेष तौर से सलाह के साथ-साथ उनकी मोनीटरिंग के बारे में भी

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

सरकार विचार करे कि किस प्रकार से उनमें जो निर्णय लिये जाते हैं उनकी क्रियान्विति हो। सबसे बड़ी बात यह है। ऐसा नहीं है कि मीटिंगें बुलाई ही नहीं जाती हैं, मीटिंग बुलाते भी हैं परन्तु मीटिंग में माननीय सदस्य भी नहीं जाते और अधिकारी भी इतनी रुचि नहीं लेते। वे जानते हैं कि हम जाकर वहां बहस करेंगे, बात करेंगे, अगली बार उसकी मिनिट्स हमारे पास आ जायेगी और फिर वही रिवीजन होगा। उनके निर्णयों के ऊपर सरकार द्वारा प्रामाणिकता के साथ क्रियान्विति हो, जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे वहां उसका कोई मतलब नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, ये सारे प्रश्न इच्छा शक्ति से जुड़े हुए हैं, अगर काम करने की इच्छा है। हम इस प्रकार की सारी व्यवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केवल कागजी कार्यवाहियां नहीं होंगी, हम देखेंगे हर प्रकार से देखेंगे कि जो कुछ तय किये जाते हैं, उनकी क्रियान्विति हो। नये उद्योग जो बंद पड़े हैं, वे चालू हों, उसके लिये हर प्रकार से व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में पब्लिक और प्राइवेट....

श्री अध्यक्ष : माननीय पहाड़ियाजी, कौन से सवाल पर पूछ रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसी सवाल पर, जो चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैंने नेक्स्ट नाम पुकार लिया है। रामस्वरूपजी का नाम। आप अभी बैठ जाइये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : यह अच्छा नहीं लगता है कि महामहिम राज्यपालजी सवाल करें।

श्री अध्यक्ष : चलिये साहब, आप लोगों की इच्छा है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (कठूमर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर-दोनों में राजस्थान में कितने उद्योग बंद पड़े हैं और उन्हें पुनः चालू करने की क्या योजना है ?

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लें।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या सरकार के ध्यान में यह है कि जब सब्सिडी बंद की गयी थी, उस समय ग्रोथ सेंटर केन्द्रीय सरकार ने शुरू करने की बात की थी और अब वापस केन्द्र सरकार ने सब्सिडी को प्रारम्भ करने की कही है। और आपने भी इस बात की आशा प्रकट की है.... तो क्या ग्रोथ सेण्टर भी साथ-साथ रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं एक प्रश्न करना चाह रही थी, माननीय पहाड़ियाजी से जो पूछा, मैं इनके उत्तर में आपसे पूछना चाहती हूं कि इनको बंद किये जाने की योजना कैसे बनी, क्या बनी, वह भी बता दें। माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि रूटीन वे में यह सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थीं इसलिए ये उद्योग बंद हुए हैं। आप इसमें परिवर्तन ला रहे हैं, या नहीं ला रहे हैं तो आप समुचित परिवर्तन लायें, यह मेरा आपसे निवेदन है और उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी मुख्य मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के सर्वे के अनुसार बाहर हजार एस. एस. आई. यूनिट सिक हैं लार्ज और मीडियम का नम्बर 57 है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि रूग्ण इकाइयों की तीन प्रकार की स्थिति है। एक प्रकार की इकाइयां तो वे हैं जिनको सस्ती दर पर ऋण मिलता है और सुविधा के नाम पर अनुदान मिलता है, उससे प्रभावित होकर लोग इस प्रकार के उद्योग लगाते हैं लेकिन बाद में वह उद्योग चलता नहीं। ऋण का उपयोग करना और सुविधा का उपयोग करना ही उनका केवल मात्र लक्ष्य होता है। दूसरे उद्योग वे हैं जिनमें कई प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और तीसरे उद्योग इस तरह के होते हैं कि उनके उत्पादन का कोई बाजार नहीं मिलता और बाजार मिलता भी है तो उनके उत्पाद की लागत पेइंग नहीं होती है और उनको उसके कारण से लाभ नहीं मिलता है। ये तीन प्रकार की रूग्ण उद्योगों की श्रेणियां हैं। आपको याद होगा कि पूर्व प्रधान मंत्रीजी ने एक बार कहा था कि रूग्ण इकाइयों के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार एक हॉस्पीटल की-सी सुविधा नहीं दे सकती। हमको इस वर्गीकरण के आधार पर सबको देखना पड़ेगा। देखने के बाद कौन-कौन से उद्योग रिवाइव हो सकते हैं, सरकार के सहयोग से हल हो सकते हैं या उनके सामने प्रशासनिक कठिनाइयां आई हैं उनके निराकरण करने से हो सकते हैं या उनको जो मार्केट की असुविधा पैदा हुई है, उस मार्केट की असुविधा को किस प्रकार से दूर किया जाय इस आधार पर हो सकते हैं, इन तीनों प्रश्नों पर हम कोई इमीजियेटली निर्णय ले लें, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। पूरा इसका सर्वे कराना पड़ेगा कि उद्योग के बंद होने के या रूग्ण होने के कारण क्या हैं। प्रशासनिक कारण होंगे तो जहां तक संभव है उनको रिमूव करने की कोशिश की जायेगी, अगर वित्तीय सहायता या अनुदान से कोई इकाई खड़ी हो सकती है तो बैंक से इस सम्बन्ध में बात की जायेगी। जो भी अनुदान देने की भारत सरकार ने घोषणा की है, राज्य सरकार ने भी विचार किया है, उसके अनुरूप क्या सहायता दी जा सकती है इसके ऊपर विचार किया जायेगा और जिन्होंने केवल कर्जा और अनुदान का लाभ उठाया है और इसी कारण से उद्योग लगाया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, यह हमारा निर्णय है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा, नेक्स्ट।

सवाई माधोपुर जिले के थानों में बलात्कार एवं डकैती

52. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सवाई माधोपुर जिले में वर्ष 1985 से 1989-90 की अवधि में पुलिस थानों में बलात्कार एवं डकैती के कितने-कितने मामले वर्षवार दर्ज हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने मामलों में दोषियों को सजा हुई व कितने मामले अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे कितने मामलों में पुलिस अधिकारियों द्वारा एफ. आर. लगा दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (गृह मंत्री के स्थान पर) (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (1) वांछित प्रकरणों की वर्षवार सूची "अ" व "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 2 देखें)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जिला सवाई माधोपुर में होने वाले बलात्कार एवं डकैती के केसों के बारे में था। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी जिले के थाना टोडाभीम और नादौती में विगत दिनों डकैती हुई, एक महंत मारा गया। इसी प्रकार पदमपुरा गांव में एक महंत को मारा गया डकैतों के द्वारा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार की वारदातें होती रहती हैं और डकैत खुले ग्राम, दिन के अन्दर घूमते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। जनता में आतंक फैला रखा है। विशेष तौर से जिला सवाई माधोपुर के करौली क्षेत्र में इस प्रकार की वारदातें होती रहती हैं। क्या सरकार इसके बारे में कोई विशेष कदम उठा रही है ? उठा रही है तो क्या उठा रही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या माननीय सदस्य उन डकैतों का नाम बता देंगे जो खुले घूम रहे हैं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं बता दूं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : डकैतों के नाम पुलिस विभाग में हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने अभी इंडीकेट....

श्री अध्यक्ष : आपसे नहीं पूछा है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की प्रोपर्टी है। जो सदन की परम्परा रही है उसकी तो रक्षा करें। जब भी कोई प्रश्न सदन में आता है तो वह सदन की प्रोपर्टी हो जाता है....

श्री अध्यक्ष : अभी जो प्रश्न माननीय प्रश्नकर्ता ने पूछा है उसका जवाब नहीं आया है। आपकी टर्न आयेगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, पुलिस थाने में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई, वहां से नाम मालूम किये जायं....

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया, जवाब आने दीजिए पहले। यह भी तो परम्परा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाई माधोपुर के कुछ स्थानों के बारे में इशारा किया कि वहां डकैती पड़ती है, लोग पकड़े नहीं जाते, कार्यवाही नहीं की जाती। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई स्पेसिफिक किसी भी मामले के अन्दर वह जानकारी देंगे तो उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उस अपराधी को, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, बख्शा नहीं जायेगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को बताना चाहता हूं, खास तौर से अभी सदन के नेता महोदय ने इंगित किया, करौली शहर के अन्दर भगवान सिंह, राम सिंह डकैत कुछ राजनीतिक लोगों के घरों पर टी.वी. देखते हुए, शराब पीते हुए, खाना खाते हुए, बाजार के अन्दर खुले रूप से कई बार घूम रहे हैं। मैंने इस सम्बन्ध में कई बार समय समय पर सूचना थानों को दी है लेकिन पुलिस की अकर्मण्यता के कारण उनको सूचना पहले ही दे दी जाती है उन थानों से सम्बन्धित कांस्टेबलों के माध्यम से, और किसी के माध्यम से और समय पर जब पुलिस पहुंचती है उसके पहले पिछले दरवाजे से गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार करौली क्षेत्र में रोज नये डकैत पैदा हो रहे हैं। कल ही एक बिहारी डकैत, जो पहले सरेण्डर हुआ है जिसको कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से शरण दी गई थी, अब उसका भाई कल ही वहां डकैत पैदा हुआ और गिरोह के अन्दर शामिल हुआ है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम यह नहीं कहते कि सरकार की नीयत उनको बचाने की है लेकिन कम से कम थोड़ी-सी अगर सख्ती बरती जाय तो मैं सोचता हूं कि खुले रूप से जो डकैत घूम रहे हैं उनको रोकने की कार्यवाही हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्याजी।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं पूछना चाहती हूं, विशेष तौर से बलात्कारों के केसों के बारे में, कि प्रश्नों के उत्तर देने का यह कौन-सा स्टाइल सरकार ने पकड़ा है? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न है, कितने-कितने मामले वर्षवार दर्ज हुए? दूसरा इसी के साथ है–कितने मामलों में दोषियों को सजा हुई, कितने मामले अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं। प्रश्न का तीसरा पार्ट है–कितने मामलों में पुलिस अधिकारियों के द्वारा एफ.आर. लगा दी गई? इनमें तीनों में संख्या मांगी है, नाम नहीं मांगा, लिस्ट बड़ी नहीं है, यह संख्या क्यों नहीं दी गई?

श्री अध्यक्ष : संख्या दी हुई है।

श्रीमती विद्या पाठक : संख्या नहीं दी गई है, सूची संलग्न है, सिर्फ यही कहा है।

श्री अध्यक्ष : सूची में है संख्या।

श्रीमती विद्या पाठक : सूची के साथ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मगर अब प्रश्न सदन की सम्पत्ति हो गया इसलिए संख्या का दिया जाना बहुत जरूरी है, एक तो मैं यह कहना चाहती हूं। दूसरे मैं कहना चाहती हूं, क्या यह सही है कि 85 के अनुपात में 89 में बलात्कार बहुत हुए और संख्या निरन्तर बढ़ोतरी पर है? और उनमें भी अधिकतर संख्या शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब की महिलाओं की है? तीसरा यह है कि विभागीय कार्यवाही हर केस में अलग-अलग की गई या सिर्फ जांच करके अदालत तक पहुंचाया गया? यानि किसी को सस्पैण्ड किया या किसी को हटा कर इन्वेस्टीगेशन किया गया? यह भी किया या नहीं?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह जी।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने संख्या बताई, नहीं बताई, यह प्रश्न सिर्फ सवाई माधोपुर-करौली का है। मैं मंत्रीजी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बलात्कार का मामला कहीं भी रजिस्टर हुआ है किसी भी थाने में और यह भी मान लीजिए कि पुलिसकर्मी उसमें अभियुक्त है तो उसके लिए स्पेशल रिपोर्टिंग केसेज आपने डिफाइन किया हुआ है, एस.आर. केसेज की तरह उसमें तफ्तीश क्यों नहीं होती? क्यों इनमें इतना विलम्ब होता है जो सामान्यत: दूसरे मुकदमों में होता है? दूसरा मेरा प्रश्न यह है, जो करौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उनकी पीड़ा और हमारी पीड़ा करीब-करीब एक है। अपराधी चाहे किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़ने की कोशिश करे, चाहे वह कांग्रेस से जुड़े, चाहे वह जनता दल या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, वह अपना मकसद पूरा करता है। इसके लिए कड़ाई से क्यों नहीं कानून की पालना कराई जाती और जहां कहीं भी वह है, उसको समय के अन्दर क्यों नहीं पकड़ा जाता? राजनीति के जो दल हैं उनकी सदस्यता होती है, उसमें उनकी कैसे सदस्यता हो जाती है जिनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज है, डकैती का दर्ज है?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी तौर पर पिछली सरकार की ओर से यह उत्तर दिया जाता रहा कि पुलिस कर्मियों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि जो बलात्कार का अपराध है या ऐसे सामाजिक अपराध हैं उनकी हर कोई निंदा करेगा। उन लोगों को जो ऐसे पदों पर रहते हैं उन को हटाने की अपेक्षा है और दंडित किये जाने की व्यवस्था सामान्य कानून के अन्तर्गत है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि पिछले केसेज में या आगे भविष्य में उनका प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों का साहस बढ़ेगा और यह उचित नहीं रहेगा। मेरा यह निवेदन है कि जब तक उनको दंडित नहीं किया जायेगा उनका साहस बढ़ता रहेगा और अपराध बढ़ते रहेंगे। आप इस प्रक्रिया को अपनायें, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, करौली क्षेत्र में एक नया गैंग पैदा होने

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

के बारे में माननीय सदस्य ने अभी ध्यान आकर्षित किया है। मैं उनको केवल इतना ही आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितने ही बड़े व्यक्ति के संरक्षण में हो उसको किसी रूप में क्षमा नहीं किया जायेगा। उसको कानून के दायरे में लाया जायेगा, दंडित किया जायेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसी प्रकार करौली क्षेत्र के अन्दर आपको ध्यान होगा, डकैती समस्या का नियंत्रण करने हेतु एक अपर पुलिस अधीक्षक का पद पूर्व में स्थापित किया हुआ है तथा इसके साथ पुलिस उप अधीक्षक करौली भी इस कार्य में सक्रिय है। डकैती से प्रभावित थानों पर आर. ए. सी. व पुलिस की 19 चैक पोस्टें स्थापित की हुई हैं। उन चैक पोस्टों को वायरलेस सैट से सुसज्जित किया गया है तथा पुलिस-कर्मियों को पर्याप्त मात्रा में हथियार उपलब्ध कराये गये हैं। यह आर.ए.सी. की तैनाती स्थाई न होकर समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तित की जाती है। चैक पोस्टों के माध्यम से डाकुओं के सम्भावित संरक्षण पाने वाले स्थानों व आवागमन के रास्तों पर समय-समय पर गश्त की जाती है। राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11 पर, जो महुआ होकर गुजरता है 24 घण्टे पुलिस द्वारा गश्त की जाती है। पुलिस द्वारा डकैत आश्रयदाता के विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही की जा रही है। राम सवरूप डकैत गैंग के आश्रयदाताओं के विरुद्ध 15 अभियोग पंजीबद्ध किये जाकर 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। यह सारे इस प्रकार के कदम हैं। इसके बाद भी, जैसा आपने कहा, निश्चित मानकर चलिए कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा संरक्षण हो, उन्हें क्षमा नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, सांगानेर से से आने वाली माननीय सदस्या ने संख्या के बारे में जानकारी चाही। वैसे तो सदन के पटल पर यह सारी जानकारी रख दी गयी है और वह सदन का भाग है फिर भी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय मंत्री जी, सामान्यत: परम्परा रही है कि प्रश्नकर्ता को परिशिष्ट भिजवाये जाते हैं मगर आप चाहें तो एक्सट्रा कापी बनाकर लाबी में रखवा सकते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कापी माननीय सदस्या को दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्नकर्त्ता ने भी यही कहा है कि आप इसकी संख्या का विवरण सदन की मेज पर रख दें। इसलिए मंत्री महोदय बाध्य नहीं थे कि इस तरह की संख्या देते।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति दे दें तो मैं माननीय सदस्या को जानकारी दे दूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। वैसे एक कापी यहां आती है कोई सदस्य चाहे तो देख सकता है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : राजस्थान के अन्दर बलात्कार के 1987 में 583 केसेज 1988 में 616 और 1989 में 708। इसी प्रकार 1987 में अनुसूचित जाति जन

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

जाति के 145 केसेज, 1988 में 104 केसेज, 1989 में 121 । पुलिसकर्मी अगर किसी अपराध में विशेषकर बलात्कार में लिप्त पाये जाते हैं तो उनको कोई विशेष अनुसंधान की कार्यवाही नहीं की जाती है। साधारण अपराधी होते हैं उनके विरुद्ध जो कार्यवाही की जाती है उनके विरुद्ध भी वही कार्यवाही की जाती है । विशेषकर पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मैं समझता हूं कि कानून उनके विरुद्ध कठोर कदम उठायेगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं ।

श्री सम्पत सिंह : प्रश्न उनके लिये विशेष दर्जे का नहीं है । स्पेशल रिपोर्टिंग के केसेज जो सेन्सेटिव केस सरकार ने माने हैं उनके लिये इसमें जल्दी तफ्तीश होती है। उसमें कितनी जल्दी कर पायेंगे ? जो स्पेशल रिपोर्टिंग केसेज के अन्तर्गत आपने डिफाइन किया है उसके लिये निवेदन था ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय हरिजनों के साथ और उनकी महिलाओं के साथ भयंकर बलात्कार हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मिलीभगत से दोषी व्यक्ति बच जाते हैं और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं होने से उनको प्रोत्साहन मिलता है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अब दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, सरकार क्या यह आश्वासन देना चाहती है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून अधिक सक्रिय होकर के अधिक कठोर कार्यवाही करेगा ।

श्री अध्यक्ष : वह बार-बार सुनना चाहते हैं ।

श्री जोगेश्वर गर्ग ।

जालौर जिले में सिंचाई व्यवस्था

53. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत राज्य सरकार ने सेई बांध का पानी जवाई बांध में डाले जाने की कोई योजना स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना पूर्ण हो चुकी है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(2) क्या सरकार माही बांध का पानी सेई बांध में डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने जालौर जिले की पेयजल एवं सिंचाई की समस्या के निवारण हेतु उक्त बांधों के पानी का उपयोग करने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसी योजना बनाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्री (श्री विजयसिंह झाला) :

(1) जी हां । योजना पूर्ण हो चुकी है ।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन

(श्री विजयसिंह झाला)

नहीं है क्योंकि माही बांध का जल स्तर सेई बांध के जल स्तर से नीचे है।

(3) सेई बांध से कोई जल उपयोग जालौर क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है, लेकिन माही जल का उपयोग इस क्षेत्र में प्रस्तावित है। साथ ही माही, अनास एवं साबरमती नदियों के पानी के जालौर व बाड़मेर जिलों में उपयोग की सम्भावना पर एक योजना बनाना विचाराधीन है जिसका मुख्य विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, सेई बांध के पानी को जवाई बांध से मिलाने की कोई योजना थी और वह, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, पूर्ण हो चुकी है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस योजना के पीछे जो उद्देश्य निर्धारित किये गये थे क्या उन उद्देश्यों की पूरी-पूरी प्राप्ति हम कर रहे हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे यहां अन्य बांधों की जो सूची दी है जिनसे जालौर को पानी उपलब्ध कराया जायेगा, ये योजनाएं कब प्रारम्भ होंगी ? बांध कब तक पूर्ण हो जायेंगे ? इस बारे में मंत्री महोदय जानकारी दे सकें तो अच्छा रहेगा। तीसरा, यह योजना कब तक पूरी होगी ? मैं समझता हूं कि काफी लम्बा समय लगेगा, तब तक के लिये पेयजल और सिंचाई के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात विचाराधीन है क्या ? है तो उसकी जानकारी दें। चौथा है - नर्बदा नदी से सांचोर तहसील को पानी देने की योजना चल रही है, स्टाफ भी लग गया है वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपने सेई बांध की योजना पूर्ण हो चुकी है ऐसा कहकर इतिश्री कर ली, लेकिन जो मंशा थी इस बांध को बनाने की वह मंशा अकाल के कारण पूरी नहीं हुई। जवाई बांध का पानी सेई बांध को पूरा नहीं मिलने के कारण आज भी पानी की कमी है। काला खोर बांध है अगर उसका पानी फीडर के द्वारा सेई बांध में डाल दिया जाय तो 256 एम.सी.एफ.टी. की बढ़ोतरी हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह योजना आपके विचाराधीन है ? दूसरा यह है कि जवाई बांध के साथ नयी-नयी योजनाएं पेयजल और सिंचाई के लिये क्रियान्विति की जा रही हैं जबकि उसमें पहले से ही पानी की कमी है और इस प्रकार योजनाओं में पैसा फालतू ही बर्बाद किया जा रहा है। इस समय की सरकार कहती है कि....

श्री अध्यक्ष : आप चाहते हैं कि योजनाएं नहीं बनें। सवाल पूछिये। आप तो योजनाएं बंद करना चाहते हैं।

श्री गुलाब सिंह : जो जल स्रोत हैं वे स्थानीय तौर पर ढूंढें। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सोजत को पानी के लिये 35 किलोमीटर दूर जवाई नहर से पानी की लाइन भेजी जा रही है जबकि वहां कण्डालिया बांध बना हुआ है। अगर उस बांध को ऊंचा कर वहां पर पानी बढ़ाया जाय तो समस्या हल हो सकती है।

इसी तरह दूसरी जो योजनाएं हैं उनमें

(श्री गुलाब सिंह)

पानी बढ़ाया जाय। मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जवांई बांध के पानी को बढ़ाने के लिये आपके पास कोई योजना है क्या ? आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, अधिकतर प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। जालोर जिले में पानी को पहुंचाने का जो इस माही बांध से नदियों से सम्बन्ध है उसका विवरण मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। कुल 27 बांध बनाये जायेंगे, जिन पर 42.15 टी. एम. सी. पानी की क्षमता का अन्दाजा है तथा माही बांध का 27 टी.एम. सी. पानी इसके उपयोग में लिया जायेगा। इस प्रकार 36 टी एम.सी. पानी जालोर और बाड़मेर जिले में पहुंचाने की योजना है। इस पर 35 सौ करोड़ का खर्चा होगा क्योंकि 259 कि.मी. टनल बनाने की योजना है जो कि अरावली पर्वत में होकर पानी को ले जाये। अतः जब कभी इसके लिए धन का प्रावधान होगा तब इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मी चन्द जी।

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचोर) : जवाई बांध जिस वक्त बनाया गया था उस वक्त इंजीनियर्स ने यह रिपोर्ट दी थी कि पहला तो उन्हें रोका नहीं जायेगा और फिर ओवर फ्लो होकर पूरे जालोर जिले और बाड़मेर जिले में जाकर पानी रोका जायेगा। पानी रोकने से सब इलाका उजाड़ हो गया है पानी पहुंच नहीं रहा है। माइनर इरिगेशन बांध अभी बांधे नहीं गये हैं। सब राजनैतिक दृष्टि से बांधे गये हैं जिसके कारण से हमारा इलाका जो जूट पैदा करने वाला था बबूल पैदा करने लगा है। सन् 1977 में माननीय भैरोंसिंह जी ने नर्बदा योजना का कार्य चालू करने का काम हाथ में लिया था, उसके अन्दर इंजीनियर भी आये थे, सर्वे भी हुआ था पर वह काम खटाई में क्यों पड़ा ? क्या सरकार पुनः नर्मदा से पानी दिलाने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय जोगेश्वर जी, पूछिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, सेई बांध से सम्बन्धित जो पूर्व प्रश्न मैंने किया था, योजना का उद्देश्य है,....

श्री अध्यक्ष : इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मंत्री जी।

श्री विजय सिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, सेई बांध से जितना पानी जंवाई बांध में ले जाने की योजना थी, वह पूर्ण हो चुकी है। प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं कि पूर्ण काम पहले हो चुका है। जंवाई बांध इससे सम्बन्धित नहीं है। जो सर्वे किया जा रहा है कि जंवाई बांध में भी अधिक पानी का डाइवर्शन किया जाये, यह प्रोजेक्ट विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, जवाई बांध के कैचमेंट एरिया के अन्दर अकाल राहत कार्य द्वारा अनेकों एनीकट्स बने हैं। इसके कारण जितना पानी जवाई बांध में आना चाहिए उस पानी को रोक दिया जाता है। मान-

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

नीय मंत्री जी इसके बारे में जानकारी देवें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री विनयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न जवाई बांध के बारे में पूछे जा रहे हैं, वह अलग से प्रश्न करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसादीलाल जी।

लालसोट (जयपुर) तहसील में राजस्व अभियान में आवंटित भूमि

54. **श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मई-जून, 1989 में राजस्व अभियान के दौरान जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई थी उनके नामान्तरकरण नहीं खोलने के कारण तहसील कार्यालय लालसोट द्वारा आवंटियों के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है ?

(2) यदि हां, तो किन-किन लोगों को उक्त अभियान के दौरान तहसील लालसोट के विभिन्न गांवों में भूमि आवंटित की गई थी तथा किन-किन आवंटियों के नामान्तरकरण अब तक खोल कर तस्दीक नहीं किये गये हैं जिसके कारण आवंटियों के खिलाफ उक्त धारा के अधीन कार्यवाही की जा रही है ? जिन आवंटियों के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही की गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन आवंटियों को अब तक कब्जा नहीं दिया गया है ?

(4) किन-किन आवंटियों की भूमि पर अन्य अतिक्रमियों का कब्जा है जिसकी शिकायत मिलने पर भी अतिक्रमी को हटा कर कब्जा नहीं दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) ग्राम पंचायत महारिया के किन-किन आवंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है ? क्या आवंटन के बाद भी वहां अतिक्रमियों का कब्जा दिखा कर धारा 91 की कार्यवाही की गई ?

(6) क्या सरकार अतिक्रमी को हटा कर व फसल को जब्त कर आवंटियों को कब्जा दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री नत्थी सिंह) : (1) जी नहीं, दिनांक 10.5.89 से 30.6.89 तक राजस्व अभियान के दौरान आवंटित भूमि के नामान्तरकरण नहीं खोलने के कारण आवंटियों के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(2) राजस्व अभियान के दौरान जिन-जिन लोगों को तहसील लालसोट के जिन जिन गांवों में भूमि आवंटित की गई है तथा जिन-जिन आवंटियों के नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किये गये हैं उनकी सूची (परिशिष्ट "ख") सदन के पटल पर रख दी गई है। नामान्तरकरण तस्दीक नहीं होने के कारण किसी के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही नहीं की गई है।

(श्री नत्थीसिंह)

(3) जिन-जिन आवंटियों को अब तक कब्जा नहीं दिया गया है उनकी सूची (परिशिष्ट "क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) अभियान के दौरान आवंटित की गई किसी भी आवंटी की भूमि पर अन्य अतिक्रमियों का कब्जा नहीं है और न ही किसी आवंटी द्वारा ऐसी शिकायत की गई है। अतिक्रमी का कब्जा हटाने के पश्चात् ही आवंटन किया गया है।

(5) ग्राम पंचायत महारिया में जिन आवंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है उन की सूची (परिशिष्ट "क") (क्रम संख्या 1 से 7 तक) सदन के पटल पर रख दी गई है। आवंटन के बाद वहां अतिक्रमियों का कब्जा दिखा कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही नहीं की गई है।

(6) सरकार आवंटियों को कब्जा दिलाने का विचार रखती है परन्तु आवंटित भूमि पर अतिक्रमियों का कब्जा नहीं होने से अतिक्रमण को हटा कर फसल को जब्त करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जिन आवंटियों के खिलाफ न्यायालय से स्थगन है उनके सम्बन्ध में न्यायालय से निर्णय होने पर तथा जिन्होंने उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटित भूमि की कीमत जमा नहीं कराई है उनके द्वारा कीमत जमा कराने पर कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी। इसके अलावा जिन लोगों ने स्वेच्छा से कब्जा नहीं लिया है। उन्हें उपस्थित होने पर कब्जा दिया जा सकेगा।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री परसादीलाल मीणा : प्रश्न के भाग 1 में सरकार ने जवाब दिया है कि जी नहीं, ऐसी कार्यवाही कभी नहीं हुई। मैं मंत्री जी से एक आश्वासन चाहता हूं कि आवंटन के बाद जहां ऐसा मामला पाया गया उनसे पैनल्टी वसूल करेगी क्या सरकार? उनकी पैनल्टी वापस करेंगे? या उन अधिकारियों जिन्होंने आवटन के बाद ऐसी कार्यवाही की है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे? मैं एक विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मई, 1989 में ग्राम वाड़ा में, सूची में क्रम संख्या 12 पर खसरा नम्बर 78 में जिन लोगों को जमीन आवंटित की गयी है क्या उस आवंटन से पहले लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था? क्या उन लोगों ने जमीन की राशि जमा करा दी? आवंटन की तारीख 26-6-89 है, नामान्तरकरण तस्दीक की तारीख है 26-7-89 और कब्जा देने की तारीख आपने बताई है 11-7-89। जिन जिन लोगों को कब्जा नहीं देने का कारण बताया है उन्होंने न्यायालय से स्थगन आदेश लिये हैं, तो मंत्री महोदय यह बताइये कि स्थगन आदेश किस तारीख को लिये गये? क्या कब्जा देने की तारीख 11.7.89 से पहले स्थगन आदेश लिया गया था? यदि स्थगन आदेश लिया था, तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वहां के पटवारी ने एक हजार पर बीघा के हिसाब से पैसा अतिक्रमियों से वसूल किया। यह भी सही है कि मेरे गांव के पास का मामला है और उन अतिक्रमियों का कन्टीन्यू उस पर कब्जा है, उन्हीं की काश्त है। यदि ऐसा मामला कहीं पाया जाय तो उस पटवारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? उस फसल को क्या

(श्री परसादीलाल मीणा)

आप जब्त करेंगे ? यदि वह आवंटी कह देंगे कि प्रतिक्रमियों की फसल है तो आप क्या कार्यवाही करना चाहेंगे ? यह सही है कि अब तक राजस्थान में जहां कहीं भी आवंटन हुआ है, उसके नामान्तरकरण में, उसके कब्जा देने में काफी देर होती है और इस कारण वहां 91 की कार्यवाही हर साल की जाती है, उनसे पैसा वसूल किया जाता है। ऐसे मामलों पर आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय जगजीतसिंह।

श्री परसादीलाल मीणा : पहले मेरे प्रश्न का जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष : आ जायेगा।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर राजस्व कैम्पों के अन्दर हर साल लोगों के नामान्तरकरण खोले जाते हैं, रजिस्ट्री के खोले जाते जाते हैं तो क्या राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि सरपंच ही नामान्तरकरण तस्दीक करते हैं या तहसीलदार ? इसको कृपया स्पष्ट करें। कई नामान्तरकरण न तो कैम्पों में खोले हैं इसलिए 6-6 महीनों से नामान्तरकरण नहीं खोले गये हैं। क्या राज्य सरकार के यह आदेश हैं कि सरपंच भी मौके पर नामान्तरकरण खोल सकता है ? या तहसीलदार ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न खंड 1 के बारे में यह कहा है कि पैनल्टी वसूल की गई है। लेकिन जो आबंटी है उसको नियमानुसार आबंटन किया गया है, सारी कार्यवाही नियमानुसार हुई है। नियमों के विरूद्ध अगर कोई बात बतायेंगे तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। दूसरी बात जो आपने कहा कि लोगों को कब्जे दिये नहीं गये। कब्जे दूसरों के थे उनके नामान्तरकरण से चार से छः लोगों को आबंटन हुआ है। उसमें 25 केस ऐसे हैं जिनके नामान्तरकरण नहीं हुये हैं। उनमें से जो मैंने आपको बताये, कुछ केस ऐसे हैं जिन पर अदालत से स्थगन आदेश आ गये। कुछ केस ऐसे हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : मैं पूछना चाहता हूं स्थगन आदेश ग्राम बाड़ा खसरा नं. 78 पर किस तारीख को आया ?

श्री नत्थी सिंह : यह तारीख तो मेरे पास इस वक्त नहीं है। मैं तारीख मालूम करके आपको दे दूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : इसका मतलब, तारीख नहीं है तो सरकार इस तथ्य को छुपाना चाहती है। 11-7 को जब कब्जा दिया गया दूसरे लोगों को तो पटवारी ने जानबूझ कर उनको कब्जा नहीं दिया और दो-तीन महीने बाद पटवारी ने मिलकर न्यायालय से स्थगन आदेश दिलाये। आपका जवाब फर्जी है। आप इसी तरह जवाब देंगे तो आप जो किसानों की बात इधर बैठकर किया करते थे वह आप नहीं कर सकते। सही जवाब दीजिए कि स्थगन आदेश की तारीख कौनसी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री नत्थी सिंह : माननीय सदस्य ने जो कहा है अगर राज्य में कर्मचारियों द्वारा ऐसी गड़बड़ियां की गयी हैं तो निश्चित रूप से जांच करायी जायेगी और दोषी पाये जायेंगे तो उनको दण्डित किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। उत्तर क्यों नहीं सुनते हैं आप। पहले उत्तर सुन लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उत्तर आ गया।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं आया। अभी वह खड़े हैं। आप पूरा उत्तर सुनते नहीं हैं, दुबारा पूछने का मौका मिलेगा आपको। आप सुन तो लीजिए पूरा।

श्री नत्थी सिंह : यह जो मैंने आपको बताया है इसमें जो 25 केस हैं उनमें 4 केस ऐसे हैं जिनका स्टे आर्डर पहले आया, दो केस ऐसे हैं जिनमें स्टे आर्डर कब्जा उनको दे दिया उसके बाद आया है। बाकी जो केस हैं उनके सम्बन्ध में 10 केस ऐसे हैं जहां उनको स्टे नहीं देकर खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में विवाद हो गया, जिसकी जांच की जा रही है। एक तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। उस तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही हो रही है और एस. डी. एम. के यहां सारा का सारा रिकार्ड अभी तक देर जांच है तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बात छिपाई जाये और आपने जो कहा है सारे तथ्यों की जांच करने के बाद कोई दोषी होगा तो निश्चित रूप से बख्शा नहीं जायेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल है....

श्री अध्यक्ष : आप में से कौन पूछेगा। आप पूछेंगे कि आप, वह प्रश्नकर्ता हैं उनको दो सवाल पूछने का अधिकार है। दूसरा सवाल पूछिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : खसरा नम्बर एक ही है 78 उसमें एक साथ ही काबिज लोगों को जमीन आवंटन हुई। कुछ लोगों को पटवारी ने मिलकर नामान्तरण और कब्जा दे दिया। बाकी के लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ नामान्तरण और कब्जे की कार्यवाही नहीं की और दो-तीन महीने बाद पटवारी ने दूसरे लोगों से मिलकर, इसकी दो-तीन महीने तक कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी कह रहे हैं आप लिखकर दीजिए, कार्यवाही करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : लिखकर देने का सवाल नहीं है। स्थगन की तारीख बतायें मंत्री जी। अगर यह स्थगन की तारीख उसके बाद की है तो उनके साथ कब्जे और नामान्तरण की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। सीधा सवाल है।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि 466 केसों में से केवल 25 केसों में मैंने बताया कि इतने केस अदालत में चल रहे हैं। 10 केस ऐसे हैं जिनमें इसलिए कब्जा नहीं दिया जा सका है उनके नम्बरों के विषय में विवाद है। जो अब जांच के अन्तर्गत है। इसलिए किसी बात को हमारे यहां छिपाने का काम नहीं है। आपके राज्य में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन गड़बड़ियों को सही रूप से उद्घाटित करेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

(श्री नत्थी सिंह)

दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने किया था वह यह था कि आवंटन के समय नामांतरण कौन करता है जब राजस्व कैम्प होते हैं तो तहसीलदार बाकी में पंचायत।

श्री अध्यक्ष : प्रद्युम्न सिंह जी आप पूछिये।

श्री जगजीत सिंह : तहसीलदार हजारों रुपये लूट रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री जगजीत सिंह : कृपया स्पष्ट निर्देश जिलाधीश को दीजिए कि इन सरपंचों को आदेश दे कि राजस्व कैम्प में तहसीलदार करेंगे और बाकी के ग्राम पंचायत के सरपंच करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। बड़ा सीधा सवाल है एक खसरा नम्बर था 78 कोई दूसरा खसरा नम्बर था नहीं जिसके अन्दर 466 आदमियों को जमीन का आवंटन हुआ, 25 लोगों को कब्जा नहीं दिया गया। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि 10 मामलों में अदालत में स्थगन आदेश आया है। सिर्फ इसमें प्रश्न यह है कि जिन लोगों को जमीन का कब्जा दिया गया उनको किस तरीके से कब्जा दिया गया ? बाकी के 25 लोगों को कब्जा क्यों नहीं दिया गया ?

नम्बर दो, जिन 25 लोगों को कब्जा नहीं दिया गया उन लोगों को, 466 लोगों में से 25 लोग बच गये, किस तारीख को दिया गया, इन 25 को क्यों नहीं दिया ? स्थगन आदेश कब आया ? इसमें साफ वहां के पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो की मंशा थी कि इन 25 लोगों को कब्जा नहीं देना है। आपने एक तारीख में तो दे दिया बाकी के लोगों को आपने दिया नहीं। खसरा नम्बर एक ही है तो खसरा नम्बर डिस्प्यूट में कहीं नहीं है। जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि खसरे का विवाद था। जब खसरा नम्बर एक है तो उसमें विवाद होने का प्रश्न नहीं है। इस मुद्दे पर आप जांच करवा लीजिए उनकी नीयत साफ नहीं थी। वह इन लोगों को परेशान करना चाहते थे। उन लोगों को किसी भी कारण से परेशान करने की नीयत से कब्जा नहीं दिया गया। यह सीधी सी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से तथ्य प्रकट किये हैं यह तथ्य सही हो सकते हैं मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। अलाटमेंट के समय एक बुनियादी गलती रहती है कि, किस किस जमीन का अलाटमेंट करना है। यह पटवारी की तरफ से या राजस्व विभाग के कर्मचारियों की तरफ से अलाटमेंट कमेटी को खसरा नम्बर दे दिये जाते हैं जिन खसरा नम्बर को अलाटमेंट करना है उनके साथ अभी तक जानकारी नहीं दी जाती है। मेरी जानकारी के अनुसार कि इस जमीन पर किनका कब्जा है, किन लोगों से पेनल्टी वसूल की जा रही है, कौन-कौन से मामले अदालत के विचाराधीन हैं यह जानकारी अलाटमेंट कमेटी को होती है। क्योंकि अलाटमेंट कर दिया और जिस आदमी ने पेनल्टी दी है या कुछ वर्षों से काश्त कर रहा है या जिसका मामला कोर्ट में है वह आदमी उस अलाटमेंट के अगेन्स्ट में खड़ा हो जाता है, कोर्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में जाकर या तो स्टे लेता है या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही करता है यह केवल आपके निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं है पूरे राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। मैं समझता हूं उदाहरण के रूप में आपने जो सदन को जानकारी दी है इस आधार पर जिलाधीश से इस सारे प्रकरण की जांच करवायेंगे और एक महीने में जिलाधीश अपना यह प्रतिवेदन दे ताकि उसके आधार पर अलाटमेंट में जो भी असुविधाएं या अनियमितताएं पैदा हुई हैं उनका समय पर निराकरण किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा में जिला परिषदों एवं पंचायतों के अध्यापकों का स्थानान्तरण

48. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1989-90 में जिला परिषदों व पंचायत समितियों में किन-किन अध्यापकों के स्थानान्तरण किन-किन तिथियों में किन-किन कारणों से किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वहां लोक सभा और विधान सभा चुनावों के दौरान अध्यापकों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध के होते हुए भी किये गये? यदि हां, तो किन-किन के और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) (क) वर्ष 1989-90 में जिला परिषद द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय में किये गये स्थानान्तरण की सूचियां मय कारण व तिथि के परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) वर्ष 1989-90 में जिला परिषद द्वारा दोनों पंचायत समितियों की सहमति पर स्थानान्तरण किये उनकी सूचियां परिशिष्ट "ब" हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ग) वर्ष 1989-90 में इस जिले की पंचायत समितियों द्वारा जिला परिषद के आदेश से व अध्यापकों की स्वेच्छा से व प्रशासनिक दृष्टि से पंचायत समिति क्षेत्र में स्थानान्तरण किये उनकी सूची परिशिष्ट "स" है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) (क) जिला परिषद द्वारा लोकसभा व विधान सभा चुनावों के दौरान स्थानान्तरण प्रतिबन्ध होने के कारण किसी भी अध्यापक/अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण नहीं किया।

(ख) पंचायत समिति, सुवाणा द्वारा लोकसभा व विधान सभा चुनावों के दौरान 14 अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण स्वेच्छा व प्रशासनिक दृष्टि से एवं रिक्त पर समायोजन करने हेतु किये। पंचायत समिति, सुवाणा की सूची परिशिष्ट "द" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पंचायत राज्य मंत्री)

(ग) इस जिले की बाकी 10 पंचायत समितियों द्वारा लोक सभा व विधान सभा चुनावों के दौरान अध्यापकों के स्थानान्तरण नहीं किये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को विद्युत कनेक्शन

49. **श्री प्रेमसिंह वहिया** (भीनमाल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की पंचायत समिति सायला के दादाल गांव में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को विद्युत की सीधी लाइन खींच कर कनेक्शन दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त लाइन के तार टूटे पड़े हैं और जोखिम की स्थिति है? यदि हां, तो कब से ? उक्त लाइन कब ठीक कर दी जावेगी ?

(3) जालौर जिले में किन-किन स्थानों पर डाइरेक्ट फीडर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कनेक्शन दिये गये और उनमें से कितने मरम्मत के अभाव में बन्द हैं।

(4) किन-किन डाइरेक्ट लाईनों से जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं हेतु कनेक्शन दिये गये हैं तथा उन स्थानों पर कितने घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जाती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जालौर जिले की पंचायत समिति सायला के दादाल ग्राम के लिये घुमरिया से बागोडा दादाल ग्राम के लिये डाइरेक्ट लाईन खेंची थी, उसके तार टूट गये थे। उसकी मरम्मत दिनांक 5.3.1990 को कर दी गई है व पूर्वानुसार सप्लाई चालू कर दी गई है। जब तक तार टूटे हुये थे उक्त ग्राम को पेयजल हेतु विद्युत की आपूर्ति समीप के ट्रान्सफार्मर से वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई थी।

(3) जालौर जिले में जिन-जिन स्थानों पर डाइरेक्ट फीडर द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का पेयजल हेतु कनेक्शन दिये गये हैं उनकी सूची "अ" संलग्न है। वर्तमान में कोई भी डाइरेक्ट फीडर मरम्मत के अभाव में बन्द नहीं है।

(4) जालौर जिले में जिन डाइरेक्ट फीडरों से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को पेयजल हेतु कनेक्शन दिया हुआ है उन सभी डाइरेक्ट फीडरों पर औसतन 16 से 20 घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

विकलांगों का राज्य सेवा में नियोजन

50. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने सर्वे कराया है कि राज्य में कुल कितने विकलांग हैं ?

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

(2) क्या विकलांगों के पंजीकरण हेतु कोई राजकीय एजेन्सी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को विदित है कि वर्ष 1989-90 में अब तक कुल कितने विकलांग राजकीय सेवा में लिये गये ?

उत्तर

(1) जी नहीं । किन्तु 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल विकलांगों की जन संख्या 80,043 है, जिनमें से दृष्टिहीन 46,465 अपाहिज 21,519 एवं बधिर 12,061 है।

(2) जी हां, विकलांगों के पंजिकरण हेतु जिला स्तर पर प्रत्येक रोजगार के इच्छुक विकलांग अपना पंजिकरण करा सकते हैं। जयपुर में यह कार्य विशेष रोजगार कार्यालय, बापू नगर द्वारा किया जाता है।

(3) विकलांगों को राजकीय सेवा में लिये जाने के बारे में कार्मिक (क–5) विभाग द्वारा विभिन्न विभागों एवं जिलों से वार्षिक सूचना एकत्रित की जाती है। पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

जालौर जिले में 132 के. वी के जी. एस. एस. के प्रस्ताव

51. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जालौर जिले में 132 के. वी. के कितने जी. एस. एस. स्वीकृत अथवा प्रस्तावित हैं तथा कहां-कहां व कब से हैं ?

(2) इन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा तथा ये कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ?

उत्तर

(1) जालौर जिले में 132 के. वी. के तीन जी. एस. एस. स्वीकृत हैं। इनके नाम व स्वीकृति की तारीख निम्न प्रकार है:–

नाम	स्वीकृति की तारीख
1. सांचोर	21.6.1989
2. रानीवाड़ा	8.9.1989
3. उमेदपुर	8.9.1989

(2) इन जी. एस. एस. को आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करने का लक्ष्य है जिसके बाद ही ये कार्य करना प्रारम्भ करेंगे।

पंचायत समिति, लूणकरणसर में अध्यापकों के रिक्त पद

52. श्री मनीराम (लूणकरणसर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बीकानेर जिले में पंचायत समिति लूणकरणसर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों, यथा अर्जुनसर, शेरपुर, रामबाग, शोभलाई में शालावार कितने-कितने पद अध्यापकों आदि के स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों के विपरीत कितने-कितने कर्मचारी कहां-कहां कार्यरत है और कितने पद कौन-कौन से कहां-कहां खाली है

(श्री मनीराम)

और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1)

नाम	अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या
अर्जुनसर	5
शेरपुरा	8
रामबाग	1
शोभलाई	7

(2)

नाम	रिक्त पदों की संख्या
अर्जुनसर	कोई पद रिक्त नहीं
शेरपुरा	दो
रामबाग	रिक्त नहीं
शोभलाई	दो

द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की पदोन्नति नहीं हुई एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों का चयन नहीं होने के कारण पद खाली रहे हैं।

(3) शिक्षा विभाग में अध्यापकों को पदोन्नति दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापक उपलब्ध करवाये जाने का क्रम चालू है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया भी चालू कर ली गई थी। पदों को शीघ्र भरे जाने की आशा है।

ग्राम पंचायत मुन्नड़वाड़ा के ग्राम

53. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भोजपुरी हुलमाना खुर्द एवं नया गांव तहसील मुण्डावर (अलवर) को ग्राम पंचायत मुन्नडवाड़ा से जोड़ रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामवासियों द्वारा उक्त ग्रामों व ग्राम पंचायत के मध्य साबी नदी के लगभग ढाई-तीन किलो मीटर का क्षेत्र होने से ग्राम पंचायत से सम्पर्क लगभग वर्ष भर कटा रहने की परेशानी के कारण उन्हें नदी के उस ओर की ग्राम पंचायत जालावास या बीजवाड़ चौहान से जोड़ने के लिये राज्य सरकार से कई बार अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) अब उक्त ग्रामों को कब तक ग्राम पंचायत में परिवर्तन कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम भोजपुरी एवं हुलमाना खुर्द ग्राम पंचायत मुन्नडवाड़ा में हैं जो प्रारम्भ से ही इसी ग्राम पंचायत के गांव हैं। नया गांव इस पंचायत में नहीं है।

(2) जी हां। यह सही है कि यह दोनों ग्राम साबी नदी के दूसरे पार लगभग ढाई तीन कि.मी. की दूरी पर हैं। इन ग्रामों को जालावास अथवा बीजवाड़ा

(पंचायत राज्य मंत्री)

चौहान ग्राम पंचायत में लिये जाने का अनुरोध ग्रामवासियों ने किया था। इस अनुरोध के संबंध में पंचायत समिति, मुण्डावर में विचार विमर्श होना था परन्तु पचायत समिति, मुन्डावर की साधारण सभा में इस पर विचार नहीं किया जा सका। पचायत समिति की आगामी बैठक में इस पर विचार करके अपने प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवायेगी जिस पर उचित निर्णय लिया जावेगा।

(3) पंचायत समिति एवं जिला कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथोचित निर्णय लिया जावेगा।

लघु ताप विद्युत् गृहों की स्थापना

54. श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत): क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार प्रदेश में छोटे ताप विद्युत् घर लगाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी मेगावाट के?

(2) क्या इन ताप बिजली घरों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है?

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में इनके निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है तथा इन पर कुल कितनी लागत आयेगी?

(4) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी इनके निर्माण हेतु कोई प्रावधान था? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य में जैसलमेर जिले के रामगढ़ नामक स्थान पर गैस पर आधारित 3 मेगावाट की क्षमता का एक लघु ताप विद्युत गृह लगाने की योजना है।

(2) जी हां।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में इस गैस ताप विद्युत गृह के लिये 80 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। अगस्त 1984 में स्वीकृत मूल योजना के अनुसार इसकी कुल अनुमानित लागत 394 लाख रु. थी परन्तु वर्तमान संकेतों के अनुसार यह लागत बढ़ कर 850 लाख रु० हो जाने की संभावना है।

(4) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में इस गैस विद्युत परियोजना के लिये राज्य की योजना में 394 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था।

ईंट भट्टों हेतु लीज पर भूमि आवंटन

55. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालोर एवं आहोर में ईंटें पकाने के कुल कितने भट्टे वर्तमान में क्रियाशील हैं?

(2) क्या यह सही है कि इन भट्टों के लिए जमीन लीज पर देने का कार्य पहले जिलाधीश के स्तर पर होता था? यदि हां, तो कब तक?

(3) वर्तमान में यह अनुमति जारी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

करने का अधिकार किसको है ? क्या सरकार यह अधिकार पुनः जिलाधीश को प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर एवं आहोर में क्रमश: 98 व 72 कुल 170 ईंट भट्टे वर्तमान में क्रियाशील है।

(2) जी हां, ईंट भट्टों के लिये जमीन लीज पर देने का कार्य पहले ही नहीं वरन् वर्तमान में भी जिला कलेक्टर के स्तर पर ही होता है। केवल मात्र उन प्रकरणों में राज्य सरकार की स्वीकृति ली जाती है जिनमें भूमि की किस्म सिंचित या चाही है।

(3) वर्तमान में राजस्थान भू-राजस्व (ईंट भट्टों के स्थापना के लिये कृषि भूमि का आवंटन और संपरिवर्तन) नियम, 1987 के प्रावधानान्तर्गत बारानी या असिंचित किस्म की भूमि के आवंटन के अधिकार जिला कलेक्टर को है एवं सिंचित या चाही किस्म की भूमि का आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् जिला कलेक्टर करता है। अत: नियमानुसार आवंटन की शक्तियां जिला कलेक्टर में ही निहित है। लिहाजा पुन: अधिकार दिए जाने का प्रश्न ही नहीं रहता है।

लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं हेतु आयु सीमा में छूट

56. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में अर्द्ध सरकारी एवं राज्य विद्युत् मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों को उम्र में छूट सरकारी कर्मचारियों की भांति नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार नगर परिषद्, नगर विकास न्यास एवं अन्य स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की तरह राज्य विद्युत् मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों को भी इसी प्रकार से उम्र में छूट का प्रावधान करेगी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां। उम्र में छूट का प्रावधान केवल राज्य सरकार एवं पंचायतों में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में आरक्षित 7% पदों के प्रति है। इन आरक्षित पदों के प्रति 40 वर्ष तक की छूट आयु सीमा में प्रदान की हुई है।

(2) नगर परिषद्, नगर विकास न्यास एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को उम्र में छूट का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। राज्य विद्युत मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों को भी उम्र में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। राजकीय उपक्रमों, जिनमें राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल भी शामिल है, एवं निगमों के कर्मचारियों के लिए नियमों में प्रावधान करने हेतु अलग से मामला विचाराधीन है।

राजस्थान स्टेट टेनरीज, टोंक

57. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(1) राजस्थान स्टेट टेनरीज टोंक को विगत 5 वर्षों में कितना लाभ व हानि हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि हानि हुई है तो क्या कारण रहे और उसके निराकरण की दिशा में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सहायक श्रम आयुक्त द्वारा कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान के निर्णय के पश्चात् भी मार्च 1989 से अब तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक वेतन भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट टेनरीज टोंक में विगत पांच वर्षों में हानि निम्न प्रकार रही:-

वर्ष	हानि (लाख रु. में)
1983-84	(-) 62.66
1984-85	(-) 51.69
1985-86	(-) 55.00
1986-87	(-) 52.64
1987-88	(-) 59.71

वर्ष 1988 के उपरान्त से यह इकाई कार्यरत नहीं हैं।

(2) राजस्थान स्टेट टेनरीज में इसकी स्थापना से लगातार हानि होती रही है जिसके निम्न मुख्य कारण थे:-

I. राजस्थान में बड़ी साइज की भेड़ तथा बकरों के खालों की अनुपलब्धता के कारण इकाई की 6,25,000 खाल प्रति वर्ष उत्पादन करने की क्षमता का पूर्ण प्रयोग न होना।

II. फैक्ट्री पिछड़े इलाके में स्थित होने के कारण एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण अच्छे टेक्नीशयन उपलब्ध नहीं होते जिस कारण से अच्छी किस्म का चमड़ा नहीं बना पाया जाना।

III. सम्पूर्ण निर्यातक इकाई होने तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहले 10 वर्ष में मन्दी रहने से क्षमता का उपयोग न होना।

IV. निर्यातक इकाई होने के उपरान्त भी इकाई का रेल वायु मार्ग से न जुड़ा होना तथा संचार की भी समुचित सुविधा न होना।

V. राज्य सरकार ने इस संस्थान को घाटे की स्थिति से उबारने हेतु अनेक कदम उठाये थे जिसमें समय-समय पर प्रशासनिक खर्चों में कटौती के अलावा उत्पादन में विविधता लाना भी था। जब किसी भी प्रकार से इकाई लाभ में आने की स्थिति में नहीं हुई तब राज्य मंत्री मण्डल की आज्ञा से इकाई के प्रबन्ध को निजी प्रबन्धकों को देने की व्यवस्था की जाने की कार्यवाही चालू हैं।

(3) सहायक श्रम आयुक्त ने जुलाई 1989 तक के भुगतान के निर्देश दिये है। इकाई की वित्तीय हालत वेतन भुगतान

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

करने की नहीं है। इकाई को राज्य सरकार से ऐसी परिस्थिति में भी 16.00 लाख रुपये का ऋण देकर फरवरी, 89 तक का वेतन भुगतान कराया गया है। राज्य सरकार की 1.94 करोड़ रुपये अंश पूंजी के अलावा करीब 1.20 करोड़ रु. का ऋण तथा ब्याज इकाई की तरफ पूर्व से ही बकाया है। वेतन भुगतान बिना कार्य के ही किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इकाई का प्रबन्धन कर्मकारों की सेवाओं को यथावत रखने की गारन्टी के साथ स्थानान्तरण करने की कार्यवाही कर ली गई थी, ऐसे समय में कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पेश कर स्थगन आदेश के अन्तर्गत, इसका स्थानान्तरण रुकवा दिया। स्थगन आदेश एक वर्ष रहा उस काल का वेतन राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है परन्तु श्रमिक वेतन मांग रहे हैं। अब कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय में गये हुए हैं जहां से फिर स्थगन आ गया है। कर्मचारी बिना कार्य के वेतन लेना चाहते हैं, जबकि राज्य सरकार उनके नियोजन को पूर्व शर्तों पर चालू रखने की पूर्व व्यवस्था कर चुकी है। उक्त परिस्थिति में वेतन भुगतान किया जाना सम्भव नहीं प्रतीत होता है, इकाई के स्थानान्तरण पर ही कोई समाधान सम्भव होगा।

भीलवाड़ा जिले में इन्दिरा आवासीय योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण

58. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पिछले 3 वर्षों में इन्दिरा आवासीय योजना के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में भवनों का निर्माण किन-किन स्वीकृत गांवों में हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सम्पूर्ण राशि व्यय होने पर भी अभी तक भवन अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और क्यों ?

(3) उक्त भवन किन-किन को आवंटित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार को विदित है कि उनमें से अधिकांश भवनों में आवंटी नहीं रह कर अन्य लोग काबिज हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) पिछले तीन वर्षों में भीलवाड़ा जिले में इन्दिरा आवास योजना के तहत निर्मित भवनों का निर्माण जिन गांवों में हुआ है उनके वर्षवार विवरण की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) स्वीकृत भवनों में अधिकांश भवन पूर्ण हो चुके हैं। अपूर्ण भवनों की सूचना सदन के पटल पर रखी गई है। (परिशिष्ट-2)

(3) जिन-जिन व्यक्तियों को भवन आवंटित किये गये है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-3)

जिन-जिन व्यक्तियों को मकान आवंटित किये गये हैं वे उनके ही कब्जे में है। अन्य व्यक्ति के कब्जे में होने की कोई शिकायत जिला स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टोंक जिले में उद्योगों का पंजीकरण

59. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोंक जिले में वर्ष 1987 से जनवरी वर्ष 1990 तक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक दृष्टि से विकास हेतु कितने उद्योगों को पंजीकृत किया गया ?

(2) उक्त वर्षों में किन-किन उद्योगों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ? उपरोक्त उद्योगों के ऋण एवं अनुदान राशि हेतु कहां-कहां आवेदन प्रस्तुत हुए ? कब-कब स्वीकृत हुए तथा कब-कब कितना कितना ऋण एवं अनुदान दिया गया ?

(3) किन-किन व्यक्तियों या इकाइयों के आवेदन किन-किन कारणों से अस्वीकृत हुए ?

(4) स्वीकृत ऋण किन-किन को नहीं दिया गया और क्यों ? उपरोक्त सभी प्रश्न भाग के सम्बन्ध में विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में जनवरी, 1987 से फरवरी, 1990 तक 1896 इकाइयां पंजीकृत की गई है।

(2) उक्त वर्षों में उद्योगों को निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई गई है :–

1. बिक्रीकर मुक्ति/स्थगन की सुविधा
2. कच्चा माल आवंटन
3. चुंगी मुक्ति
4. केन्द्रीय विनियोजन अनुदान
5. राज्य अनुदान
6. ब्याज मुक्त ऋण
7. विद्युत अनुदान
8. परीक्षण यंत्र अनुदान

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान वित्त निगम एवं रीको द्वारा ऋण एवं अनुदान स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त सुविधाओं से लाभान्वित इकाइयों की सूची मय विवरण के सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) जिला स्तर पर गठित ऋण सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान वित्त निगम द्वारा 56 इकाइयों के ऋण आवेदन पत्र निरस्त किये गये। सूची मय कारण सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जिन व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण नहीं दिया गया उनकी सूची मय विवरण के सदन के पटल पर रख दी गई है।

प्रवर्तकों द्वारा या तो स्वयं ऋण निरस्त करा दिये गये या उनके द्वारा कागजी कार्यवाही पूर्ण नहीं किये जाने के कारण ऋण वितरित नहीं किये गये।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीलवाड़ा जिले में माध्यमिक विद्यालय

60. **श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):** क्या मुख्य (शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बंशीलाल पटवा)

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1989-90 में माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां कितनी कितनी आबादी वाले गांवों में खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय खोलने के मानदण्ड क्या थे ?

(3) क्या यह सही है कि मानदण्डों के अनुसार विद्यालय नहीं खोले गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या ऐसे विद्यालयों में अपेक्षित स्ट्रेन्थ के अनुसार अध्यापकों का पद स्थापन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) यदि आवश्यकतानुसार अध्यापक व अन्य व्यवस्थाएं करने हेतु बजट प्रावधान नहीं था, तो स्कूल खोलने का क्या औचित्य था ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 89-90 में खोले गए 41 माध्यमिक विद्यालयों की आबादी सहित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विद्यालयों को खोलने हेतु ग्राम की जनसंख्या, छात्र संख्या, भवन व्यवस्था फीडर स्कूलों की स्थिति व क्षेत्रीय मांग को दृष्टि में रख कर गुणावगुण के आधार पर विद्यालय खोले गये हैं।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में मानदण्ड के अनुसार पदों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है जिनमें से 35 अध्यापकों के पद भरे जा चुके हैं शेष 88 अध्यापकों के पद भरे जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

(5) वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही उक्त विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं। इन प्रावधानों के अनुसार ही स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले की क्षेत्रीय जलदाय योजनाओं से 80 ग्रामों को पानी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री ईश्वर लाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल द्वारा आवंटित मकान, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगरपालिकाओं तथा पंचायत समितियों द्वारा आवंटित भूमियों के विक्रय पत्रों की रजिस्ट्रियों में स्टाम्प ड्यूटी दिनांक 31 मार्च, 1990 के पश्चात् बाजार दर से लिये जाने के आदेश जारी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन की यह परम्परा रही है कि जब आसन पैरों पर होता है तो ऑफीसर गैलेरी के लोग भी उठ कर नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी जगह आ जाइये। (व्यवधान) मैंने कितनी बार आप को कहा है कि जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में नहीं बोला करें। आप लोग बैठ जाइये थोड़ी देर बाद चले जाइये।

(3) श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री हरिसिंह (महुआ), श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 10 मार्च, 1990 को होली के दिन बीकानेर स्थित जसूसर गेट बाहर समाचार-पत्र क्रान्ति बिगुल के सम्पादक पर हमले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में मूर्ति चोरों के गिरोह से जनता में आक्रोष व आतंक के सम्बन्ध में।

(2) श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित ऊन मिल चूरू के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से नोखा क्षेत्र में अनियमित बिजली सप्लाई से जनता में रोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य, विधानसभा की ओर से ग्राम डीगा, भाटीया व कोटड़ा ग्रामों की ढाणियों तक पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरीश कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से नांवा व कुचामन सिटी सहायक अभियन्ता (विद्युत) क्षेत्र में विद्युत सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में।

(6) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में किसानों को सिंचाई कनेक्शन देने में भयंकर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(7) श्री अनंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में भीषण जल संकट के सम्बन्ध में।

(8) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से शहरों की जनसंख्या को आवास उपलब्ध कराने हेतु गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं के नियमन के सम्बन्ध में।

(9) श्री अचलाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से देसूरी तहसील में गिरासियों, भीलों के लगभग 150 परिवारों की पुश्तैनी जमीन को गेम्स सैन्चुरी क्षेत्र में लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री मदन लाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गुढ़ा क्षेत्र में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

(11) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य, विधान सभा की ओर से किसानों एवं दस्तकारों के ऋण माफी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री बृजराज मीणा, सदस्य; विधान सभा की ओर से हाड़ौती क्षेत्र के गांवों में अकाल की स्थिति व पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज मैंने देखा है कि कई माननीय सदस्य एक-एक दिन में 3-3, 4-4 एडजार्नमेंट मोशन भी देते हैं और 295 भी देते हैं। परम्परा और नियम यह है कि एक दिन में कोई एक, चाहे आप एडजार्नमेंट मोशन दें चाहे 295 दें। वर्ना परिस्थिति यह आती है कि कौनसा एक्सेप्ट करने में आप इण्टरेस्टेड हैं और मैं कौनसा लेता हूं। इसलिए प्रतिदिन एक ही दें। हफ्ते में एक बार 295 होगा। अब श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हफ्ते भर में एक करेंगे तो हम अपनी बात नहीं रख पायेंगे। पहले एक सप्ताह में कम से कम दो लिये जाते थे। एडजार्नमेंट मोशन उससे सम्बन्धित नहीं है। 295 के अन्तर्गत सप्ताह में एक बार मौका दे दें, लेकिन एडजार्नमेंट मोशन....

श्री अध्यक्ष : यह सारी बातें आपकी परम्परा डाली हुई है। आप बैठ कर उसको बदलना चाहो तो बदल लेंगे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री मांगीलाल मेघवाल।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान चूरू जिला मुख्यालय स्थित राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम ऊन मिल जो पिछले 10 माह से बंद पड़ी है, के कारण उसमें कार्यरत सैकड़ों कामगारों के समक्ष जीवन यापन का संकट पैदा होने की सम्भावना की ओर दिलाना चाहता हूं। ऊन मिल 1967-68 में चूरू जिले के भेड़ पालकों को अपनी ऊन पंजाब व अन्य जगह ले जाकर न बेचनी पड़े तथा लोगों को रोजगार मिल सके, इस उद्देश्य से स्थापित की गयी थी। इस ऊन मिल ने जब तक स्थानीय मण्डी से माल, कच्चा माल खरीदा तब तक लाभ में चली, परन्तु एक वर्ष पूर्व प्रबन्धकों ने विदेश निर्मित आस्ट्रेलिया की मेरोना नामक ऊन 40000 किलो मात्रा में खरीदी, जिसकी कीमत स्थानीय ऊन से 40 से 45 रुपये अधिक है। ऊन के धागे के टाप्स बनाने की मिल की इकाई को जानबूझ कर बन्द करके अहमदाबाद व कलकत्ता से बने बनाये टाप्स खरीदे गये। इस कारण मिल को भारी घाटा हो गया तथा मिल बन्द करनी पड़ी। मेरी जानकारी में आया है कि 25 या 27 मार्च को इस मिल को बेचने का राजस्थान सरकार ने कोई प्रस्ताव किया है। पूरे जिले में यह एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है, जिस से सैकड़ों गरीब परिवारों का जीवन यापन होता है, इसे प्रशासकों द्वारा भ्रष्ट तरीके व गलत निर्णय के कारण बंद करके बेचना जनहित में उचित निर्णय नहीं है। कृपया उक्त मिल के बेचान को रोके जाने की कार्यवाही कर इसे वापस चालू करने की योजना बनायी जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 295 के तहत जो प्रस्ताव दिया है, उसके बारे में यह है कि जब से हमारे....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ दीजिए केवल। आपके पास कॉपी होगी, पढ़ दीजिए आप। कॉपी नहीं है आपके पास ?

श्री रतनाराम चौधरी : कॉपी तो चारों हमने दे दी थीं। वैसे मुझे याद है।

श्री अध्यक्ष : आप कॉपी यहां से दे दें। इसमें से आप पढ़ दीजिए। शायद कोई चीज भूल जायं आप।

श्री रतनाराम चौधरी : जब से चुनाव के रिजल्ट आये हैं, तमाम गांवों को पीने का पानी बंद कर दिया है। हमारे भाटी, कोटड़ा गांवों में पीने के पानी के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है, क्योंकि वहां लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। बदले की भावना से अधिकारी लोग न मालूम किस पार्टी के इशारे से लोगों को पानी पिलाने से वंचित किये हैं। पानी पिलाने की व्यवस्था जो पहले से बनी हुई है उसको चालू रखा जाय। हमारे प्रत्येक गांव में पानी की एक टंकी बनी हुई है, परन्तु वहां की जो बस्ती है....

श्री अध्यक्ष : आप उसको पढ़ते रहिये। देखिये, जवाब इसी का मिलेगा जो आपने लिखित में दिया है। आप बोलेंगे उसका जवाब नहीं आयेगा।

श्री रतनाराम चौधरी : मुझे याद है, सर। मैंने दिया है मुझे मालूम है। प्राब्लम ऐसी है कि मेरे दिमाग में है। रात-दिन मैंने रट रखी है। इसलिए कृपा करके गांवों में जो टंकी बनी हुई है, वहां गांव ढाणियों में बसे हुए हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पढ़ने में कठिनाई हो रही है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके भी कई सदस्यों को होती थी।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में टंकी बनी हुई है। पूरा गांव ढाणियों में बसा हुआ है। 20-25 घरों की ढाणियों में लोग बसे हुए हैं। टंकी को पाइप लाइन से जोड़कर पाइप लाइन ढाणियों तक पहुंचा दें ताकि उन लोगों को पीने के पानी की सहूलियत हो सके। जहां टंकी बन गयी वहां पशुओं के पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसलिए टंकी के पास पशुओं के पानी पीने के लिए खेली बनानी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी, मैं यह तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि पानी वहां कोई कांग्रेस जीत गयी इसलिए बन्द कर दिया हमने, यह बात तो अब खत्म हो गयी कि जहां विरोधी जीतकर आते हों उन को दुःख दिया जाय। यह प्रथा तो खत्म हो गयी।

श्री रतनाराम चौधरी : फिर पानी बन्द क्यों हो गया वहां पर ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मुझे बोलने दीजिए न।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मंत्रीजी को सुन लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात तो सुनिये। मैं आपकी समस्या के लिए हमदर्दी से बात कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी जब आप यहां से निवृत हो जायं तो मुझे बताइये कि कैसे बंद हुआ, क्या नहीं हुआ। उसमें जो कार्यवाही की जानी है करेंगे हम। आपको पानी मिलेगा मेरे को खुशी होगी लेकिन आप जो यह चार्ज लगा रहे हैं कि कांग्रेस जीत गयी इसलिए पानी बंद कर दिया....

श्री रतनाराम चौधरी : यह बात सही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बात गलत है। ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बताइये न आप अभी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह डिबेट नहीं है। आपने जो कहा मंत्रीजी ने मान लिया।

श्री रतनाराम चौधरी : इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, परन्तु एक ही बात कहकर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारी, पहले के कई लोग ऐसे पाले हुए वहां बैठे हैं। जब हम उनके पास शिकायत लेकर गये, उनको शिकायत बतायी तो वह सुनी-अनसुनी कर गये। उनके नाम भी आपको बता दूं, उनके खिलाफ भी आपको एक्शन लेना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं हाजिर हूं उसके लिए। आप वहां क्यों जाते हैं मैं हाजिर हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरीश कुमार।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में पिछली सरकार के समय किसानों को सिंचाई और विद्युत के जो कनेक्शन दिये गये, उनमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। इसमें छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारी, ए. ई. एन. तक मिले हुए थे। सुनेल कस्बे में ए. ई. एन. ने 4-4, 5-5 हजार की इस प्रकार की रिश्वत ली। झालावाड़ के डग विधान सभा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की स्थिति है। मनोहर थाना और झालरापाटन में भी इसी प्रकार की स्थिति है। किसानों का भयंकर शोषण हो रहा है, उनका खून चूसा जा रहा है। यह सारा हुआ है, सब पूर्व सरकार में बैठे विधायकों और मंत्री के माध्यम से, उन्हीं के एजेण्टों द्वारा यह सारा हुआ। 5-5, 6-6 साल पुरानी फाइलें पैण्डिग पड़ी हुई हैं और जो किसान रिश्वत देते हैं उनके कनेक्शन हो जाते हैं, लेकिन जो किसान, गरीब किसान पैसा नहीं दे पाता उसके कनेक्शन नहीं होते हैं। प्रायोरिटी के आधार

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

पर किसानों को कनेक्शन दिये जायं ताकि वे अपने खेतों में पानी दे सकें और उनको राहत मिल सके। उनके जो डिमाण्ड नोटिस निकलते हैं, वह चाहे एक पोल का हो, 4-4, 5-5 हजार का डिमाण्ड नोटिस एक ही पोल का आ जाता है। मिनिमम चार्ज लेकर उनको कनेक्शन दिये जायं ताकि किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि झालावाड़ और झालरापाटन में शहर की जनसंख्या जब 20-25 हजार थी तब वहां पेयजल सप्लाई की एक योजना बनायी गयी थी। उस योजना को 1980 के अन्दर रिवाइज किया गया। रिवाइज करने के बाद 31 लाख की योजना बनाकर राज्य सरकार को भेजी गयी, लेकिन तत्कालीन राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के कारण यह योजना आज 9 साल बाद भी फाइलों के अन्दर बन्द पड़ी है, उस पर कोई क्रियान्विति नहीं हुई। उस योजना पर जो थोड़ा बहुत काम हुआ, उसके बाद वह योजना बढ़ते-बढ़ते 31 लाख से आज लाख की हो गयी है। आज से तीन वर्ष पहले तत्कालीन मुख्य मंत्री हरिदेवजी जोशी झालावाड़ पधारे थे। उस वक्त जो वहां तत्कालीन अधिकारी थे उन्होंने मुख्य मंत्री महोदय को गुमराह किया और उनके सामने एक दिन के लिए जो नयी टंकी पानी की बनाई हुई है उसमें पानी बिना अन-फिल्टर्ड वाटर चालू करके उसकी सप्लाई चालू की और जैसे ही माननीय हरिदेवजी जोशी की कार कोटा की ओर मुड़ी उस टंकी की योजना से जनता को पानी देना बन्द कर दिया गया। 20 हजार और 25 हजार की योजना जो बनी हुई थी, आज उन दोनों शहरों की जनसंख्या 50 हजार और 40 हजार हो चुकी है लेकिन यह स्कीम 80 से चल रही है वह मात्र एक फिल्टर्ड प्लान्ट की मंजूरी के लिये अटकी पड़ी हुयी है। अब गर्मी का मौसम आने वाला है, पानी का सकट उत्पन्न होने वाला है, इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्रों के बारे में मैंने अपना वह 295 का प्रस्ताव दिया है। उसे मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब तक क्या कर रहे थे आप ? यह परम्परा गलत है, जब पढ़ने का है तो पढ़िये।

श्री अनंग कुमार जैन : भ्रष्टाचार के कारण जो योजना 31 लाख की 80 लाख की, वह बात आपके माध्यम से सदन को बताना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष : नहीं, फिर इसको रिकार्ड होने से मना करना पड़ेगा। यहां नियम यह है....

श्री अनंग कुमार जैन : इसी को पढ़ा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैंने बोला है वह इसकी शुरू की लाइनें पढ़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : चलिये पढ़िये।

श्री अनंग कुमार जैन : झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की

(श्री अनंग कुमार जैन)

भयंकर किल्लत हो रही है। झालावाड़ तथा झालरापाटन को वर्तमान में पानी नहीं मिल पायेगा क्योंकि भवरा सा डेम सूख चुका है। झालावाड़ जिला केन्द्र है वहां कि जनसंख्या 50 हजार है और झालरापाटन की जनसंख्या 40 हजार है। बकानी कस्बे की जनसंख्या 10 हजार है। उसको कोटडा डेम से पानी सप्लाई होता था। लेकिन डेम सूखने से जनता पानी से तरसेगी। असनावर कस्बे की जनसंख्या 5 हजार है वहां पर भी गर्मी में जिन ट्यूब वैल से पानी दिया जाता है उसमें जलस्तर काफी नीचे चला गया है।

झालावाड़ और झालरापाटन शहर को जो पेयजल योजना पूर्व में बनी थी उस समय दोनों शहरों की जनसंख्या कुल 40 हजार थी जो अब 90 हजार हो गयी है। इस बार जो टंकी बनी हुई है वह बहुत छोटी है तथा उस टंकी से दोनों शहरों को पानी देना सम्भव नहीं है। झालावाड़ शहर के लिये री-आर्गेनाइजेशन स्कीम राज्य सरकार को भेजी गयी है जो पिछले 4 वर्षों से लम्बित पड़ी हुयी है। यह योजना चालू हुयी जब 31 लाख रुपये की की जो अब 81 लाख रुपये की हो गयी है। झालावाड़ की योजना को चालू करने के लिये फिल्टर प्लान्ट लगाना बाकी है। जिसकी स्वीकृति प्रदान की जावे। 3 वर्ष पूर्व श्री हरिदेव जोशी पूर्व मुख्य मंत्री झालावाड़ पधारे थे उनके सामने एक दिन बिना फिल्टर किया हुआ पानी एक दिन के लिए झालावाड़ शहर को सप्लाई किया गया था। उनके रवाना होने के बाद उस स्कीम से जल सप्लाई करना बन्द कर दिया इसलिए झालावाड़ शहर की जन समस्या के निराकरण के लिए इस स्कीम को चालू करवाया जावे। इसी प्रकार झालरापाटन शहर की अन्दर जो टंकी बनी हुयी है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है तथा वह जगह-जगह से फूट गयी है तथा सारा पानी बह जाता है। विभाग द्वारा एस. आर. टैंक बनाने के लिये योजना बनाकर भेजी हुयी है। उस योजना को मंजूर कर एस. आर. टैंक बनवाया जावे।

ग्रामीण क्षेत्र में करीब 340 गांव हैं जहां पीने के पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। अधिकांश गांवों में हैण्ड पम्प में पानी नहीं है। हैण्ड पम्प जो खोदे गये हैं वह पूरी गहराई तक नहीं खोदे गये हैं। विभाग द्वारा रेकार्ड पर अधिक गहराई तक हैण्ड पम्प खोदा जाना बताया गया है जबकि वास्तविक रूप में उक्त गहराई तक नहीं खोदे गये हैं।

इसलिये मेरा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे हैण्डपम्पों को अधिक गहरा करवाया जावे ताकि हैण्ड पम्प के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पानी मिल सके। कुछ गांव ऐसे हैं जहां हैण्ड पम्प बिलकुल फेल्योर हैं वहां पर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम चालू करके जनता को पानी उपलब्ध करवाया जाये–ग्राम मंडावर जूनिखेड़ा, मोतीपुरा, समराई खानपुरिया, कुशलपुरा एवं आगरिया पंचायत के गांवों में हैण्ड पम्प पूर्ण रूप से पहले ही फेल हो चुके है यहां पर वैकल्पिक योजना मंजूर की जा रही है नल योजना लगाकर जनता को पानी उपलब्ध करवाया जावे। मैं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके

(श्री अनंग कुमार जैन)

माध्यम से यह सूचना दे रहा हूं। आपने मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने क्या लापरवाही बरती हैं, क्या अनियमिततायें की, क्यों नहीं ध्यान नहीं दिया उसकी चर्चा तो मैं नहीं करूंगा लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही यह समस्या मेरे सामने आयी तो माननीय सदस्य और विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर चर्चा की गयी। यह बात ठीक है कि जल का संकट तो है। इसको दो भागों में करना चाहते हैं, करने का विचार रखते हैं। एक तो आने वाली गर्मी को देखकर तत्काल कोई काम किया जा सकता है जिससे राहत मिल जाय-एक तो वह योजना है और एक लम्बी योजना होगी। मेरा माननीय सदस्य से आग्रह और निवेदन है कि जिन योजनाओं से तुरन्त लाभ हो सकता है उनको तो करवायेंगे ही, करवाने के मैंने निर्देश दे दिये हैं, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी भी है। लम्बी योजनायें, जिनसे आगे जाकर लाभ होगा उनको यथाशीघ्र करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय सदस्य के सहयोग से जिसकी विभाग के अधिकारियों से आगे बातचीत हुई है, उस योजना में लेंगे तो हम कुछ राहत पहुंचा सकेंगे। बाकी लम्बी योजनायें बाद में करवायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकीदास जी कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने प्रस्ताव के जरिये विशेष रूप से यह उल्लेख करना है कि बढ़ी हुई शहरों की जनसंख्या को आवास उपलब्ध कराने हेतु गृह निर्माण सहकारी समितियों ने जन-साधारण को आवास हेतु जयपुर शहर में जमीनों का सस्ते दरों पर आबंटन किया किन्तु इन आबंटियों को जमीन अलाट हुए कई वर्ष बीत गये परन्तु एक न एक कारण से उनके नियमनों में काफी अड़चने आती रहीं। लीज डीड देने का कार्य भी बन्द कर दिया, जो आज तक यथावत है। भू-आवंटियों को इस लीज डीड के अभाव में अपने छोटे-मोटे कर्मचारियों को लोन उपलब्ध नहीं हो सका और जिसके अभाव में वे आज तक अपने मकानों का निर्माण नहीं करा पाये जबकि स्थिति इसके विपरीत यह रही है कि जिन लोगों ने कायदे-कानूनों का उल्लंघन किया और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का सहारा लिया उन लोगों ने तो नियम विरुद्ध अपने मकानों का निर्माण धड़ल्ले से कर लिया जबकि कानून का पालन करने वाला इससे अब तक महरूम ही रहा।

जयपुर शहर में अनेकों बार अखबारों में और विधान सभा प्रांगण में भी इस बात को दोहराया गया कि 439 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके बावजूद भी इन योजनाओं को लीज डीड जारी नहीं की गई जिससे गरीब वर्ग मकान निर्माण करने में बिलकुल असहाय ही रहा। राज्य कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को इससे काफी नुकसान हो रहा है। वर्तमान में लीज डीड के पैमाने भी पूर्ण उलझन में ही हैं। लीज डीड जारी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

करने के कार्य को कभी सरकार अपना अधिकार बताती है तो कभी जयपुर विकास प्राधिकरण और इसी उधेड़ बुन में गरीब तबका बराबर पिसता चला जा रहा है।

वर्तमान सरकार ने अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में इसका सरलीकरण और शीघ्र फैसला करने का वायदा भी किया था और साथ ही विकास शुल्क की राशि को कम करने का मेनीफेस्टो (चुनाव घोषणा-पत्र) में भी जिक्र किया था, किन्तु आज भी स्थिति वहीं की वहीं है।

मैं अपने इस प्रस्ताव के जरिये सरकार से इस बात का पुरजोर आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम स्वीकृत 439 योजनाओं में तो जिन लोगों ने समस्त धन-राशि, रूपान्तरण शुल्क, पैराफेरी चार्जेज, भू-आवंटन, पूरा विकास शुल्क एक मुश्त करा दिया है, उन्हें तो कम से कम लीज डीड जारी की जाय ताकि वे गरीब लोग तो अपने मकानों का निर्माण करा सकें और सरकार यह भी नहीं कर सकती है तो कम से कम यह तो करे कि अधीनस्थ विभागों, बैंकों, निगमों आदि में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके यहां से लोन की सुविधा मिल सके।

आज स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, कि भू-खण्डधारियों के नक्शे भी जयपुर विकास प्राधिकरण ने स्वीकृत कर दिये हैं, भवन निर्माण की इजाजत भी दे दी गयी है लेकिन कुछ विभागों, बैंकों, निगमों आदि में इससे मनमानी करने का मौका मिल गया है। जो भूखण्डधारी नियमों से चलने वाला है और किसी प्रकार की सेवा उन अधिकारी वर्ग की नहीं कर पाता है जो सैक्शन अधिकारी है, उनको तो अब भी लोन नहीं मिल पाता है और जो अधिकारियों की सेवा कर देता है, उनको वे बिना कायदे-कानून भी लोन स्वीकृत कर देते हैं। जयपुर स्थित कुछ बैंकों में तो इजाजत और स्वीकृत नक्शों के आधार पर लोन दे दिया जाता है लेकिन आज भी कई कैसेज में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अधिकारी इस कार्य में अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मर्जीदा लोगों को लोन मिल जाता है बिना कायदे कानून के और मर्जीदा नहीं होने से कायदे-कानून पूरा करने पर भी लोन स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि या तो सरकार उन्हें लीज डीड जारी करे अथवा बैंक, निगमों और विभागों को यह पूर्ण हिदायत दे कि स्वीकृत नक्शे व जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन निर्माण की इजाजत के आधार पर लोन का वितरण सही ढंग से करवायें ताकि लोनिंग संस्थाओं/फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स को अपनी मनमानी करने का मौका न मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अचलाराम जी। (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री। अचलाराम जी आप बैठे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गृह निर्माण सहकारी समितियों की वकालत की, इसकी तो वकालत....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने कर्मचारियों की वकालत की है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उनकी तो नहीं की ना ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, बिल्कुल नहीं की है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात कही है मैं उनके स्पष्टीकरण के लिये बता देऊं कि जिस-जिस भूमि का कन्वर्सन हुआ है, मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही सारा मामला देखा है, जिस जिस भूमि का कन्वर्सन हुआ है, प्रोविजनल कन्र्सन और नियमों और कानून के अनुसार जहां प्रोवीजनल कन्वर्सन हो वहां लीज नहीं दी जा सकती है। अब इसके लिये एक व्यवस्था कर रखी है कि वह कोर्ट में जाकर इस पर सूट फार स्पेसिफिक परफारमेंसेज में, इस नियम से एक सूट फाइल करते हैं। मैंने आज ही जानकारी मांगी है, मैं समझता हूं कि शाम को मुझे मिल जायेगी कि सूट फार स्पेसिफिक परफारमेंसेज के अन्तर्गत कितने मामलों का डिस्पोजल हुआ ? सहकारी समितियां जिससे जमीन लेती हैं, जब तक उसका लीज नहीं बनता है उस समय तक कन्वर्सन प्रोविजनल होता है, और प्रोविजनल कन्वर्सन में लीज नहीं दिया जा सकता, और लीज नहीं दिये जाने के कारण से आप जो समस्या बता रहे हैं वो समस्याएं उठती हैं। अब इस संबंध में क्या व्यवस्था की जाती है हम स्वयं भी विचार कर रहे हैं और यह भी सही है कि कुछ लोगों में जो नियम का पालन करना चाहते हैं उनको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिली और जो लोग नियमों का पालन नहीं करना चाहते या उसकी अवहेलना करते हैं वह किसी न किसी तरह से जोड़ तोड़ बैठाकर सुविधा का लाभ उठाते हैं। इस संबंध में आपने जो सुझाव दिया बैंकों से, उस संबंध में भी बातचीत करूंगा लेकिन बातचीत करने से पहले हम इस सारी स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोविजनल जिन लोगों का कन्वर्सन हुआ है और पट्टे उनको नहीं मिले हैं क्या हम पट्टा दे सकते हैं ? कानून के अन्दर कोई संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है ? यह सारा प्रश्न इतना जटिल है, उलझा हुआ है कि 1981 में रूल्स बने; उन रूल्स के बनने के बाद कई बार तो रूल्स में अमेण्डमेंट हुए, कई बार सक्यूंलर निकल गये, जिनका कोई स्टेच्यूटरी वर्चस्व नहीं है; कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव सक्यूंलर निकल गये, अब आप देख लीजिए कि कितने सक्यूंलर हैं उन सबका अध्ययन करने के बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे। दूसरी बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि कई लोगों ने तो लैण्ड एक्विजिशन एक्ट में जमीनों की कार्यवाही चल रही थी उसका भी कन्वर्सन का शुल्क जमा करा दिया। कइयों ने सरकार की पड़त भूमि का भी जो सिवाय चक है उसका भी कन्वर्सन जमा करा दिया, कई लोगों ने नजूल सम्पत्ति का भी कन्वर्सन जमा करा दिया और उसकी स्कीम बना दी। कई लोगों ने अल्सर एक्ट में आने वाली जमीन का भी कन्वर्सन जमा करा दिया और उसकी भी स्कीम बना ली। मैं इन सारी चीजों को देख रहा हूं कि अल्सर एक्ट में आने वाली जमीन का कन्वर्सन किस प्रकार से एक्सेप्ट हुआ और उसके ऊपर यदि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

योजना बनीं तो जे. डी. ए. ने किस प्रकार से उस योजना की स्वीकृति दी, इसी प्रकार से लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट की कार्यवाही, नजूल सम्पत्ति और सिवाय चक की जमीन पर लोगों ने किस प्रकार से पजेशन किया। आप स्वयं यह मानेंगे कि यह मामला काफी उलझा हुआ है और उस उलझे हुए मामले का हम दो-तीन दिन में निपटारा कर सकें यह सम्भव नहीं है लेकिन आपको विश्वास से कहता हूं कि जिन लोगों ने प्लाट खरीदे हैं उनके हित में, यह सही है कि हाउसिंग क-आपरेटिव सोसायटीज ने प्लाट दिये, लोगों ने प्लाट लिये. उनको किस प्रकार से सुविधा दी जा सकती है उस पर हम विचार करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान लैण्ड रिफोर्म एण्ड एक्वीजिशन ऑफ लैण्ड ऑनर्स एक्ट....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी सही हैं, जिस जमीन के ऊपर भी कन्वर्सन हो गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अचला राम।

श्री अचला राम (देसूरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव में विशेष उल्लेख कर निवेदन है कि गिरासियों का ओढ़, धाणेराव, तहसील देसूरी, जिला पाली में गरासियों, भीलों के लगभग 150 परिवार सदियों से निवास कर रहे हैं। उनका व्यवसाय खेती, पशु-पालन एवं जलाऊ लकड़ी बेचने का है। जहां तक ठण्डी बेरी नाम का एक छोटा बांध सरकार ने उनके छोटे-छोटे खेतों में सिचाई करने व पशुओं व मनुष्यों के पानी पीने हेतु लगभग 32 वर्ष पहले निर्माण कराया था। जिसका उक्त बनवासी उपयोग करते आ रहे हैं। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 5 वर्षों में ठण्डी बेरी बांध को वन विभाग ने अपने अधीन जबरन ले लिया एवं वहां पर मात्र जंगली जानवरों को ही पानी पीने दिया जाता है एवं वनवासियों के पशुओं को न तो पानी पीने दिया जाता है और न ही खेतों में सिचाई हेतु पानी दिया जाता है एवं वनवासियों की पुश्तैनी खेती की जमीन भी गेम्स सैन्चुरी क्षेत्र में ले ली है। इन्हें ठण्डी बेरी बांध का पूरा पूरा उपयोग कराने की व्यवस्था हो. खेती की भूमि गेम्स सैन्चुरी में आ गई है उसे उन्हें वापस दिला कर वनवासियों को राहत दिलावें। उनके जीवन यापन का यही एक मात्र साधन है।

अध्यक्ष महोदय, सैटलमेंट और रेवेन्यू रेपिड के अनुसार 176 हैक्टेयर भूमि है वह रेवेन्यू भूमि है और जब उनको पर्याप्त मात्रा में भूमि दे दी जाय तो 130 हैक्टेयर भूमि उनके लिए पर्याप्त होगी और यह दिलाकर उनको राहत दिलाने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मदन लाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या सम्पूर्ण राजस्थान की समस्या बन गई है, इसलिए 10 वर्षों से इस समस्या को जितनी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए था, उतनी

(श्री मदनलाल सैनी)

गम्भीरता से नहीं लिया गया और इसके कारण से मेरा विधान सभा क्षेत्र गुढ़ा विशेष रूप से प्रभावित हुआ है, महोदय, इस क्षेत्र की समस्या अपने प्रकार की एक अलग समस्या है कुछ इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां भू-गर्भ जल बहुत नीचे है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पथरीला एरिया होने के कारण पुराने बने हुए कुओं का पानी सूख गया है जिन कुओं में थोड़ा पानी है वह भी धीरे-धीरे सूखता जा रहा हैं, महोदय, ऐसे क्षेत्र में या तो पानी की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया ही नहीं गया और कहीं इस सम्बन्ध में कुछ योजनाएं बनी हैं, वे अधूरी हैं। टंकी बनी है तो नल कूप नहीं है, नल कूप बना है तो टंकी नहीं है, टंकी और नल कूप दोनों बने हैं तो उनमें बिजली नहीं हैं, इस तरह से पानी का लाभ नहीं मिल रहा है, महोदय, हैण्ड पम्पों की मरम्मत के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं होने के कारण वह भी बेकार पड़े हैं, कुछ हैण्ड पम्प सूख गये हैं, ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय का ध्यान वहां पानी की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उदयपुरवाटी की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में, दगी जोहड़ी में एक टंकी और नलकूप की योजना की स्वीकृति हुई थी राजनीतिक कारणों से वह काफी लम्बे समय तक अटकी पड़ी रही। मंत्री महोदय से इस संबंध में चर्चा तो हुई है, कार्यवाही करने का उन्होंने आश्वासन तो दिया है। इसी प्रकार से बड़ागांव में टंकी बनी हुई है, पानी है, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं होने के कारण से वहां भी समस्या खड़ी है, मंत्री महोदय से इस संबंध में चर्चा हुई है, आश्वासन दिया है। मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं इस क्षेत्र में ऐसा कुछ एरिया है जहां पर पानी नीचे झरने का आता है, हैण्ड पम्प भी वहां काम नहीं कर पाते, पानी नीचे जमीन में सूख गया है, वहां विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में और बड़ागांव में जो वाजियों की ढाणी है, गुढ़ा है, पोख है, नेवरी, किशोरपुरा, ककराणा, चंवरा, दीपपुरा, कोट, नांगल, बोगोली ये ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पानी 2-2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, वह पानी भी ऐसे क्षेत्रों से लेना पड़ता है जहां कहीं बीच में सिंचाई का एक कुआ है, सिंचाई के कुएं वाले किसान के सामने यह एक बड़ी प्राब्लम है कि वह अपनी फसल को पानी दें या गांव को पानी पिलायें, जबकि उसके कुएं में पानी चढ़ाने के बाद दो-तीन घण्टे में सिंचाई की व्यवस्था का पानी बन पाता है उसमें से पीने वालों को भी यह मना नहीं करता, जिस कारण से पानी पीने वाले भी संकट में हैं और खेत वाला किसान भी संकट में है। इस समस्या का समाधान शीघ्र से शीघ्र इस समय किया जाय, यही मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 19 मार्च, 1990 को केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1990-91 का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत किया गया। बजट भाषण में वित्त मंत्रीजी ने किसानों एवं दस्तकारों के नाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सरकारी बैंकों से रुपये

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

10,000/- तक लिये गये ऋण को माफ करने की घोषणा की है किन्तु बजट भाषण में किसानों एवं दस्तकारों द्वारा राज्य सहकारी बैंकों से लिये गये ऋणों को माफ करने का दायित्व राज्य सरकार को सौंप दिया गया है लेकिन राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों से लिये गये विभिन्न ऋणों के माफ करने के संबंध में किसी तरह की नीति सबंधी घोषणा अभी तक न किये जाने के कारण उन गरीब किसानों एवं ग्रामीणों में भिन्न भिन्न तरह की आशंकायें उत्पन्न हो रही हैं कि किसानों एवं गरीब ग्रामवासियों के रुपये दस हजार तक की सहकारी बैंक की ऋण वसूली की माफी की घोषणा की जायेगी या नहीं अत: ग्रामीण जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इस संबंध में अपनी स्पष्ट नीति बनाकर अविलम्ब घोषणा करें ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके। तथा भ्रम एवं आशंकाओं तथा अफवाहों का निराकरण हो सके, मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बृजलाल मीणा। (अनुपस्थित)

मुखबंद

अनुपूरक अनुदानों की मांगों का पारण

माननीय सदस्यों को मुझे सूचित करना है कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि अनुपूरक अनुदान मांगें आप पास करेंगे और उसके बाद जब वित्त विधेयक आयेगा तब आप बहस करेंगे इस लिये मैं अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1989-90 को मतदान हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 78,46,000 (अठहत्तर लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2 मंत्री परिषद् के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 78,29,000 (अठहत्तर लाख, उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3 सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,68,80,000 (एक

(श्री अध्यक्ष)

करोड़, अड़सठ लाख, अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,61,000 (चौबीस लाख, इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,57,19,000 (एक करोड़, सत्तावन लाख, उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7 निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,22,44,000 (छः करोड़, बाईस लाख, चवालिस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-8 भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 2,89,95,000 (दो करोड़, नवासी लाख, पिचानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9 वन के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,47,20,000 (चार करोड़, सैंतालीस लाख, बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,45,000 (तेरह लाख, पैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-12

प्रश्न यह है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12 अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,77,000 (बहत्तर लाख, सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-13 आबकारी के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,41,85,000 (पांच करोड़, इकतालीस लाख, पिचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14 बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,81,000 (एक करोड़, इक्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000 (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,83,16,000 (इक्कीस करोड़, तिरासी लाख, सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–18 जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,33,000 (इक्कीस लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,46 13.000 (तीन करोड़ छियालीस लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–21

प्रश्य यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,87,81,000 (सात करोड़ सत्यासी लाख इक्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,20,77,000 (तीन करोड़ बीस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,41,000 (एक करोड़ पच्चीस लाख इक्तालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 75,18,24,000 (पिच्चहत्तर करोड़ अट्ठारह लाख चौबीस हजार तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-25 कोषगार व लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 83,78,000 (तिरासी लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,91,67,000 (बाईस करोड़, इकरानवे लाख, सड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,75,93,000 (सत्ताईस करोड़, पिच्चहत्तर लाख, तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000 (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,17,60,000 (दो करोड़, सतरह लाख, साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जन जाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री अध्यक्ष)

2,57,16,000 (दो करोड़, सत्तावन लाख, सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-31 पुनर्वास एवं सहायता के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,65,000 (छप्पन लाख, पैंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,86,000 (पच्चीस लाख, छियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,04,63,000 (एक करोड़, चार लाख, तिरेसठ हजार) तक की राशि और प्रदान जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या-33 स्वीकार की गई।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35 विविध, सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें के संबंध में 31 मार्च,1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,51,76,000 (पांच करोड़,इक्यावन लाख, छिहेत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 35 स्वीकार की गई।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,46,69,000 (एक करोड़, छियालीस लाख, उनहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या-36 स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,74,99,000 (दो करोड़, चौहत्तर लाख, निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या-37 स्वीकार की गई।

मांग संख्या–38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,06,70,000 (चार करोड़ छह लाख सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या-38 स्वीकार की गई।

मांग संख्या-39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–39 पशु पालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,08,09,000 (दो करोड़, आठ लाख, नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या-39 स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,50,32,000 (तीन करोड़, पचास लाख, बत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या-41 स्वीकार की गई।

मांग संख्या–42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,59,79,000 (आठ करोड़, उनसठ लाख, उन्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या-42 स्वीकार की गई।

मांग संख्या-43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43, खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को रुपये 1,000 (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या–43 स्वीकार की गई ।

मांग संख्या–46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,35,85,000 (ग्यारह करोड़, पैंतीस लाख, पिच्चासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या–46 स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,39,000 (सैंतीस लाख उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या–47 स्वीकार की गई ।

मांग संख्या–48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,36,00,000 (अट्ठाइस करोड़, छत्तीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या–48 स्वीकार की गई ।

मांग संख्या–49

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,38,35,000 (तीन करोड़ अड़तीस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या–49 स्वीकार की गई ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

माननीय वित्त मंत्री जी ।

राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1990

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित किये जाने के लिये आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1990 को

(श्री अध्यक्ष)

पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

प्रभारी मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (प्रभारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1990 पर विचार

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी विचारार्थ के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय मैं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछले साल माननीय शिवचरणजी माथुर ने बजट पेश किया था उसमें 3877.96 करोड़ रुपये के रिसोर्सेज का उन्होंने अन्दाजा लगाया था। यह एक्सपेन्डीचर का अन्दाज लगाया था और यह कहा था कि राजस्थान में रेवेन्यू अकाउण्ट में घाटा होता जा रहा है और केपिटल अकाउण्ट से पूर्ति करने के कारण राजस्थान का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है। इस की पूर्ति हम खर्चे में कटौती कर के करना चाहेंगे। बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई। आप बजट भाषण को पढ़ें। मुझे दुःख है अध्यक्ष महोदय, 651 करोड़ रुपये और हम से मांगा है इस साल के खर्चे की पूर्ति के लिये यानि पिछले वर्ष जो खर्चे का अनुमान लगाया गया था उसमें करीब 15–16 पर्सेन्ट के बीच में बढ़ोतरी कर के खर्चा करना चाहते हैं। अभी दो दिन पहले आपने आडिटर जनरल की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी है। रात को हमें मिली है। मोटे तौर पर हमने पढ़ा है। जिस प्रकार से खर्चा किया गया है, जिस प्रकार से जो सरकार की घोषणाएं थी, उनके विपरीत कार्य किया गया है, उसका खुला चिट्ठा है, यह सरकार के सामने है। बजट कोई जोड़ बाकी या मुनीम द्वारा खर्च और आमदनी का चित्र, राज्य विधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया जाये। बजट राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति का एक इन्स्ट्रूमेन्ट होता है। मुझे यह कहते हुए दुःख है कि पिछले लगातार पांच साल से मैं देख रहा हूं कि लगातार रेवेन्यू अकाउण्ट का ह्रास होता जा रहा है और उसकी पूर्ति हम केपिटल अकाउण्ट से कर रहे हैं। नतीजा क्या है, राजस्थान दुर्गति की ओर बढ़ता जा रहा है। कोई पालिसी नहीं है। हमारी सोशल पालिसी क्या हो, हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर

(श्री यदुनाथ सिंह)

किस प्रकार का हो। यह जो टाप ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है उस पर अनाप-शनाप खर्च हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं आपको राजस्थान कैनाल की नजीर देना चाहूंगा। इसको लाइफ लाइन बोला गया है। बड़ी भारी धनराशि खर्च कर दी गई है। 650 करोड़ रुपये के करीब इस पर खर्च हो चुकी है, कितना पोटेन्शियल क्रियेट करना चाहिये था, कितना गेप है, वह हम से आप से छिपा नहीं है। बन गये तो बगले बन गये, रेस्ट हाउसेज बन गये, कारें आ गई, लम्बे चौड़े एडमिनिस्ट्रेटिव तामझाम बन गये, नहीं बनी तो राजस्थान कैनाल नहीं बनी। हमें फिर से विचार करना होगा, राजस्थान की जैसी आर्थिक स्थिति बन गई है, उसमें किस प्रकार से हम यहां की बहबूदी के लिए कार्य कर सकें और राजस्थान कैनाल का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। 66 करोड़ की योजना अब 11 अरब रुपये की योजना है और 1995 में पूरी होगी इसका भी कोई अता-पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल बनाते समय हमें यह सोचना पड़ेगा, कि जो कुछ एक्सपीरियेंस हमारे सामने हैं, उनको देखते हुए इसमें अमेण्डमेंट करना होगा, आगे के सैकिण्ड फेज में देखना पड़ेगा कि हम राजस्थान का जो कल्चर था, जो यहां की सामाजिक व्यवस्था थी, उनको छिन्न-भिन्न करके राजस्थान की इकानोमी बनाना चाहते हैं या जो ट्रेडिशनल राजस्थान की इकोनामी थी उसको डवलप करना चाहते हैं। इसमें हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह जो लिफ्ट योजना है उसके बारे में हमने क्या सोचा है, क्या हम आगे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं? या एनीमल हस्बेण्ड्री को, मिल्क और बटर को डवलप करना चाहते हैं, इस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी हमने जो देखा, बड़े-बड़े खर्चे हैं। स्कूलों का खर्चा आया। यानि लम्बा चौड़ा 73-74 करोड़ रुपया स्कूलों के लिये मांग लिया। अनाप-शनाप स्कूल खोल दिये। न तो वहां स्कूल हैं, न वहां टीचर्स हैं, न बिल्डिंग है, न वहां टाट पट्टियां हैं, न बच्चों के लिये सेनीटेशन का इन्तजाम है। यानि इस प्रकार से खर्चा कर दिया। मैं चाहूंगा, जो हमारी नई सरकार है उससे बहुत सी अपेक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति यह करेगी। हमें यहां वाटर सप्लाई की बात आई। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सी सप्लीमेंट्री डिमाण्ड मांगी है। 23 करोड़ से ऊपर इन्होंने वाटर सप्लाई की स्कीम के लिये मांगा है, इस साल के लिये। मैंने देखा है त्राहि-त्राहि होते हुए। रीजनल स्कीम में पानी नहीं है, हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। कोई किसी प्रकार की व्यवस्था पानी की नहीं होते हुए भी रेवेन्यू अकाउण्ट से खर्चा करके जो बनी हुई है उसकी व्यवस्था भी करने में हम असफल रहे हैं। इसलिये मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में एक वाटर पालिसी बने पीने के पानी के लिये, कि किस प्रकार से हम जो पानी है, हमारे राजस्थान में बूंद-बूंद पानी का किस प्रकार से कंजर्वेशन किया जाय। उस दिन माननीय विश्नोई साहब कह रहे थे, मैं बहुत प्रभावित हुआ और वही एक रास्ता है राजस्थान में पानी की समस्या के निदान का। हमने तो भुगता है उसको और देखा है, हमारे सामने देख रहे हैं हम, भरतपुर में जो सिंचाई प्रणाली बनाई गई थी, 198 बंधे बनाये गये, रूपारेल, बाणगंगा और

(श्री यदुनाथ सिंह)

गम्भीरी नदी पर। उनको बांध नहीं बोलना चाहिये क्योंकि उनकी ऊंचाई है वह 3-3, 4-4 फीट से ज्यादा नहीं है, लम्बाई उनकी 10-15 किलोमीटर है। चेन डेम्स की एक श्रृंखला बनाई गई, पानी को रीचार्ज करने के लिये कि पानी वहां दो-तीन महीने खड़ा रहे। पानी वहां खड़ा रहे तो वाटर टेबल ऊंचा हो, पानी की केपीसिटी बढ़े, उसका मोएस्चर है, मोएस्चर रिटेन हो और पानी की एक बूंद फालतू नहीं जाय। हर गांव को किसी न किसी चैनल से जोड़ा गया था लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जो पीने के पानी के लिये और सिचाई के लिये व्यवस्था की गई थी वह आज केपीटल इन्सेंटिव इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाये जाने के कारण उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और राजस्थान प्यासा मर रहा है। राजस्थान के जैसलमेर की जो पानी के कंजर्वेशन की प्रेक्टिसेज थी वह इतिहास में सबसे पुरानी थीं लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़ी-बड़ी योजनाएं 150-200 किलोमीटर से पानी ले जाने की बन रही हैं उससे राजस्थान की पानी की समस्या का निदान नहीं होने वाला है। इसलिये मेरा निवेदन है और आग्रह है, कि हमारे पुराने जितनी भी तरह के ट्रेडीशनल तरीके थे उनसे भी राजस्थान में पानी लाने का कार्यक्रम किया जाय। मुझे दुःख है कहते हुए कि राजस्थान में पिछले साल एक हजार करोड़ रुपये के जनता पर टैक्स लगाये गये लेकिन उसके बावजूद आप और पैसा मांग रहे हैं। आप खर्चा नहीं चला पा रहे राज्य सरकार का और उन सर्विसेज को चालू रखने का। लेकिन करेंगे क्या आप? आपकी परिकल्पना क्या है? क्या राजस्थान की जनता की जेब काट कर ही हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं? इस हाथ देओ और उस हाथ लेओ उससे काम चलने वाला नहीं है। हमें कड़ाई से कदम उठाने पड़ेंगे कि जो राजस्थान में बकाया है, चाहे वह आर. एस. ई. बी. का बकाया हो, 150 करोड़ से ऊपर बकाया पड़े हैं। हमें कानून में परिवर्तन करना चाहिये हरियाणा में जिस प्रकार से है और कई राज्यों में है कि पहले पैसा जमा करो उसके बाद जैसे इनकम टैक्स के केसेज में आप जाते हैं उस प्रकार से उस पैसे को लेने के लिए लड़ें ताकि राजस्थान की जो अर्थ व्यवस्था चरमरा रही है. जरा-सी बात में हाई कोर्ट में जाकर फैसलों को रुकवाने का काम कर देते हैं, हमारी बिजली की जो भी स्कीम है वह लम्बे टाइम तक स्पिल ओवर होने के कारण हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रुका पड़ा है, बिजली के उत्पादन का काम रुका पड़ा है. जनरेशन का काम रुका पड़ा है। यानि अगर हमें पूरे राजस्थान में हण्ड्रेड पर्सेन्ट इलेक्ट्रिफिकेशन करना है तो तीन हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। कहां से यह गरीब राजस्थान लाने का काम करेगा। इसलिये हमें इकानामिक डिसिप्लीन की जरूरत है। कितनी भी सख्ती करनी पड़े, सैल्स टैक्स पर कितना बकाया है, एक्साइज पर कितना बकाया है? मुझे याद है पिछले वर्ष एक्साइज पर अपन एक बिल में अमेण्डमेण्ट पास कर रहे थे उस टाइम कल्पना यह की गई थी कि इससे इन्सेन्टिव मिलेगा और लोग अपने आप खुद ही जमा पैसा कराने का काम करेंगे। लेकिन उसका नतीजा हुआ क्या? आप भी जिस प्रकार की परिपाटी कांग्रेस

(श्री यदुनाथ सिंह)

डालती चली आ रही है उस पर ही न चलें कृपा करके और इसका एक्सप्लेनेशन दें सदन के सामने कि यह खर्चा जो हुआ है, ज्यादा आप पैसा मांग रहे हैं वह किस के लिये मांग रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि जो पैसा लिया जाय उसको वसूला जाय, उस को देखा जाय।

मैं एम्प्लायमेंट गारंटी के बारे में कहना चाहूंगा। करोड़ों रुपया हमने राजस्थान में अकाल पर खर्च कर दिया। असेट्स क्या बने ? क्या हम गारंटी स्कीम में भी इस प्रकार की स्कीमों को चला कर कोई औषधालय बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं ? अकाल का स्थाई निदान किस प्रकार से हो, मिट्टी का सरकना, मिट्टी का उड़ना, मिट्टी का इधर-उधर जाना किस प्रकार से रुके, इस प्रकार की योजनाओं में इस स्कीम को आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार इकानामिक इनडिसिप्लीन राज्य में फैल रहा है उस पर आप डिसिप्लीन लगाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आशा रखता हूं कि यह सरकार इस ओर कदम बढ़ाने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय बुलाकीदास जी कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सामने जो मुद्दे उठाये हैं, मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं है। पिछली सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन हुआ उससे राज्य को लगभग एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है। स्वयं सदन के नेता महोदय ने और कई माननीय सदस्यों ने यह सदन को बताया है कि नवें वित्त आयोग से भी राजस्थान को काफी लाभ मिला है। इसी तरीके से जो एक्सेस खर्चा हुआ है उसके बारे में बहुत साधारण सी बात है कि पिछले दिनों में कर्मचारियों की तनख्वाहें, उनके महंगाई भत्तों और अकाल में....

श्री यदुनाथ सिंह : और मंत्रिमंडल का विस्तार।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ....भयंकर खर्चा हुआ है उस कारण से खर्चों में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात कि पिछले वर्ष और सातवीं पंचवर्षीय योजना में खास तौर से बिजली, पानी और सिंचाई की योजनाओं पर 60 प्रतिशत से अधिक की राशि व्यय की गई। इससे राजस्थान में एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हुआ। 900 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त जनरेशन राजस्थान में सातवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हुआ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में आप जिक्र कर रहे थे। वहां पहली बार 119 करोड़ रुपये सर्वाधिक व्यय करने की बात कही गई और उसके आधार पर 35 हजार हैक्टेयर से अधिक भूमि पर इरिगेशन का पोटेन्शियल क्रियेट करने का लक्ष्य रखा गया जिससे राजस्थान को काफी लाभ हुआ है। इसी तरीके से सामाजिक सेवाओं के विस्तार के लिये राजस्थान में तीन हजार नये प्राइमरी स्कूल, 1200 मिडिल स्कूल और 672

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल पहली बार खुले जिससे राज्य में जो गांवों में विद्यार्थी ग्यारहवीं के बाद ड्राप आउट हो जाते थे उनको बारहवीं कक्षा पढ़ने के लिये सुविधा गांवों में ही उपलब्ध हुई और उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया। एक अनुमान के अनुसार लगभग पांच लाख लोग प्रतिवर्ष गांवों से जो बारहवीं कक्षा की पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के प्रारम्भ होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसका लाभ गांवों की ग्रामीण जनता को मिला।

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से सदन के नेता महोदय का ध्यान इस ओर भी लाना चाहूंगा कि चिकित्सा और पेयजल से संबंधित योजनाओं में भी काफी राशि व्यय की गई उसका लाभ राजस्थान की जनता को मिला। जहां तक स्कूलों के बारे में माननीय सदस्य ने अभी बातें रखीं, आप निश्चित रूप से इस बात को मानेंगे कि पिछले वर्षों में राज्य के दो तिहाई प्राइमरी स्कूल्स में बैठने के लिये टाट पट्टियां ब्लैक बोर्ड, लाइब्रेरी, खेलने का सामान, विज्ञान के उपकरण, प्राय: प्राय: जिस स्कूल में ब्लैक बोर्ड पढ़ाने के लिये नहीं थे वहां दो तिहाई स्कूलों में इस बात की व्यवस्था की गई।

श्री अध्यक्ष : ऐसा लग रहा है, प्रभारी मंत्री जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक्सेस डिमांड के ऊपर बात आ रही है तो निश्चित रूप से जो मुद्दे....

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक्सेस डिमांड नहीं, सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो हमारे ही मुद्दे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री हीरासिह चौहान : सफाई पेश कर रहे हैं, पिछले पांच साल में कुछ नहीं किया आप लोगों ने।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये,

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं समझता हूं ऐसा पहली बार हुआ है कि दो वर्षों में 6 हजार प्राइमरी स्कूल खुले। अभी चार दिन पहले जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी उस समय यह सदन के नेता महोदय ने चिंता जाहिर की थी कि राज्य साक्षरता की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। हमने इसकी तरफ ध्यान दिया था और 6 हजार प्राइमरी स्कूल खोल कर राज्य के आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्रों, जिनकी आबादी 200 है वहां कम से कम एक प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की गई। सामान्य क्षेत्रों में 250 की आबादी पर कम से कम एक प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की गई। इसका नतीजा आज माननीम सदस्यों को दिखाई नहीं देता लेकिन आने वाले पांच वर्षों में हम यह महसूस करेंगे कि राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से पहले पांच राज्यों में से एक होगा।

एक माननीय सदस्य : पहले से ज्यादा पिछड़ गया है राजस्थान।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 1962 के बाद 25 वर्ष तक इस राजस्थान में कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना....(व्यवधान)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उसके बाद तीन नये विश्वविद्यालय बने। कोटा में इंजीनियरिंग कालेज खुला। मैं चाहता हूं इसी तरह हमारे सदन के नेता आने वाले समय में अजमेर और बीकानेर में नये इन्जीनियरिंग कालेज खोलें। राजस्थान में जो ओटोनोमस कालेजेज हैं उनको विश्वविद्यालय बनाएं और राज्य में प्राइमरी एजूकेशन से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास के कार्य पिछले वर्षों में हुए हैं उनको सतत जारी रखें। साथ ही जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : पूर्व सरकार ने तो कार्य ही नहीं किया.... जहां-जहां स्कूल थे वहां अध्यापक नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : 62 के पहले केवल तीन विश्वविद्यालय थे और 87 तक तीन विश्वविद्यालय थे उसके बाद तीन नये विश्वविद्यालय एक साथ बनाये यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसको आप नकारें तो इनकी मर्जी है।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष जी, आपने अजमेर में विश्वविद्यालय खोला, कहां चल रहा है, कहां बिल्डिंग है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिल्डिंग के लिए पैसे का प्रबन्ध कर दिया गया है उस का शिलान्यास बहुत जल्दी होने वाला है.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बोल लूं उसके बाद इनके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनको समाप्त करने दीजिए। आप इनको पुराना मंत्री क्यों मान रहे हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : "निज वेदन सूं जानिगो, या जग को प्रपंच" यह तो जग का प्रपंच है। वेदना जगी है। अब लगा है, पहले नहीं लगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जो इरिगेशन की स्कीम इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत कोलायत–गजनेर लिफ्ट, साहबा-चूरू लिफ्ट की प्रारम्भ की गई है उनको तेजी से पूरा किया जाय और नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की है उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना हमारे विकास का बहुत बड़ा आधार है। यदि यह नहर परियोजना पूरी हो जाती है तो न केवल अपने प्रदेश को बल्कि पूरे देश को अनाज दे सकते हैं और इसे अनाज के आयातक-निर्यातक प्रदेश के रूप में गिना जा सकता है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम इसके लिए राज्य का 60% से अधिक योजना का हिस्सा इरिगेशन और बिजली के प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करें।

मैं अन्त में अध्यक्ष महोदय, 2–3 बातें निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि राज्य का प्रशासनिक व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है, मैं समझता हूं कि इसकी चिन्ता सारे सदन को होनी चाहिए। प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। प्रशासनिक सुधार और प्रशासनिक व्यय में किस प्रकार से हम कम से कम खर्चा करें। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य का प्रशासनिक व्यय 70% से ज्यादा हो रहा है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप डुबो गये....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब आप सुधार लेना। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं पिछले पांच वर्षों में हमें जो सबसे बड़ा लोगों ने चुनावों में दोष दिया तो इस बात का दिया कि लोगों को हमने रोजगार कम दिया। इसका कारण यह रहा कि हम लोगों ने प्राय: प्राय: नई नौकरियों पर रोक ही रोक लगाये रखी। हमने प्रशासनिक व्यय में बढ़ोतरी नहीं होने दी। आप सुनना ही चाहते हैं तो 77 और 80 में विद्युत मण्डल, राजस्थान में बिना कार्डों के भर्ती की उस समय राज्य सरकार के अन्तर्गत बिना कार्डों के नौकरियां देकर प्रशासनिक व्यय जिन्होंने बढ़ाया वह आज हम से सवाल कर रहे हैं.... (व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिए हम मिल जुल कर कोई ऐसा समाधान निकालें जिससे प्रशासनिक व्यय में कटौती हो। कम से कम ओप्टीमम एक्सपेंडिचर को निर्धारित किया जाय, आदर्शतम व्यय को निर्धारित किया जाय और राज्य के नेचुरल रिसोंसेज जितने भी हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन किया जाय और उनसे अन्तिम उत्पाद बनाने की बात की जाय। आज भी हमारा राजस्थान कच्चे माल का निर्यातक प्रदेश रहा है। हमें चाहिए कि जिस प्रकार से रॉक फास्फेट जो एक सोने की तरह हमारे पास में है उसका बेनिफिसियेशन प्लाण्ट जो लगा हैं उसका उपयोग हो और इसी प्रकार से हमारा जो कच्चे माल का भण्डार है उसका अन्तिम उत्पाद बना कर राज्य के बाहर भिजवायें और इसी प्रकार से भेड़ और ऊन आधारित जितने भी उद्योग हैं उसमें भी आज करोड़ों का कच्चा धागा ऊन का निर्यात किया जा रहा है उसको हम अन्तिम उत्पाद के रूप में उपयोग में लेंगे तो राज्य को इन्कम टैक्स के रूप में, एक्साइज के रूप में होने वाली आय में निरन्तर बढ़ोतरी होगी। राज्य की एक तरफ इन्कम बढ़ेगी वहीं प्रशासनिक व्यय में हम कटौती करेंगे और राज्य को एक अच्छी आर्थिक स्थिति में ला सकेंगे। इसके साथ ही आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह। आप बोलना चाहेंगे तो आपको भी मौका मिलेगा माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का ध्यान कुछ ज्वलंत समस्याएं देश की हैं और पूर्वी राजस्थान की खास तौर से उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज यहां सदन में और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो यहां चर्चा हुई, आम तौर से पीने के पानी की किल्लत के बारे में और सिचाई के बारे में दोनों पक्षों के सदस्यों ने अपनी चिन्ता जाहिर की। लम्बे समय से पिछले कई सालों से जो समस्या है उसके मुद्दों के ऊपर यहां पर काफी चर्चा हुई। काम भी हुए लेकिन समस्या इतनी विकट है, इतनी बड़ी है कि उसका समाधान सरकार कोई बहुत जल्दबाजी के अन्दर और बहुत शॉर्ट टर्म में कर सके यह न तो इस सरकार के लिए सम्भव है, लेकिन इस समस्या का निदान कैसे होगा इस बारे में और पूर्वी राजस्थान की जो उपेक्षा सालों से हुई है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा.... वह राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कोई धौलपुर के मुख्यमंत्री ही नहीं हैं इसलिए उनके हाथ मजबूत करने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के लिए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा अन्यथा आप उनके ऊपर पक्षपात का चार्ज लगाएंगे। इसलिए मैं बेहतर समझता हूं कि मैं अपनी बात कहूं। मैंने इस सदन के अन्दर 74-75 में एक दफा जब माननीय हीरालाल जी देवपुरा सिंचाई मंत्री थे उस समय भी मैंने इस बात को कहा था कि आप उदयपुर डिवीजन को ही राजस्थान न समझें। राजस्थान के अन्दर और जिले भी आते हैं। यह बात रेकार्ड के अन्दर है और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि आजादी के बाद से सिंचाई के मामले में पूर्वी राजस्थान की जो उपेक्षा हुई है उतनी उपेक्षा राजस्थान के किसी दूसरे हिस्सों की नहीं हुई है। पानी की उपलब्धि के बाद भी जिस प्रकार से योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन दूसरे सम्भागों में किया गया। आज आप इन्दिरा गांधी कैनाल को देखें, मैं इसको समाप्त करने की बात नहीं कहता लेकिन आज बहुत बड़ी धनराशि इन्दिरा गांधी कैनाल पर जा रही है। इसी प्रकार से उदयपुर में जो योजनाएं चल रही हैं वहां दुनियां भर का पैसा जा रहा है। मैं मुख्यमंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि सिवाय पांचना बांध के अलावा आपने पूर्वी राजस्थान के अन्दर अलवर, भरतपुर, धौलपुर में कौन सी योजनाएं हाथ में लीं। वह कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं था लेकिन मेरा तो यह कहना है कि किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

इसलिए आज चम्बल नदी का जो जल है धौलपुर के अन्दर वह बेकार जा रहा है। मैं लम्बे समय से मांग कर रहा था, छोटे प्रसें के लिए मुझे राजकीय सिंचाई मंत्री रहने का अवसर मिला था उस वक्त मैंने धौलपुर के अन्दर चम्बल से लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम तैयार करवायी थी। उसके बाद वह महकमा चला गया और जैसा होता है वह भी आज कागज के बस्ते के अन्दर बंधी हुई है। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्रीश्री आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बाह तहसील के अन्दर चम्बल नदी के ऊपर लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम शुरू कर दी है, और जहां तक मुझे जानकारी है अगर हमने चम्बल के इस पानी को शीघ्र उठाना शुरू नहीं किया, शीघ्र उपयोग नहीं किया तो हमको आगे जाकर के इसमें दिक्कत आ सकती है। जिस वक्त योजना बन कर तैयार हुई थी उस वक्त इसके ऊपर 35 करोड़ रुपये की लागत का तख्मीना बना था, आज हो सकता है बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर इसके ऊपर और ज्यादा खर्च आये लेकिन धौलपुर जिले का आधा हिस्सा, पार्वती कमाण्ड के अन्दर कुल 20-22 हजार एकड़ जमीन आती है। आज भी धौलपुर तहसील का सेपऊ तहसील की राजाखेड़ा तहसील का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर पानी नहीं है। अगर आप ने इस चम्बल के पानी का सदुपयोग किया तो निश्चित रूप से उस इलाके की बहबूदी बढ़ेगी। कल ही मैं राजस्व मंत्रीजी का एक बयान पढ़ रहा था कि भरतपुर के लिए पानी चम्बल से उठा कर ले जायेंगे। आज भरतपुर की चिन्ता तो उनको होने लगी है लेकिन जहां से पानी उठायेंगे, जिस जिले से उस जिले का क्या होगा ? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भरतपुर पानी भेजने से पहले आप निश्चित रूप से धौलपुर के हितों का ध्यान रखेंगे, यह मेरी आपसे मांग है, सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फिर यहां पीने के पानी की किल्लत वैसे ही हो रही है। जमीन के अन्दर सब साइल वाटर है उसकी कमी होती जा रही है। अब इसके लिए क्या करें। बड़ी योजनाओं से काम चलेगा। इसका पुराना तरीका यह है कि पूर्वी राजस्थान के अन्दर जहां औसत बरसात पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले में ज्यादा होती है उस पानी को छोटे-छोटे बांध बनाकर, जो पानी नदी में वेस्ट जा रहा है उसको रोकें। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर पिछले कई सालों के अन्दर 5-6 छोटे-छोटे बांध बने हैं। आपके यहां बी.सी. रेश्यो का झगड़ा है उसको समाप्त कीजिये। क्योंकि आज जमीन के अन्दर जो पानी बढ़ेगा उस पानी को रोका जायेगा छोटे बांध बनाकर, माइनर्स, डेम्स के द्वारा जिनकी कीमत 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख आयेगी उससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन आपका बी. सी. रेश्यो का जो झगड़ा है उसको समाप्त करना ही पड़ेगा क्योंकि राजस्थान की बदलती हुए परिस्थितियों में एवरेज रैन फाल हर साल कम होता चला जा रहा है। अगर पानी का स्तर इसी तरह से घटता जायेगा धौलपुर जिले के अन्दर जहां पानी की कोई कमी नहीं थी वहां आज बहुत सारे ट्यूब वैल सूख गये हैं, वहां आज पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत है और सिचाई की बड़ी जबरदस्त किल्लत होती चली जा रही है, वहां पर पानी इतना गहरा होता चला जा रहा है कि वहां पर इंजिनों से पानी का उठना बन्द हो गया है। बिजली की वहां पर कमी है। आखिरी के अन्दर धौलपुर जिला पड़ता है, वोल्टेज की प्रोब्लम आ रही है। हम बराबर आपसे मांग कर रहे हैं कि धौलपुर के अन्दर थर्मल पावर स्टेशन कायम किया जाय। एनवायरमेण्ट के आधार के ऊपर राजस्थान सरकार ने जो योजना भेजी थी उसको भारत सरकार ने माना नहीं और उन्होंने यह कहा कि धौलपुर जिले के अन्दर ही कोई दूसरा अल्टरनेटिव साइट सुझाया जाय। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि थर्मल पावर स्टेशन के लिए जो प्रेजेण्ट साइट है उसको बदलकर आप बाड़ी की तरफ देख लीजिये, कहीं कोई रास्ता निकल सकेगा। अगर यह बन गया तो उससे आपके पूर्वी जिलों में जो बिजली की किल्लत आ रही है उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। दूसरा लाभ आपको जो मिलेगा....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : एनवायरमेण्ट का जो आब्जेक्शन है यह धौलपुर थर्मल पर ही क्यों आता है। मथुरा रिफाइनरीज, दिल्ली में सारे मानुमेण्ट्स हैं, रेड फोर्ट है, वहां रोज नये-नये थर्मल बन रहे हैं और इसकी विण्ड आती ही नहीं, आगरा की तरफ इसकी विण्ड ग्वालियर की तरफ है....(व्यवधान) इसलिए वर्किंग ग्रुप बैठाकर इसको री-एग्जामिन कराया जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसको डिफेण्ड नहीं कर रहा हूं भारत सरकार के एक्शन को बल्कि मैं तो यह मांग कर रहा हूं कि इस पूरे मामले को आप देखें। इस मामले के अन्दर हम और आप दोनों एक हैं। हम चाहते हैं कि धौलपुर के अन्दर थर्मल पावर स्टेशन लगे। जो मैं आपसे बात कह रहा था कि वहां पर थर्मल पावर स्टेशन लगने के बाद वहां अवेलिबिलिटी बिजली की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बढ़ेगी क्योंकि आज आगरा के अन्दर, मथुरा के अन्दर कोई बड़ी इण्डस्ट्री का लाइसेंस आप दे नहीं रहे हैं। यहां तक कि आगरा का जो मशहूर फाउण्डरी उद्योग है, आज वहां नयी यूनिट्स लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अगर वहां पर बिजली की उपलब्धता बढ़ जाय धौलपुर के अन्दर तो धौलपुर के अन्दर नये उद्योग लग सकते हैं और जो बेकारी है, बेरोजगारी का आलम है उसमें भी उसको दूर करने के अन्दर, बेरोजगारी मिटाने में काफी सहायता मिलेगी। सम्माननीय मुख्यमंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक सिंचाई का सवाल है। आज सिंचाई को आपको ड्रिंकिंग वाटर से जोड़ना पड़ेगा। आज छोटे बांध बनाने के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो आपका कन्सेप्ट है इस वक्त इरिगेशन का वह मेरी राय में यह होना चाहिये कि जितना बरसात का पानी हैं या जिन जिलों में ज्यादा बरसात होती है वहां उस पानी को किस प्रकार से रोका जाय। हालांकि सुझाव कहने के अन्दर बड़ा आसान है। इसके अन्दर भी काफी बड़ा रुपया खर्च होगा। संसाधनों की कमी है। संसाधनों को आप कैसे बढ़ायेंगे। बड़ा जोखिम भरा काम है। अभी नयी सरकार ने दुनिया भर का टैक्स बढ़ाया है उस स्थिति में आप कितना टैक्स और जनता के ऊपर लाद सकेंगे यह आपका एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन उसके लिए एक उपाय यह है कि जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोंसिज हैं उसके अन्दर जो लीकेज है, खास तौर से लीकेज मिनरल रिसोंसिज में। जो खनिज विभाग है उससे निश्चित रूप से आमदनी बढ़ायी जा सकती है। आज ही मैं माननीय खनन मंत्रीजी का वक्तव्य भीलवाड़ा में जो दिया है वह पढ़ रहा था। उन्होंने खुद माना है कि अवैध खनन हो रहा है। निश्चित रूप से इसको कहते भी हैं, हमेशा से कह रहे हैं। अगर उसको आप जितना मिनीमाइज कर सकते हैं जिसके जरिये जितनी आमदनी बढ़ायी जा सकती है तो निश्चित रूप से कुछ संसाधनों की बढ़ोतरी होगी राजस्थान के अन्दर और सरकार को नयी योजनाएं हाथ में लेने के अन्दर सुविधा रहेगी।

इसी प्रकार से सैल्स टैक्स का सवाल है। हमारे पड़ौसी राज्य के अन्दर ग्वालियर के अन्दर हर साल एक आटोमोबाइल मेला लगता है और दुनिया भर की करोड़ों रुपयों की वहां, अखबार में आता है कि वहां 50 करोड़ की गाड़ियां बिक गयी, कहीं 70 करोड़ रुपये की गाड़ियां बिक गयी। सारे राजस्थान के लोग गाड़ियां वहां से खरीद कर लाते हैं। एक गाड़ी के ऊपर 5 हजार रुपया, सात हजार रुपया बचता है। सम्माननीय मुख्यमंत्रीजी यहां के व्यापारियों को घाटा होता है। टैक्स की चोरी होती है। गाड़ी खरीदने से आप रोक नहीं सकते। आपको ट्रांसपोर्ट के अन्दर जो रोड टैक्स मिलता है उसका भी नुकसान होता है। तो आप राजस्थान में कोई इस प्रकार की सुविधा देकर इस प्रकार के आटोमोबाइल मेला अरेन्ज करके आमदनी बढ़ा सकते हैं। राजस्थान के लोग बाहर मेले के अन्दर जाते हैं वहां से गाड़ियां खरीद कर लाते हैं थोक के भाव। आज आपको मध्य प्रदेश के नम्बर की गाड़ियां राजस्थान में हजारों की संख्या के अन्दर मिल जायेगी और जयपुर तक भी गाड़ियां आ रही है। तो आप इस

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तरफ ध्यान दें। वहां पर वे लगवाते हैं तो आप क्यों नहीं यहां पर लगवा सकते जिससे लोगों को फायदा मिले। धौलपुर में लगाइये, जयपुर में लगाइये, सारे राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा। तो मेरा यह सुझाव आपको आमदनी बढ़ाने के बारे में हैं।

इसी प्रकार से आज धौलपुर की जो जलदाय योजना थी। आज धौलपुर जैसे जिले में चम्बल बगल के अन्दर बह रही है, नीचे चम्बल बह रही है, गर्मी के अन्दर भी काफी पानी मौजूद रहता है उसके बाद भी डांग के इलाके में, धौलपुर में एक डांग इलाका है, धौलपुर शहर में आज पानी की किल्लत है, काफी महसूस की जा रही है। उसका एकमात्र कारण यह है कि धौलपुर शहर के अन्दर अगर आप दो वाटर टैंक बना दें तो वहां की समस्या का निदान हो सकता है। इसी प्रकार बाड़ी के अन्दर, इसी प्रकार राजाखेड़ा के अन्दर पानी की किल्लत काफी है। इस वक्त में पीने के पानी के लिए लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। जो डांग इलाका है वहां गर्मी के अन्दर सारी मवेशी, सारे आदमी माइग्रेट करके या तो धौलपुर तहसील राजाखेड़ा के अन्दर आ जाते हैं। तो आपकी पानी की व्यवस्था होते हुए भी लोग प्यासे मर रहे हैं इस व्यवस्था को आपको करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या और आ रही है कानून व्यवस्था की हालत किसी दिन भी खराब हो सकती है। हमारे यहां सूखे के अन्दर भेड़ें आती थी पश्चिमी जिलों से। पर मेरी समझ में नहीं आता जबकि वहां के लोग खुद तंग हो रहे हैं, वहां की मवेशी परेशान हो रही है फिर भी भेड़ों का आवागमन होता है। इसके बारे में आपको निश्चित रूप से पोलिसी, पिछले साल अच्छा जमाना था, हम समझते थे कि अकाल की वजह से, चारे की कमी की वजह से मवेशी, भेड़ें पशुपालक लाते हैं तो हमारी सहानुभूति थी लेकिन अब तो वहां पर लड़ाई झगड़े की स्थिति, गोलियां चलने की नौबत आती जा रही है। अच्छा जमाना हो तब तो नहीं आये। इसको तो आपको रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी अन्यथा यह कानून की अव्यवस्था होती चली जायेगी। माननीय मुख्यमंत्रीजी, आपके पास गृह विभाग भी है। आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा, आज प्रश्न आया था तब यह प्रश्न मैंने पूछा नहीं वहां पर। जहां सवाई माधोपुर धौलपुर जिले के अन्दर एक प्रकार की नई डकैतियां शुरू हो गई हैं। वहां पर जिनकी खानें चल रही हैं, वहां पर कुछ बदमाश जाकर उनके मजदूरों को धमकी दे देते हैं, जो माइन्स में लगे होते हैं, वे गरीब होते हैं, वे एस. सी. या एस. टी. के लोग लगे हुए हैं, जो कि पैसा एडवांस लेकर माईनिंग का धंधा करते हैं, उनको धमकी दे दी कि काम बंद कर दो और उसके बाद भी काम चालू रखा, दो चार चांटे मार दिये, पिटाई कर दी और उसके बाद में वह पैसा मालिकों से वसूल करते हैं। इसके रोक थाम की काफी कोशिश की गई, पूर्व में सफलता भी मिली, लेकिन इतना बड़ा इलाका है करौली और सरमथुरा का, बाड़ी तक यह आता है, यह बीमारी वहां पर फैलती जा रही है और बड़ा आसान तरीका वहां पैसा पैदा करने का शायद बदमाशों का हो गया है। मुझे

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पूरी उम्मीद है कि आप इसकी तरफ ध्यान देकर निश्चित रूप से कुछ कारगर कदम उठायेंगे क्योंकि अब धौलपुर का सवाल इसलिये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि आप वहां से चुनकर आये हैं। उस जिले के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति, वैसे तो सारे राजस्थान के प्रति आपका उत्तरदायित्व है, लेकिन जिस जिले से आप निर्वाचित हुए हैं, उस जिले के प्रति आपका उत्तरदायित्व थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मैं यह नहीं कहता कि आप कोई सारे ही काम वहां पर कर देंगे, लेकिन आप....

श्री यदुनाथ सिंह : मॉडल होना चाहिये डवलपमेंट का।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, बिल्कुल सही। मैं आपकी बात से सहमत हूं नदबई से आने वाले माननीय सदस्य। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर आपसे कुछ बात कही।

अब एक बात आपसे और निवेदन करना चाहता हूं। प्रशासनिक खर्चा बढ़ा है। चाहे वह महंगाई भत्ते के रूप में बढ़ा हो, पे रिवीजन के कारण बढ़ा हो, कई एक्सेस पोस्ट क्रियेट करने के कारण बढ़ा हो, हम किस सीमा तक इसको ले जाना चाहते हैं क्योंकि भारत सरकार की तरह, यहां फार्मूला तय हो गया है, भारत सरकार डी. ए. बढ़ायेगी, आपको भी डी. ए. बढ़ाना पड़ेगा। सारे प्रान्तों के वेतनमान समान हो गये तो अब तो आपके पास अभी बचने का रास्ता नहीं है, इसलिये इस ट्रेप में आप बुरी तरह से, सारे राज्य जो हैं, फंस गये हैं। उनके पास तो नोट छापने की सेक्योरिटी प्रेस है, सात आठ हजार तक के डेफिसिट को देखते हुए, बर्दाश्त कर सकते हैं, स्टेट कहां से बर्दाश्त करेगी। आज स्टेट रेवेन्यू का 70 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के वेतनमान, पेंशन और भत्तों के अन्दर जा रहा है, अब फिर कहीं न कहीं बोनस की प्रक्रिया शुरू हो गयी। इस मामले में मेरी निजी राय है, जो मैं कह रहा हूं वह कांग्रेस पार्टी की राय नहीं, कि इस मामले में तो अब आपको कहीं न कहीं रोक लगानी पड़ेगी क्योंकि किस कीमत पर आप सबको सुविधायें देना चाहते हैं। क्या समाज के अन्दर आप एक अलग वर्ग पैदा करना चाहते हैं? एक तरफ हम गरीबी की बात करते हैं। एक तरफ आप अन्त्योदय योजना आरम्भ करने की बात करते हैं, गरीब को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन सारा पैसा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का बहुत कठिन और बहुत कड़वा काम है। सरकार ने बढ़ाया, चारों तरफ बुराई हो रही है। तो मैं आपसे इतना

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ही कहूंगा कि इस बारे में मेरे कुछ विचार थे। लेकिन चूंकि माननीय अध्यक्षजी ने घंटी बजा दी है इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे मेरा सिर्फ यही निवेदन है। आप मेरी जो भावना थी, मेरा जो मन्तव्य था, निश्चित रूप से समझ गये होंगे कि कहीं न कहीं इसको रोकना पड़ेगा अन्यथा राजस्थान के विकास की कीमत पर राजस्थान की गरीब जनता की कीमत पर एक नया वर्ग आप खड़ा कर रहे हैं और आपसे जो उम्मीदें हैं, जो आपसे आकांक्षायें हैं जन प्रतिनिधियों से, हम लोग भी चुनकर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आये हैं, आप भी चुन कर आये हैं, आपने कुछ वादे किये हैं, आपने काम की बात कही है कि इसको मौलिक अधिकार बनायेंगे काम के अधिकार को अगर पैसा ही नहीं होगा तो काम के अधिकार को कागज पर मौलिक अधिकार बनाने से होगा क्या ? आप कहते हैं कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में डालेंगे, पैसा आपके पास है नहीं, आपकी जान को और हत्या हो जायेगी। लोग कहेंगे काम लाओ, आपके पास काम नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप करेंगे क्या ? आप कैसे करेंगे इतनी बड़ी चीजें ? फिर मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी, आज नेशनेलाइज्ड बैंक के लोन्स को तो माफ करने की बात हो गयी। एक हजार करोड़ रु० का टोकन प्रोविजन कर दिया, जैसा आपने कहा कि शुरुआत तो की। अब को-आपरेटिव लोन्स के लिये आप क्या करेंगे ? क्या उस एक हजार करोड़ रु. में से सारे हिन्दुस्तान के स्टेटों को शेयर मिलेगा ? आप उसको राइट आफ कैसे करेंगे दस हजार को ? जो आपके को-आपरेटिव सेक्टर के लोन हैं, क्योंकि इस वक्त को-आपरेटिव बैंक की वसूली शुरू होने वाली है। आपके पी. एल. डी. वी. की शार्ट टर्म्स लोन्स की और लांग टर्म्स लोन्स की वसूली शुरू होने वाली है। आप इसका क्या करेंगे ? किसान तो यह मान बैठे हैं कि 10 हजार रुपये उनके माफ हो गये, देने की जरूरत नहीं हैं। बैंक की गाड़ियां, बैंक के अधिकारी लौट कर आ रहे हैं। दूसरी बात, इसका भी आपको पुख्ता इन्तजाम करना पड़ेगा कि हैबिच्युअल डीफाल्टर की डेफिनिशन कौन तय करेगा, इस मामले का फैसला कौन करेगा, अन्यथा एक ऐसी ताकत सरकारी अधिकारी और बैंक के कर्मचारियों के हाथों में दे देंगे आप कि वह मनमानी करेगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ने की सम्भावना है। लोगों के मनमानी करने की सम्भावना है, पॉलिटिकल डिस्क्रीमिनिशन होने की सम्भावना है, इसके अन्दर कि मेरे लोग हैं उनका माफ नहीं होगा, किस ओर कितने लोग हैं, उनका माफ किया जायेगा। तो इसके लिये भी आपको पुख्ता इन्तजाम करना पड़ेगा जिससे लोगों के अन्दर डिस्क्रिमिनिशन नहीं हो सके। इसके अन्दर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मामले में भी जो को-आपरेटिव के लोन्स आउटस्टेंडिंग हैं, इसके बारे में आपकी क्या नीति है, इसका आज खुलासा करेंगे जिससे कि हम किसानों को बता सकें कि जो दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ हुए है, जो किसान यह मान कर बैठ गये हैं कि चाहे वह बैंक का हो, चाहे वह को-आपरेटिव का हो, ये कर्जे माफ कर दिये गये हैं तो इन सब बातों के संग जो कुछ मेरे सुझाव थे, मैंने आपके मार्फत सरकार को दिये हैं, मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर में इनकी ओर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शिवकिशोर सनाढ्य। आप थोड़ा संक्षेप में बोलें, क्योंकि अभी एक दूसरा विनियोग बिल आयेगा, बोलने के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल जो बात सदन में कही जा रही थी, उसके परिप्रेक्ष्य में ही कहना चाह रहा था कि यह जो

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

शिक्षा पर धन खर्च करने की बात कही गयी, करोड़ों रुपये इनको ब्लैक बोर्ड आपरेशन में केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने और फाइनेन्स के लोगों से मिल कर के इन सब, सारे बिक्री करने के बाद में जो धन भेजा, जो सामान भेजा है, वह सामान इतना खराब और उसमें इतनी बेईमानियां हुई हैं, मैं सदन के नेता से निवेदन करूंगा कि वह उसके संदर्भ में यदि पूरी जांच करायी जाये तो वह पता लगेगा। हम लोगों ने निवेदन किया था उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे, आचार्यजी, से। उन्होंने कहा मैं इसकी जांच करा रहा हूं। मुझे भी ऐसे सबूत मिले हैं कि इसमें प्रशासनिक बेईमानियां हुई हैं, इस सारे ब्लैक बोर्ड आपरेशन का सामान खरीदने में। उस समय माननीय कल्ला साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन उस समय भी मैंने उनको कहा था कि क्योंकि आपका एक एजुकेशन मिनिस्टर आपके ही दल का, इसमें संलग्न है, आप यह जांच नहीं करा पायेंगे। तब उन्होंने बहुत विश्वास के साथ कहा था कि मैं तो नियमों में विश्वास रखता हूं, मैं तो एडवोकेट हूं, इसलिये मैं जांच कराऊंगा। लेकिन वह नहीं हुई। मैं सदन के नेता से निवेदन करूंगा उस ब्लैक बोर्ड आपरेशन में जो पैसा मिला है, उसकी जांच होनी चाहिये। मैं उसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले छः महीने से उन टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली है। उन टीचर्स की तनख्वाह भी दिलवाने का प्रबन्ध इस मार्च के महीने में होना चाहिये और जिन विद्यालयों के अन्दर अब तक टीचर्स पहुंचे नहीं, केवल हायर सैकण्डरी का नाम सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय रख देने से वहां 12वीं क्लास नहीं खुल गयी। उसमें टीचर्स का प्रबन्ध नहीं किया गया और उसकी वजह से आज बोर्ड के जो इम्तिहान होने वाले हैं अप्रैल के अन्दर, वह जो लड़के फैल होने वाले हैं, वह उन लोगों का दोष होगा, जिन लोगों ने केवल नाम तो बदल दिये, लेकिन वहां पर शिक्षकों का प्रबन्ध नहीं किया। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी से मिडिल स्कूल तो बना दिये गये, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक क्षेत्रों में उनको खोलने में जिस तरीके से शिक्षा के जो नियम बने हुए हैं, विद्यालय क्रमोन्नति के जो नियम बने हुए हैं, उनका उल्लंघन किया गया है, उनको फिर से रिवाइज किया जाना चाहिये और जहां आवश्यकता है, उन क्षेत्रों में वे विद्यालय खोले जाने चाहिये।

मैं चिकित्सा पर भी, क्योंकि हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 60 प्रतिशत बजट का खर्च गरीब पिछड़े हुए गांवों के अन्दर करना चाहते हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो डिविजनल हैडक्वार्टर पर मेडिकल कालेज हैं या वहां पर जो हास्पिटल हैं, हमारा जो उदयपुर का क्षेत्र है, वह कम से कम ट्राइबल का एक पूरा क्षेत्र है और वहां पर गरीबी जिस सीमा तक है, वहां लोगों को पर्याप्त भोजन भी नहीं प्राप्त होता है, उनको चिकित्सा तो कहां से प्राप्त होगी ? कम से कम डिवीजन हैडक्वार्टर्स पर जो मेडिकल कालेज हैं, उन मेडिकल कॉलेजेज को स्ट्रेन्थन करने की अधिक से अधिक कोशिश की जानी चाहिये ताकि वे वनवासी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

लोग वहां उसका लाभ ले सकें। शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों ऐसे प्रमुख साधन है; माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनकी तरफ इस राज्य की सरकार का ध्यान जाना चाहिये, यही मैं निवेदन करना चाहता था, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय सप्लीमेंट्री ग्रांट पास करने का प्रश्न आता है, मूल प्रश्न यह है कि हमारी वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था क्या है ? 651 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी गई है, वह 700 करोड़ भी हो सकती थी, 500 करोड़ भी हो सकती थी। कहीं पर यह तो बात होनी चाहिए सरकार के सामने, जो प्रशासन को यह बता सके कि इससे ज्यादा आप नहीं जा सकेंगे और इन मदों में इतना जा सकेगी और इन मदों में इतना नहीं जा सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की बात इस सदन में आई और बताया गया कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर वह पूरा होना था, सातवीं में भी नहीं हुए। जब एक तरफ 651 करोड़ रुपये हम और इसी वर्ष ही नही, पिछले पांच वर्ष के अन्दर किसी साल के अन्दर 500 करोड़, किसी साल के अन्दर 800 करोड़ मांग रहे हैं और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाय और उसके अन्दर प्रावधान नहीं किया गया और उसके ऊपर कहीं सप्लीमेंट्री ग्रांट भी नहीं मांगी गई। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्लान्ड वर्क्स तो अधूरे रह जाते हैं उनको तो पूरा नहीं किया जाता उसी साल के अन्दर और सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग कर दूसरे जो बेकार के खर्चे हैं उन पर खर्च कर दिया जाता है। प्लान्ड वर्क्स के अन्दर भी-कम्पलीटली अनप्लान्ड तरीके से, इम्बेलेंस तरीके से, एडहॉक तरीके से, हेफ्जर्ड तरीके से खर्च किया जाता है। मैं न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम के बारे में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा में केवल मात्र एक सड़क बची है, बांसवाड़ा में केवल मात्र तीन बची हैं और अलवर में 33 बच गई। यदि न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम के बारे में पूरे राजस्थान में बराबर तरीके से ध्यान दिया गया होता तो ऐसा क्यों होता कि अलवर में 33 बच गई ? थानागाजी में एक नाथूसर पंचायत समिति हैड क्वार्टर है जो थानागाजी से कुल मिलाकर डेढ़ किलोमीटर दूर है, पंचायत हैड क्वार्टर को छठी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम के अन्तर्गत डेढ़ किलोमीटर सड़क का न तो कभी सर्वे हुआ, न कोई प्लान किया गया, न सोचा गया और इस प्रकार से हमारे पास में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात आ जाती है, प्रशासन खर्च कर देता है, यहां पर कुछ चर्चा हो जाती है, हम अपनी भड़ास निकाल देते हैं और लोगों को पता है पास तो होगा ही, रबर स्टाम्प तो लगानी ही पड़ेगी यहां पर। इसकी कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ ? भीलवाड़ा में तो सिर्फ एक बच गई और अलवर में 33 बच गई और दूसरी जो ज्यादा बची हुई हैं वह भी किसी पूर्वी राजस्थान की हैं, जयपुर के अन्दर 74 बची हुई हैं।

मैं एक और दूसरी बात आपसे निवेदन

(श्री रमाकान्त शर्मा)

करना चाहूंगा, जब हम कैपीटल के अन्दर सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगते हैं तो कैपिटल एक्सपेन्डीचर का अर्थ होता है उस खर्च से सारे के सारे लोगों की पर केपिटा आय में उस अनुपात मे वृद्धि होनी चाहिए और राज्य सरकार की आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। जब कैपिटल में एक्स्ट्रा ग्रांट मांगते हैं तो कहीं तो यह बताना चाहिए सदन को, किसी न किसी ओर से, वित्त मंत्री महोदय बतायें कि इतना कैपिटल के अन्दर एक्सपेण्डीचर मांग रहे हैं तो राज्य सरकार को कौन सी इससे अधिक आय होने वाली है, आज नहीं तो कल होने वाली है, दो वर्षों में होने वाली है और पर-कैपिटा इन्कम के अन्दर कौन सी वृद्धि होने वाली है ? जब भी हम बजट बनाते हैं तो बजट का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम इतना रुपया खर्च करेंगे तो राज्य सरकार की आय के अन्दर यह तो वृद्धि होगी और साथ-साथ एम्पलॉयमेंट जनरेशन यह होगा। अब एक्स्ट्रा खर्च किया जा रहा है और स्थिति यह है कि पिछले पांच वर्ष के अन्दर एम्पलॉयमेंट में वृद्धि तो मेन बजट से भी नहीं हुई। तो कम से कम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं उससे तो बताना चाहिए कि एम्पलॉयमेंट जनरेशन के अन्दर यह वृद्धि होनी है। हमारी न तो पर कैपीटा आय में वृद्धि हो, न एम्पलॉयमेंट जनरेशन हो, न प्लान्ड् वर्क पूरे हों और जो प्लानिंग की जाय वह सारी की सारी हेपेजर्ड हो तो इस प्रकार की जो अर्थ-व्यवस्था है, मैं समझता हूं, आपके द्वारा वित्त मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आगे तो हम साइन्टिफिक मैनेजमेंट व्यवस्था कायम करें ताकि इस प्रकार का अपव्यय न हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी। अभी एक दूसरा विनियोग बिल और आयेगा जिसमें आप लोगों को भी मौका दूंगा बोलने का.... अभी आपको बोलने का मौका मिलेगा, आज ही मिलेगा, अभी मिलेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स हैं उसके बारे में मेरा दृष्टिकोण यह है कि जो पिछली सरकार थी, जिसके बारे में शायद सत्ता पक्ष की ओर से आलोचना ज्यादा हुई है और यह देख कर खुश हुए हैं कि इसका जो पैसा बढ़ाया है, डिमाण्ड्स बढ़ाई है उनको खर्चा पूरा करने के लिए, वह उनकी गलियां हैं। मैं सबसे पहली बात यहाँ सदन को आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि जब तक हम पूरी इस व्यवस्था पर गौर नहीं करेंगे कि हमारा जो एक्सपेन्डीचर है वह किस तरह से होता है और हमारी आय क्या है ? वास्तव में राज्य सरकार के पास जो स्रोत हैं, जो राजकीय उपक्रम हैं, जो राज्य सरकार खुद फैक्ट्रियां चलाती है, कोई संस्थान चलाती है उसकी क्या स्थिति है ? वास्तव में जिस संस्थान को, जिस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हमें साल में डेढ़ सौ-दो सौ करोड़ रुपये कमाकर देने चाहिए वह संस्थान इस तरह की बुरी हालत में है कि वह हमसे पैसा मांगता है। यहां जो डिमाण्ड्स की गई है उनसे स्पष्ट पता लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसका राजस्थान

(श्री हेतराम बेनीवाल)

के उद्योगपति ज्यादा उपयोग करते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग उपयोग करते हैं जो उसका खर्चा दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि छोटे-छोटे जो कन्ज्यूमर्स हैं, हाउस कन्ज्यूमर्स हैं उनसे तो वसूली कर ली जाती है और जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उनके खिलाफ आउटस्टेण्डिंग पड़ा है, उन पर मुकदमें चल रहे हैं। तीस-तीस, चालीस-चालीस लाख रुपये उनको माफ किये जाते हैं। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पूरी व्यवस्था है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी देता है वह सुविधा देने में भी बड़े उद्योगपति को, बड़े जमींदार को देते वक्त जो उस पर खर्च करते हैं वह खर्चा इतना ज्यादा है कि किसी भी कीमत पर उनसे वसूली होती है दस-पांच साल तक, उससे पूरा नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारी जो योजनाएं हैं, खास तौर से इरिगेशन योजनाओं के बारे में कह सकता हूं– राजस्थान कैनाल जब बनी थी तो शुरूआत इसकी इस बात से थी कि 168 करोड़ से पूरी होगी और वह योजना जो 168 करोड़ रुपये में पूरी होनी थी कभी, वह 650 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी और आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हाउस को यह नहीं कह सकते हैं कि किस साल में राजस्थान कैनाल पूरी हो जायेगी और जो 1100 करोड़ की बात है, मैं इसको सही नहीं मानता। मैं यह कहता हूं। जो राजस्थान की आर्थिक स्थिति चल रही है, देश में जो मुद्रा स्फीति है उससे ऐसा लगता है कि यह 1100 करोड़ ही पूरा नहीं होगा, हो सकता है इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाय। इसी तरह से हमारे यहां जो दूसरी कैनाल्स हैं और उनमें जिस तरह से पानी को उपयोग करने के तरीके बन रहे हैं, मैं समझता हूं उस तरीके से ऐसा महसूस होता है कि योजनाएं बनाने में जहां उसका उपयोग किया जाय, उपयोग करने की बजाय राजनीतिक इच्छा ज्यादा है, राजनीति के दबाव में हमको

(1.47 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

कहीं पानी देना है, एक जगह पानी देने के लिए हम करोड़ों रुपये खर्च करेंगे और उसका आउटपुट हमारे सामने कुछ नहीं होगा। इसी तरह की योजनाएं मैं समझता हूं, तीन-चार योजनाएं बन चुकी हैं, अमल में आने वाली हैं और उन पर जो अमल होगा तो निश्चित तौर से राजस्थान की आर्थिक स्थिति और खतरनाक होगी।

दूसरा, जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें रखा गया, वह यह है कि जो प्रशासकीय खर्चा है वह 70 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। हमारा प्रशासकीय ढांचा क्या है, जो हमारी पिछली सरकार गई उसने प्रशासनिक खर्चे में कटौती के लिए एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई, उन्होंने इरिगेशन में उस खर्च को कम करने के लिए किसी इंजीनियर को नहीं हटाया, किसी सैक्रेट्री को नहीं हटाया, किसी बड़े अधिकारी को नहीं हटाया, उन्होंने नीचे के पांच हजार कर्मचारियों को निकाल दिया। वित्तीय ढांचे को सुधारने के लिए प्रशासन में सुधार करने के लिए हमारी पहले की सरकार का दृष्टिकोण यह रहा कि पांच हजार छोटे-

(श्री हेतराम बेनीवाल)

छोटे कर्मचारी, जो इरिगेशन सिस्टम को सम्भालते हैं, हमारे इरिगेशन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं, बेलदार हैं, मिस्त्री हैं, उन सब की पांच हजार की छंटनी कर दी। इसी प्रकार से पी. डब्लू. डी. और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में छंटनी हुई। मैं सदन से एक मांग करना चाहूंगा कि हमारे प्रशासकीय ढांचे की पूरी तरह जांच की जाय, क्या आवश्यकता है, क्या हमारे पास सैक्रेट्री हो, डिप्टी सैक्रेट्री हो, असिसटेण्ट सैक्रेट्री हो और जोइंट सैक्रेट्री हो ? आप समझते हैं, सिर्फ तनख्वाह का सवाल नहीं – इन चारों के लिए बंगले चाहिए, इन चारों के लिए कारें चाहिए, इन चारों के लिए और खर्चा चाहिए। इसी तरह से जिलों में जो हमारा प्रशासन है उसकी भी यही स्थिति है। एक जिले में डिस्ट्रिक्ट कलक्टर है और तीन-तीन ए.डी. एम. हैं। किसी जिले में चार ए.डी.एम. हैं और उसके साथ असिसटेण्ट कलक्टर। एक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में, मैं जानता हूं गंगानगर के बारे में, एक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर चार असिसटेन्ट कलक्टर बैठे हैं, तीन ए. डी. एम बैठे हैं, एक कलक्टर है। आप यह समझिये कि उनका खर्चा सिर्फ तनख्वाह नहीं है, उनके पास चार-चार, तीन-तीन बीघा की कोठियां हैं, उनकी मेन्टीनेन्स के लिए माली है, उनके लिए कारें हैं, उनके लिए और इन्तजाम हैं। इस तरह की जो व्यवस्था हम ने बना रखी है, हम अगर वास्तव में चाहते हैं कि प्रशासनिक खर्च कम हो, निश्चित तौर पर एक डिमाण्ड यहां पर आयी है पुलिस की और सबसे बड़ी शायद डिमाण्ड यही है। 21 करोड़ इसमें खर्च हो रहा है। वास्तव में पुलिस पर जो खर्चा हो रहा है। शायद हमारी हालत है उसके हिसाब से और बढ़ेगा। यह सत्ता चाहे विरोधियों के हाथ में आ गयी हो, चाहे उम्मीद करें कि जनता उनके साथ रहेगी लेकिन उसके बावजूद हमारे राजस्थान की स्थिति इस तरह की होती जा रही है, हम इस तरह के बोर्डर से घिरे हुए हैं, यह खर्च हम पर पड़ेगा, इस खर्च को घटाने के लिए निश्चित तौर पर हम को चाहिए बोर्डर का इलाका होने के कारण ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि सी.आर.पी. और दूसरी संस्थाएं हमको सहयोग करें। हम अपनी पुलिस को बढ़ाने के बजाय उनका सहयोग लेकर यह व्यवस्था करें। मैं यह मांग करता हूं आपके द्वारा सदन से कि निश्चित तौर पर यह जो पुराना खर्चा हुआ है उसकी पूरी व्यवस्था नयी सरकार करेगी और इस बात का ध्यान रखेगी कि हमारे जो निजी उपक्रम हैं, उनमें मुनाफा हो। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक हो। जिस से हमारे खर्चे में कमी हो सके।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं माननीय सदस्यों का कि उन्होंने इस वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेकर बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिये हैं। सभापति महोदय, मैं पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि अनुपूरक मांगों में 325 करोड़ रुपया चार्ज एप्रोप्रिएशन की शक्ल में है। वेज एण्ड मीन्स के एडवान्सेस को आर.बी.आई. को चुकाना पड़ा है उसके कारण 325 करोड़ रुपया तो सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड के रूप में इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया। 104

71

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करोड़ रुपये एम्प्लाइज के वेजेज इन्क्रीज के कारण ज्यादा खर्च करना पड़ा और 27 करोड़ रुपया बोनस के भुगतान में खर्च करना पड़ा। मोटे रूप में इस सारी सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड का खर्चा इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस खर्चे में बिजली बोर्ड को भी जैसा माननीय सदस्य बोल रहे थे बोर्ड भी घाटे में चल रहा है कुछ उसको भी धनराशि देनी पड़ी। रिलीफ के कामों पर भी कुछ अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। साथ ही चुनावों पर, इस बार दो चुनाव हुए हैं, उनमें भी खर्चा ज्यादा हुआ है। उसके कारण खर्चा ज्यादा हुआ। आखिर यह बजट एस्टीमेट है, एक्च्युअल का पता तो बाद में चलेगा लेकिन एस्टीमेट में इस प्रकार की वृद्धि होना स्वाभाविक है और इस स्वाभाविक वृद्धि को ही सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैं, सभापति महोदया, माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं, उस सम्बन्ध में दो बातें मोटे रूप से सदन के सामने आयी है। पहली यह है कि प्रशासनिक खर्च कम किया जाय और आय के स्रोत बढ़ाये जायं। आय के स्रोतों में किसी प्रकार के लीकेज हैं उसको सख्ती से रोका जाय। इन सुझावों में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन इन सुझावों पर सरकार आचरण करे, आपकी यह मांग उचित हो सकती है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार के प्रशासनिक खर्च में किस प्रकार कमी हो उस के सम्बन्ध में भी गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाकर कुछ फैसले लिये जायेंगे जिसके आधार पर यह खर्चा कम किया जा सके।

राज्य में राजेन्द्र जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो प्रशासनिक खर्च को किस प्रकार से कम किया जा सके इस पर विचार कर रही है। मैं चाहता हूं कि इस कमेटी को फिर रिवाइव किया जाय और कुछ विशेष मुद्दों पर इस कमेटी को विचार करने का अवसर दिया जाय ताकि सारे प्रशासनिक खर्च का विश्लेषण करने के बाद, वह किस प्रकार कमी के सुझाव देते हैं, सुझाव आयेंगे तो निश्चित रूप से उन पर विचार किया जायेगा।

नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत ही चिन्ता की बात कही है कि कैपिटल एकाउण्ट का पैसा हम रेवेन्यू खाते में लेते हैं। उसके कारण राज्य में जो विकास के काम होने चाहिए वह विकास के काम नहीं होकर वह राजस्व खाते के खर्च को पूरा करने में लगाया जाता है। यह वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता हूं लेकिन मुझे जहां तक स्मरण है 1985 से इस प्रकार की स्थिति बनी है। 1985 में हमने कैपीटल एकाउण्ट से मनी ट्रान्सफर कर राजस्व खाते की कमी की पूर्ति की है। यह किसी भी राज्य के लिए या किसी भी राज्य की अर्थ व्यवस्था के लिए सुन्दर चीज नहीं कही जा सकती है। मैं चाहता हूं यह किस प्रकार ठीक हो उस सम्बन्ध में बहुत ही गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सरकार इस बात पर विचार करेगी कि पूंजीगत खाते की रकम राजस्व घाटे की पूर्ति के काम नहीं आये और राजस्थान का विकास सही प्रकार से होता रहे।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई माननीय सदस्यों ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खर्चे के सम्बन्ध में कहा, मैं जानता हूं कि राजस्थान में राजस्व आय का, अभी कोई 70 प्रतिशत बोल रहा था कोई 75 प्रतिशत बोल रहा था लेकिन राजस्थान की राजस्व आय का 80 प्रतिशत रुपया एस्टेब्लिशमेंट वेजेज एण्ड पेन्शन में जाता है। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान पर यह कितना बड़ा भार है। इस भार से राज्य को किस प्रकार से मुक्ति दिलायी जाय यह वास्तव में चिन्ता का विषय है। मैं समझता हूं कि यदि पुरानी स्थिति को देखें तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि 77-78 में 66 प्रतिशत इस प्रकार का खर्चा होता था और 1979-80 में घटकर 64 प्रतिशत तक लाया गया। 81-82 में 69 प्रतिशत हो गया और उसके बाद यह लगातार बढ़ता गया। यह सबके लिये चिन्ता का विषय है और इस बात का प्रयत्न करूंगा कि यह खर्च किस प्रकार से कम हो और आय के साधन किस प्रकार से बढ़ें। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि आपने जिस प्रकार के सुझाव दिये हैं उन सुझावों पर सरकार निश्चित तौर पर विचार करेगी।

सभापति महोदय, यहां जल की समस्या के बारे में जिक्र किया गया। सभापति महोदय, मैं पहले ही सदन को कह चुका हूं राजस्थान में इस समय सबसे बड़ा संकट पीने के पानी का है और यह संकट जिस प्रकार की स्थिति में पहुंच गया है कि उसका समाधान किस प्रकार किया जाय। इस में भी आप सब लोगों की सलाह से काम करने के लिए हम ने एक समिति गठित की है। समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है। तत्काल समाधान क्या हो सकता है उस पर भी विचार किया जा रहा है। दीर्घकालिक उपाय इसमें क्या किये जा सकते हैं, इस पर भी विचार हो रहा है। मैंने आज के दो दिन पहले ही आपसे कहा था कि राजस्थान में लगभग 1054 करोड़ रुपये पीने के पानी की समस्या का समाधान के लिए राज्य सरकार ने अब तक खर्च किया है लेकिन कुछ तो यह समझिए कि प्रकृति का प्रकोप पिछले कई वर्षों से राजस्थान में वर्षा नहीं हो रही है और जो वर्षा हुई है उसमें पानी को ठीक ढंग से कन्जर्व नहीं कर पाये। पानी का स्तर नीचे चला गया, कुवे सूख गये और पानी का स्तर दिनों दिन नीचे इतना चला गया है कि आज जिन कुओं का कभी पानी कम हो सके इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी आज वह कुवे सूखे पड़े हैं। राज्य सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि कुछ तात्कालिक समाधान हों, इस प्रकार की योजनाएं तुरन्त हाथ में लेकर इस पानी के संकट से राजस्थान की जनता को किसी न किसी प्रकार की राहत दी जाये। दीर्घकालिक योजनाएं भी विचाराधीन हैं। कौन सी योजनाएं लेने से कितना फायदा होगा लेकिन मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब नयी योजनाएं लेने के बजाय यदि उन योजनाओं के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाय और ज्यादा किस प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सके, उनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ किस प्रकार से मिल सके, इसकी हम चेष्टा करेंगे ताकि नयी योजनाओं पर इन्वेस्टमेण्ट करें और उसका फायदा 3 वर्ष में मिले उससे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि जो चालू योजनाएं हैं या बंद हो गयी हैं उन को किस प्रकार से पूर्ण किया जाय ताकि लोगों को तुरन्त लाभ मिल सके।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं समझता हूं उन्होंने धौलपुर के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री हो या राजस्थान का कोई विधायक एक बार वह चुनने के बाद वह पूरे राजस्थान का विधायक माना जाता है, उसमें किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि संकीर्णता की दृष्टि से राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कहा भी नहीं है। मैं उन पर सकीर्णता का आरोप भी कोई नहीं लगाता लेकिन उनकी चिन्ता धौलपुर जिले की है वह स्वाभाविक है। धौलपुर जिले की जिस प्रकार की स्थिति है या भरतपुर की जिस प्रकार की स्थिति है वह मेरे खुद के निजी ज्ञान में है। भरतपुर और धौलपुर में रियासत के जमाने में एक इरिगेशन का सिस्टम था वह इतना फुलप्रूफ था कि आज के दिन में वह सिस्टम करीब-करीब या तो कोलेप्स हो गया है या कोलेप्स होने के नजदीक पहुंच गया है। उसके रेस्टोरेशन की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ माननीय सदस्य ने चम्बल के पानी के सम्बन्ध में कहा। हम सब मिल कर चम्बल का पानी किस प्रकार से राजस्थान में उपयोग में लाया जा सकता है इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

आपने डकैतों की समस्या का भी जिक्र किया। यह बात सही है कि धौलपुर की जनता पिछले कई वर्षों से इन डकैतों से इतनी दुःखी है कि कोई आदमी आज स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके इस प्रकार की स्थिति वहां नहीं है। मैं तो कहता हूं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बोण्डेड लेबर की तरह से काम करते हैं बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजादी के बाद देश आजाद हो गया लेकिन आज तक उन्होंने आजादी का स्वाद क्या है इसको नहीं चखा। आपको जितनी चिन्ता है मुझे भी उतनी ही चिन्ता है और मैं समझता हूं अपन सब मिल कर उस क्षेत्र की जनता को किस प्रकार से आजाद कर सकें इस प्रकार की जो भी कार्यवाही करनी पड़ेगी वह कार्यवाही करने में निःसंकोच दृष्टि से मैं आपके साथ हूं और सब मिल कर चाहे करौली का मामला हो, चाहे भरतपुर का मामला हो चाहे धौलपुर का मामला हो इन सारे मामलों के ऊपर किस प्रकार से लोगों को सुरक्षा की गारण्टी दी जा सके। किस प्रकार से उनकी बेसिक एमिनिटीज हैं उनको पूरा कर सकें इसके बारे में निश्चित रूप से चर्चा भी करेंगे और आप से सलाह भी लेऊंगा और इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है उस पर सरकारी प्रशासनिक मशीनरी को साथ लेकर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे।

आपने सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में कहा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकारी उपक्रमों की स्थिति चिन्तनीय है। ऐसी चिन्तनीय है कि आज कई बार समस्या यह आती है कि उनको बन्द कर दें, बन्द करने का जब प्रश्न आता है तो जो प्रशासनिक ढांचा बना हुआ है उस सारे ढांचे को एडजेस्ट कहां किया जाय यह समस्या आकर खड़ी होती है। मैं पिछले कई दिनों से इसी प्रश्न के ऊपर विचार कर रहा हूं कि जो बिल्कुल घाटे में चलने वाले हैं जो कभी भी लाभ नहीं दे सकते इस प्रकार के कारपोरेशन्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को बनाये रखने की आवश्यकता क्या है। लेकिन इस समय मैं तत्काल कुछ नहीं कह सकता। जल्दी हम इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस घाटे को कम किया जा सकता है और यदि घाटा कम नहीं होता है तो इस प्रकार के राजकीय उपक्रमों के चलाने से लाभ क्या है। घाटे और लाभ की सारी स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हम इसके ऊपर कुछ निर्णय लेंगे।

आपने राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में कहा। यह सही है कि राजस्थान कैनाल का प्रारम्भिक अनुमान 66 करोड़ था जो आज बढ़ते-बढ़ते कहां पर पहुंच गया यह मेरे और आपके बस की बात नहीं रही। लेकिन निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है कि इतना रुपया खर्च करने के उपरान्त भी हमें जितना लाभ उसका मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं उठा सके। उसके कुछ कान्स्ट्रेन्ट्स हैं। यह नहीं है कि लाभ उठाने की नीयत नहीं है लेकिन उसके कुछ फाइनेन्शियल कान्स्ट्रेन्ट्स हैं। कुछ और प्रकार के कान्स्ट्रेन्ट्स हैं। इन सारे कान्स्ट्रेन्ट्स का अध्ययन करने के बाद उन कान्स्ट्रेन्ट्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है और रिमूव करने के बाद जो कुछ हमने इन्वेस्टमेण्ट किया है उस इन्वेस्टमेण्ट का जितना लाभ हमको मिलना चाहिए था वह लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं। उसके ऊपर निश्चित रूप से विचार करेंगे। मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं कि राजस्थान में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए एक दृष्टिकोण हमको बनाना पड़ेगा कि सिंचाई के पहले पीने के पानी की समस्या का समाधान करने को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि इसके लिए हम सिद्धान्तः सहमत है। हम इसको प्राथमिकता देंगे। राजस्थान कैनाल से प्रभावित क्षेत्रों में जहां-जहां पीने के पानी का संकट है उस संकट का समाधान कैसे किया जा सकता है मैं तत्काल कुछ कह नहीं सकता लेकिन यह बिन्दु इस सरकार के पास विचाराधीन है। हम इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार करेंगे और विचार करने के बाद जो लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है वह समाधान करने की कोशिश करेंगे।

यहां पर और भी कई बातों जिक्र किया गया है। भेड़ों का भी जिक्र किया गया है। मैं समझता हूं करौली और सब-डिवीजन में और धौलपुर में, भरतपुर में, भरतपुर में तो बहुत कम हिस्सा आता है। लेकिन कोटा में इस प्रकार की समस्या है। इस समस्या के दो पहलू हैं। एक तो भेड़ें राजस्थान के बाहर की नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा धन है और किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत कुछ इस पर निर्भर करती है। कई किसान परिवार तो भेड़ पालन के ऊपर ही अपना जीवन निर्भर करके चले हुये हैं। आज उनके सामने समस्या यह है कि उन भेड़ों को चरायें कहां और जिन क्षेत्रों में चराई की समस्या है वहां वह लोग कहते हैं कि हमारे यहां जो जानवर हैं उनको हम चरायें कहां। जब हमें अपने चराने की सुविधा मिलनी चाहिए। प्राथमिकता की दृष्टि से मैं इतना ही कह सकता हूं कि भेड़ों के माइग्रेशन के सम्बन्ध में और किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी भेड़ें चरने के लिए संख्या निर्धारित करने की आवश्यकता होगी वह संख्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निर्धारित करेंगे और उसके अतिरिक्त कोई भेड़ें चरने की बात आयेगी तो दूसरे क्षेत्र में कहां ले जा सकते हैं इस प्रश्न के ऊपर विचार किया जाकर यह वर्षों से चली आ समस्या का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भेड़ पालक राजस्थान के बाहर के नहीं हैं। भेड़ें हमारा धन है और भेड़ों के ऊपर किसानों का जीवन निर्भर करता है। इसलिए उनसे इस प्रकार दुराव का भाव कोई नहीं रखें। समस्या का समाधान हो इस बारे में हम सब मिलकर चिन्ता करें। मैं इतना ही कह सकता हूं।

यहां पर और भी कुछ बातें कही गयी और खास तौर से मंहगाई और नोट छापने की बात कही। मैं समझता हूं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सही बात कही कि मंहगाई की वास्तव में जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मंहगाई की जिम्मेदारी भारत सरकार की वित्तीय नीतियों के कारण से है और जब मंहगाई बढ़ती है तो हमें डी. ए. भारत सरकार के एम्पलाइज के समान देना पड़ता है। नोट छापकर यदि हम इस समस्या का समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से इन्फ्लेशन होगा इन्फ्लेशन के कारण से और मंहगाई बढ़ेगी और फिर मंहगाई भत्ता और देना पड़ेगा। एक ऐसी वीसियल सर्किल बन गयी है जिस सर्किल को कहां से तोड़ा जाय कब तोड़ा जाय और कौन तोड़े मैं समझता हूं ऐसे अहम प्रश्न हैं इस सम्बन्ध में मुझे अवसर मिला तो मैं भारत सरकार से भी बात करना चाहूंगा कि आखिर मंहगाई कोई राजस्थान सरकार की या एक प्रादेशिक सरकार की नीतियों के कारण से नहीं बढ़ती। भारत सरकार की नीतियों के कारण से मंहगाई बढ़ती है। डी. ए. के प्रश्न के ऊपर भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए कि राज्य सरकार इस भार को किस सीमा तक सहन कर सकती है और क्या इस भार को कम करने में भारत सरकार को भी योगदान देना चाहिए। योगदान दिया जाता है तो किस सीमा तक दिया जाता है और किस मद के रूप में दिया जाय। इस प्रश्न पर भी मैं समझता हूं हम विचार करेंगे और भारत सरकार के सामने राजस्थान की ओर से मैं निश्चित रूप से यह बात रखूंगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को किसी न किसी प्रकार से राहत मिले इसकी कोशिश करनी चाहिए।

उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ब्लैक बोर्ड आपरेशन में कुछ बातों का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। यह कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने इसकी जांच करने के लिए कहा था और माननीय कल्ला साहब ने भी कहा कि नियमों के विपरीत यदि कोई कार्यवाही हुई है तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करने को तैयार हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस बात के लिए तैयार हैं और पिछले शिक्षा मंत्री जी ने भी इस सम्बन्ध में कहा, मैं जांच करने को तैयार हूं। मैं जांच की सारी पत्रावली, सारी प्रक्रिया और अब तक की जो सारी खरीद फरोख्त और बाकी की चीजों में जो सारी अनियमितता हुई हैं उन अनियमितताओं का अध्ययन करने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो इसकी एक सार्वजनिक रूप से जांच

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करवाऊंगा ताकि भविष्य में इस प्रकार का खर्चा नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, स्कूलों के खोलने के प्रश्न पर मैं समझता हूं किसी को आपत्ति नहीं होगी। स्कूल खोले जायें, दवाखाने खोले जायें, पशु चिकित्सालय खोले जायें। राजस्थान में इसकी आवश्यकता है और खोले जाने भी चाहिए। राजस्थान में पशु चिकित्सालय है उनकी तो विचित्र स्थिति बन गयी। सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान के 17% मैं समझता हूं आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन 17 प्रतिशत के लगभग पशुपालन विभाग से हमारी आय होती है। उसके ऊपर खर्चा एक से दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। दुर्भाग्य से राजस्थान में जितने भी पशु चिकित्सालय हैं वह बीमार पशुओं का इलाज करने में तो लग गये लेकिन राजस्थान में पशुओं की नस्ल कैसे सुधारी जाये और राजस्थान में पशु विकास किस प्रकार से हो ? ऐसा लगता है कि इस विभाग का काम किसी प्रकार से रहा ही नहीं। रूग्ण पशुओं का इलाज कर देना ही यह विभाग अपनी दृष्टि से पर्याप्त समझता है। इसमें मूल रूप से कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि राजस्थान में नस्ल का सुधार हो सके और दुधारू पशु ज्यादा से ज्यादा हों ताकि पशुओं की कोई समस्या किसी प्रकार से उत्पन्न न हो। हम यह भी कोशिश करेंगे कि पशु चिकित्सालय के माध्यम से कुछ इस प्रकार की व्यवस्थायें करें जिसके कारण से नस्ल सुधार का काम द्रुत गति से किया जा सके। मुझे आंकड़े तो सही इस समय मालूम नहीं हैं लेकिन सारे हिन्दुस्तान भर में जो आर्टिफिसियल इन्सेमिनेशन हुआ है उसमें राजस्थान पशुधन वाला क्षेत्र होते हुए भी इसकी संख्या बहुत कम है और यह संख्या कम होने के कारण से ड्राई पशु हमको मिलते हैं। यह ड्राई पशु मालिक के लिए भी समस्या है, गांव के लिए भी समस्या है और राजस्थान के लिए भी एक प्रकार से समस्या खड़ी कर देते हैं। उस दृष्टि से भी हम निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में विचार करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में सभापति महोदया, माननीय सदस्यों का पुनः आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिये हैं। राज्य सरकार उनके सुझावों पर विचार करेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : बकाया वसूली करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह एक प्रश्न माननीय यदुनाथ सिंह जी पहले भी उठाते रहे हैं और उनका साथ मैं भी देता रहा हूं। वसूली का प्रश्न और बकाया का प्रश्न, मैं समझता हूं आपने जो बात कही है वह सही है। मेरी स्वयं की ऐसी इच्छा है। मैं कह नहीं सकता कि एक्ट में उसका प्रावधान मैं कर सकता हूं कानूनी या नहीं कर सकता लेकिन मेरी स्वयं की ऐसी इच्छा है कि जिन लोगों में करोड़ों रुपये की बकाया है वह करोड़ों रुपये की बकाया जिस समय वसूली के लिये उनको नोटिस दिये जाते हैं वह कोर्ट से जाकर स्टे ले लेते हैं। यह बकाया वसूली होती ही नहीं है न उसका इन्ट्रेस्ट मिलता है और यदि कोई कनेक्शन काटने की भी बात होती है तो उसका भी स्टे करा लिया जाता है। यह विसंगतियां हैं इन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विसंगतियों को दूर करने के लिये जैसे मैंने पहले राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि एक कानून बनाया जाये और शायद कुछ कानूनों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जितना भी हम नोटिस देते हैं उस नोटिस की धनराशि एक बार जमा करा दी जाये और नोटिस में उल्लिखित धनराशि का कोई डिस्प्यूट हो तो वह डिस्प्यूट तय होने के बाद उसको रिफण्ड कर दिया जाये। यह एक व्यवस्था है लेकिन जैसा मैंने कहा कानून में उसका संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, यह कानून भारत सरकार का बना हुआ है....

श्री यदुनाथ सिंह : जब हरियाणा में है तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं आपको, वह भारत सरकार का कानून है उस भारत सरकार के कानून में हम कैसे संशोधन कर सकते हैं, एक बात और यदि भारत सरकार का संशोधन हम नहीं कर सकते तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार का कोई कानून बना सकती है। इन दोनों प्रश्नों के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है लेकिन आपकी चिन्ता से मैं सहमत हूं कि डिफाल्टर हमारी कमजोरी का लाभ उठाकर राज्य सरकार के किसी बोर्ड को या राज्य सरकार को पैसा नहीं दें, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। इस विषय के ऊपर विचारपूर्वक हम क्या निर्णय ले सकते हैं और किस प्रकार का कानून बना सकते हैं या बने हुये कानून में संशोधन कर सकते हैं, इसके ऊपर निश्चित रूप से विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव रखता हूं....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपनी बात में कहा है कि भेड़ों के मामले में एक बार सदन के अन्दर इस सम्बन्ध में मामला उठा था इन भेड़ों की समस्याओं के लिए उस समय एक सर्वदलीय मीटिंग हुई थी और उसमें यह एक बार विचारार्थ राज्य सरकार के सामने आया था कि इन भेड़ों को पर्टिक्यूलर एक ही एरिया में जो जा रही हैं इसको राजस्थान कैनाल के बराबर-बराबर कुछ ऐसा एरिया, ग्रीन बेल्ट डवलप की जाये जिससे कि इन भेड़ों को परमानेंट वहां पर शिफ्ट किया जा सके क्योंकि भेड़ पालक भी राजस्थान के एक हिस्से के हैं और दूसरे एरिये में जहां पर जा रही हैं वहां पर किसानों की यह समस्या बनी हुई है खासतौर से सवाई माधोपुर जिले में और करौली एरिये में परमानेंट एक समस्या बन गई है। किसानों की सारी खेती समाप्त हो गई है। पूरा एक आन्दोलन कई बार खड़ा हो चुका है अगर उस ढंग का विचार राजस्थान सरकार राजस्थान कैनाल के बगल में अगर इस तरह की ग्रीन बैल्ट बनाकर इन भेड़ों को चराई का परमानेंट रास्ता ढूंढा जाये तो मैं सोचता हूं कि भेड़ पालकों की समस्या भी समाप्त हो जायेगी और किसानों की समस्या भी समाप्त हो जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे एक सुझाव पर क्या आप विचार करने को तैयार हैं कि इस साल मुझे ध्यान आया 70 करोड़ का

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कारोबार हुआ, 70 करोड़ रुपये की गाड़ियां आटोमोबाइल व्हीकल बिक्री ग्वालियर के अन्दर और दस पर्सेण्ट की जगह पांच पर्सेण्ट आधा सैल्स टैक्स कर देते हैं और उन गाड़ियों में से आधे के करीब गाड़ियां राजस्थान के अन्दर आती हैं और रोड़ टैक्स को हानि होती है, सैल्स टैक्स के साथ-साथ रोड़ टैक्स की भी हानि होती है क्योंकि हर साल रजिस्ट्रेशन की रिन्युअल के लिये वहीं जाते हैं लोग, इस विषय में यदि आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो सुझाव दिया उस पर आलरेडी विचार-विमर्श चल रहा है।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1990

सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1990 को पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1990 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1990 पारित किया गया।

अतिरेक मांगें

वर्ष 1983-84 के लिये अतिरेक मांगों का पारण

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को रुपये 2,34,951 (दो लाख चौंतीस हजार नौ सौ इक्यावन) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,40,42,428 (दो करोड़, चालीस लाख, बियालीस हजार चार सौ अट्ठाइस) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,24,62,672 (एक करोड़, चौबीस लाख, बासठ हजार छह सौ बहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,17,32,676 (दो करोड़, सत्रह लाख, बत्तीस हजार, छह सौ छिहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-27 जल प्रदाय योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,33,44,830 (दो करोड़, तैंतीस लाख, चवालीस हजार आठ सौ तीस) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8, 83,428 (आठ लाख, तिरासी हजार चार सौ अट्ठाइस) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,13,321 (तीन लाख, तेरह हजार, तीन सौ इक्कीस) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,24,198 (चार लाख, चौबीस हजार एक सौ अट्ठयानवे) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-43

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री सभापति)

रुपये 21,15,439 (इक्कीस लाख, पन्द्रह हजार, चार सौ उनतालीस) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-46 सिचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,17,05,190 (नौ करोड़ सत्रह लाख, पांच हजार, एक सौ नब्बे), तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,05,34,326 (सात करोड़, पांच लाख चौंतीस हजार, तीन सौ छब्बीस) तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य-विधेयक का पुरस्थापन

(राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1990

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदया, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग संख्या 1) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1990

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पारित की स्टेज पर बोल लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या बोलोगे इस पर ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : दो-चार बातें रह गयी थीं। पारित की स्टेज पर कह रहा हूं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पारित की स्टेज पर बोल लेंगे। खाली दो बातें आपसे कहनी थीं, अगर आपकी अनुमति हो। वैसे जितना कहना था कह दिया था।

एक बात जो मैं निवेदन करना चाहता था सरकार से, सभापति महोदया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अन्दर जो आज चीनी का वितरण हो रहा है उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जो चीनी का वितरण हो रहा है उसमें 1981 की सेंसस को आधार माना गया है। इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का वितरण हो गया है। उसके बाद आबादी काफी बढ़ चुकी है। इस बढ़ी हुई आबादी के कारण बहुत सारे लोग कार्ड के बावजूद भी चीनी पाने से वंचित रह जाते हैं। जब जिला प्रशासन से कहा गया तो उन्होंने सरकार से लिखा-पढ़ी की। हमेशा एक बात सामने आयी कि भारत सरकार स्टेट्स को जो-जो चीनी का कोटा अलाट करती है वह 1981 की सेंस के आधार पर करती है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस मामले को भी, जैसे अन्य मामले आप भारत सरकार के साथ ले रहे हैं, भारत सरकार से लें। अब तो अपनी खुशकिस्मती है कि खाद्य मंत्री राजस्थान से हैं। आप तो बड़े सक्षम मुख्य मंत्री हैं। हमारी तो घुटने टेकू सरकार थी, घुटने टेक देती थी। कमजोर पैरों की सरकार थी। आपकी तो बड़ी मजबूत सरकार है, मजबूत पैर हैं, आपके, चार चार पाये लगे हुए हैं आपकी सरकार के अन्दर। कृपया अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करके कम से कम राजस्थान को पूरी चीनी तो दिलवायेंगे, ऐसा मेरा मानना है, सभापति महोदया, इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था।

श्री सभापति : क्या आप इसको कन्फेशन और रिपेण्टेंस रिकार्ड करवा रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : रिपेण्टेंस नहीं, सभापति महोदया, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि 1967, 1972 और 1977 में जब उधर मुख्य मंत्री थे तब, 1980 और अब इनको सुनने का अवसर मुझे मिला, इनसे सीखने का अवसर मिला। सीखने के अवसर का ही लाभ उठाते हुए जो कुछ सीखा है इनसे मैंने, उसी आधार पर निवेदन कर रहा हूं कि जैसे आप मजबूत, आपकी मजबूत सरकार राजस्थान की जनता को चीनी दिलवा पायेगी पूरी मात्रा के अन्दर। यह मेरा आप से विनम्र निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको एक तो यह विश्वास दिला देता हूं कि चीनी अब गायें नहीं खा सकेंगी। आप निश्चिन्त रहिये। आपने जो बात कही है मैं निश्चित रूप से उस पर विचार करूंगा। मेरी जानकारी में भी है जो बात आपने कही है। अब इस पर क्या हो सकता है, केन्द्रीय खाद्य मंत्री से बात करने की आवश्यकता होगी तो बात करेंगे, जाने की आवश्यकता होगी तो जाऊंगा, लेकिन इस समस्या का सामधान हो सके, इसकी निश्चित रूप से चिन्ता करूंगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राज-

(श्री सभापति)

स्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1990

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1990 को पारित किया गया।

सदन की द्वितीय बैठक म.प. 4.00 बजे पुनः समवेत् होगी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 2.25 बजे, म.प. 4.00 बजे द्वितीय बैठक तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 51 की सूची

टोंक जिले में बन्द हुई इकाइयों की सूची

पंचायत समिति-निवाई

क्र.सं.	इकाई का नाम व पता	बन्द होने की तिथि वर्ष	बन्द का कारण
1	2	3	4
1-	मै. अरावली पेण्टस, निवाई	1988	से विपण (मार्केटिंग) समस्या के कारण
2-	,, नूतन सिलिकेट्स, निवाई	,,	प्रशासनिक कारणों से
3-	,, तोतला एन्टर प्राईजेज, निवाई	,,	मार्केटिंग समस्या के कारण
4-	,, एस. डी. एण्ड कं., निवाई	1985	,, ,, ,,
5-	,, निर्मल उद्योग, निवाई	1982-83	कार्यशील पूंजी एवं प्रबन्धीय कारणों से
6-	,, राजेन्द्र कुमार एण्ड कं. निवाई	1984	घरेलू एवं मार्केटिंग समस्या के कारण
7-	,, चौधरी इण्डस्ट्रीज, निवाई	1985-86	मार्केटिंग कच्चा माल एवं प्रशासनिक कारण से
8-	,, ओम ड्रिक्स, रेल्वे स्टेशन के पास, निवाई	1983-84	मार्केटिंग एवं प्रशासनिक कारणों से
9-	,, मोहम्मद इस्माइल एण्ड ब्रादर्स, निवाई	1984	मार्केटिंग एवं कच्चा माल
10-	,, लक्ष्मी आयल मिल, झिलाय	1989	मार्केटिंग एवं प्रबन्धकीय कारणों से
11-	,, लक्ष्मी इन्जिनीयरिंग वर्क्स, निवाई	1988	घरेलू कारणों से
12-	,, सुशील सूटिंग प्रा. लिमिटेड, निवाई	1989	श्रमिक समस्या के कारण
	पंचायत समिति, मालपुरा		
13-	मै. अजन्ता कारपटस, मालपुरा	1983	कार्यशील पूंजी के कारण
14-	,, नवीन भारत इण्ड. मालपुरा	1983	विपणन समस्या के कारण

(84)

1	2	3	4
15-	मै. प्रेम दाल मिल, मालपुरा	1984	विपणन समस्या के कारण
16-	,, अशोका प्लास्टीक इण्ड., मालपुरा	1985	कार्यशील पूंजी के अभाव में बन्द हैं। एवं वित्त निगम के अधिकार क्षेत्र में है।
17-	,, प्रेम इण्डस्ट्रीज, मालपुरा	1986	,, ,, ,,
18-	,, ओझा प्लास्टिक, मालपुरा	1986	कार्यशील पूंजी के अभाव में
19-	,, शम्भू केटलफसील्ड, मालपुरा	1986-87	कार्यशील पूंजी के अभाव में व आर. एफ. सी. के अधिकार क्षेत्र में है।
20-	,, सन्तोष कन्फेशनरी उद्योग, लावा	1983	,, ,, ,,
21-	,, मालीचूना भट्टा उद्योग, लावा	1982	कच्चे माल के अभाव में
22-	,, पवन आयल मिल, लावाहरीसिंह	1986	कार्यशील पूंजी के कमी के कारण।
23-	,, नेशनल मिनिरियल, मालपुरा	1983	मार्केटिंग समस्या से
	पंचायत समिति, टोडारायसिंह		
24-	मै. टोडबाल ट्रान्सफार्मस, टोडारायसिंह	1984	विपणन की समस्या से बन्द है
25.	,, विजय प्रोडक्टस, पथराजकला	1988	,, ,, ,,
	पंचायत समिति, टोंक		
26-	मै. मोर्डन वुलन कारपेटस, प्रा.लि., टोंक	1986 से	श्रमिक समस्या के कारण
27-	,, शंकर दाल मिल, टोंक	1985	कार्यशील पूंजी के अभाव में
28-	,, शालीमार मेटल इण्ड. टोंक	1986	,, ,, ,, (इकाई वर्तमान में यूको बैंक टोंक के अधिकार में है)
29-	,, गगू मेटल इन्डस्ट्रीज, टोंक	1985	कार्यशील पूंजी व अन्य व्यवसाय करते है।

1	2	3	4
30-	मै. महेश्वरी आयल मिल, पीपलू	1987	कार्यशील पूंजी के अभाव में
31-	,, जय शिव उद्योग, ग्राम पीपलू	1988	,, ,, ,,
32-	,, नरेन्द्र मेटल फाउन्ड्री, टोंक	1984	विपणन समस्या के कारण
33-	,, यादव फ्लोर मिल, धौला खेड़ा	1988	विद्युत विभाग द्वारा बिना सूचना के कनेक्शन काट देने के कारण इकाई बन्द है ।
34-	,, गीता आयल एण्ड फ्लोर मिल, पीपलू	1986	कार्यशील पूंजी के अभाव में (वर्तमान में वित्त निगम के अधिकार क्षेत्र में है)
35-	,, नोरलिया ब्रादर्स, देवली	1980	कार्यशील पूंजी के अभाव में
36-	,, धरती धन फुड प्रोड., देवली	1986	पर्याप्त रूप से मशीनरी व कच्चे माल हेतु ऋण नहीं मिलने के कारण । (वर्तमान में वित्त निगम के अधिकार क्षेत्र में)

सूची "अ"

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 52 की सूची)

जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1985, 1986, 1987, 1988 एवं 1989–90 में घटित बलात्कार के अभियोगों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	कुल अभियोग पंजीबद्ध हुये	एफ. आर. अदमवकू	एफ. आर. अदमपता	एफ. आर. अदमपता	चालान	जेर तजबीज अदालत	सजा	बरी	पेंडिंग पुलिस
1–	1985	25	7	–	–	18	18	–	–	–
2–	1986	28	9	–	–	19	19	–	–	–
3–	1987	24	9	–	–	15	15	–	–	–
4–	1988	38	14	–	–	24	23	–	1	–
5–	1989	49	10	–	–	38	38	–	–	1
6–	1990	5	1	–	–	1	1	–	–	3
	योग	169	50	–	–	115	114	–	1	4

सूची "ब"

जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 एवं 1990 में घटित डकैती अपराधों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	कुल अपराध	एफ. आर.			चालान	जैर ट्रायल अदालत	सजा	पेण्डिग पुलिस	जैर तफतीश
			अदमवकू	अदमपता	अदमसबूत					
1–	1985	6	–	4	–	2	1	1	–	–
2–	1986	4	–	1	–	3	3	–	–	–
3–	1987	9	1	3	–	5	5	–	–	–
4–	1988	19	–	5	–	14	14	–	–	–
5–	1989	6	–	–	–	3	3	–	3	–
6–	1990	3	–	–	–	–	–	–	3	–
	योग	47	1	13	–	27	26	1	6	–

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 53 का विवरण

माही अनास व साबरमती के जल के जालौर व बाड़मेर जिलों में उपयोग की सम्भावना पर योजना का विवरण

माही अनास एवं साबरमती नदियों के बेसिन में बहने वाला पानी इस समय गुजरात में बहकर चला जाता है तथा इसके उपयोग के लिये खेती योग्य क्षेत्र राजस्थान में इनके बेसिन में उपलब्ध नहीं है। इन नदियों के पानी को बांध बनाकर 259 किलोमीटर लम्बी सुरंग द्वारा अरावली पहाड़ों को पार कर जालौर जिले के लिये पीने का पानी एवं सिचाई की समस्या के निवारण की योजना विचाराधीन है। इसमें निम्नलिखित नये बांध बनाने का प्रस्ताव है:—

1.	अनास बांध	33.00 टी.एम.सी.
2.	सोम टरमीनल बांध	3.00 टी.एम.सी.
3.	वाकल बांध	1.86 टी.एम.सी.
4.	पामरी बांध	0.36 टी.एम.सी.
5.	साबरमती बांध	1.59 टी.एम.सी.
6.	सेई नदी पर वर्तमान बांध के नीचे एक और बांध	1.59 टी.एम.सी.
7.	सूकली बांध	0.76 टी.एम.सी.
	योग:-	42.15 टी.एम.सी.

माही बांध बांध में उपलब्ध 27.00 टी.एम.सी. फालतु पानी और उपरोक्त नये बांधों के पानी का जालौर एवं बाड़मेर जिलों में सिंचाई के लिये उपयोग करने की योजना विचाराधीन है। इस योजना से 6 लाख एकड़ कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र में बारह मासी सिंचाई की व्यवस्था एवं 7 लाख एकड़ कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र में छः मासी सिंचाई की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसकी कुल लागत 1988 की दरों पर लगभग 3500 करोड़ रुपये एवं लाभ लागत अनुपात 0.41 : 1 का अनुमान है।

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

भीनमाल में दुकानों का आवंटन

55. **श्री प्रेमसिंह बहिया (भीनमाल) :** क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा जालोर जिले में भीनमाल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लिये दुकानें बनवाई गई हैं ? यदि हां, तो किन-किन वर्षों में कितनी-कितनी दुकानें बनाने का लक्ष्य था और कितनी-कितनी दुकानें वर्षवार बनाई गई ?

(2) दुकान आवंटन हेतु कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और कब तक उक्त दुकानों का आवंटन कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि दुकानों का आवंटन आज दिन तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और किन-किन अधिकारियों की लापरवाही से ? उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने की सरकार की मंशा है ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्षवार लक्ष्य एवं निर्माण की प्रगति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) दुकान आवंटन हेतु 96 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। चयन समिति की बैठक यथा शीघ्र बुलाई जाकर दुकानों का आवंटन नियमानुसार कर दिया जावेगा।

(3) प्रशासनिक अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की व्यस्तता के कारण आवंटन समिति की बैठक समय पर नहीं हो पाई है। अब यथा शीघ्र चयन समिति की बैठक बुलाई जाकर नियमानुसार दुकानों का आवंटन कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट "अ"

जालोर जिले के भीनमाल में विभाग द्वारा निर्मित दुकानों का निर्माण एवं लक्ष्य का विवरण:-

वर्ष	लक्ष्य	निर्मित दुकान
1984–85	25	शून्य
1985–86	10	शून्य
1987-88	7	7
1988-89	–	6
योग:-	42	13

कोटा जिले के ग्राम बडोरा, निमोदा में अवैध खनन

56. **श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :** क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के विधान सभा क्षेत्र अटरू के ग्राम बडोरा, निमोदा आदि में अवैध खनन हो रहा है ? यदि हां, तो किन के द्वारा, कब से और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवैध खनन को रोकने हेतु

(श्री मदन दिलावर)

अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवैध खनन के लिये कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्तमान में अवैध खनन कार्य नहीं हो रहा है। वर्ष 89–90 के दौरान अटरू तहसील के ग्राम निमोदा के निकट पांच क्षेत्रों पर अनाधिकृत खनन कार्य होना पाया गया, जिसे विभाग द्वारा रुकवा दिया गया है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) पांचों क्षेत्रों पर खनन कार्य मौके पर बन्द कराया गया एवं विभागीय कार्यवाही नियमानुसार की गई। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) अवैध खनन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रत्येक के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण भी उक्त सूची में दर्शाया गया है।

कोटा जिले के ग्राम बडोरा निमोदा आदि में अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों की सूची एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण:-

क्र.सं.	अवैध खनन करने वाले व्यक्ति का नाम	अवैध खनन पकड़े जाने का दिनांक	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	श्री रामकिशन गुर्जर निवासी निमोदा	15.3.89	अनाधिकृत खनन कार्य को तत्काल बन्द करवाया गया। पेनल्टी रायल्टी की 12 गुना जमा करा ली गई है।
2.	श्री राम कल्याण आत्मज रामकिशन गुर्जर निवासी निमोदा	13.12.89	अनाधिकृत खनन कार्य को तत्काल बन्द करवाया गया और मौके पर उपलब्ध खनिज को नियमानुसार 12 गुणी पेनल्टी वसूल की गई।
3.	श्री रमजान खां आत्मज समीर खां निवासी खेड़ली गदियान	11.1.90	अनाधिकृत खनन कार्य को तत्काल बन्द करवाया गया और नियमानुसार रायल्टी को 12 गुणा पेनल्टी कायम की गई। वसूली की कार्यवाही जारी है।
4.	श्री अब्दुल रईस आत्मज अब्दुल रहमान निवासी कबाई	11.1.90	अनाधिकृत खनन कार्य को तत्काल बन्द करवाया गया और नियमानुसार रायल्टी को 12 गुणा पेनल्टी कायम की गई जिसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
5.	श्री निसार खां आत्मज बशीर मोहम्मद निवासी खेड़ली गादियान	9.2.90	अनाधिकृत खनन कार्य को रुकवाया गया और मौके पर नियमानुसार पेनल्टी वसूल की गई तथा उक्त क्षेत्र में अनाधिकृत खनन कार्य भविष्य में नहीं हो जिसके लिए स्थानीय थानाधिकारी को सूचना दी गई।

98

शाहबाद कस्बे में विद्युत उप केन्द्र

57. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले के शाहबाद कस्बे तक 33 के. वी. विद्युत लाइन कब खींची गयी थी ?

(2) क्या लाइन खींचे जाने के बाद शाहबाद में 33 के. वी. का विद्युत उप केन्द्र स्थापित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के शाहबाद कस्बे तक 33 के. वी. लाइन भंवरगढ़ से 1982 में खींची गई थी।

(2) जी नहीं, शाहबाद क्षेत्र में पर्याप्त लोड नहीं होने के कारण वहां पर 33/11 के. वी. उप केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। अतः भंवरगढ़ से इस लाइन को 11 के. वी. पर चार्ज कर दिया गया था।

जयपुर नगर में दंगा प्रभावित लोगों को सहायता

58. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर नगर में 27 दिसम्बर, 1989 को हुये साम्प्रदायिक दंगों में कुल कितने व कौन-कौन व्यक्ति प्रभावित हुये व किस रूप में ? किन-किन को कितनी-कितनी क्षति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रभावितों को कितनी-कितनी क्षति के विपरीत कितनी-कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत राज्य सरकार ने सहायता प्रदान करने के सन्दर्भ में क्या निर्णय लिये व घोषणा की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने उनकी क्रियान्विति की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार बैंकों से ऋण दिलाने व किराये की दुकानें पुनः निर्माण कराने तथा जिन्हें सहायता नहीं मिल पाई उन्हें सहायता प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 27 दिसम्बर, 1989 को जयपुर नगर में हुए साम्प्रदायिक दंगों में 785 व्यक्ति प्रभावित हुए थे इनमें से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 61 व्यक्ति घायल हुए तथा 718 व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। 40 पुलिस कर्मी भी चोट ग्रस्त हुए। दंगों में हुई व्यक्तिगत सम्पत्ति की हानि का अनुमान करना सम्भव नहीं होता है फिर भी एक रफ आंकलन के अनुसार 4 करोड़ की सम्पत्ति की हानि का मोटा अनुमान है। सभी संबंधित मृतकों घायलों (पुलिस कर्मियों को छोड़कर) तथा जिनकी सम्पत्ति को हानि

(गृह मंत्री)

हुई हैं के नामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) क्षति का सही आंकलन कराया जाना सम्भव नहीं रहता हैं। प्रभावितों को जो सहायता राशि दी गई हैं उसकी सूचना परिशिष्ट "अ", "ब" व 'स" पर सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(3) राज्य सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में एक निश्चित मापदण्ड के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किये हुए हैं। उन निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "द" पर सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(4) उक्त आदेशों के अनुशरण के अनुसार ही जिलाधीश, जयपुर ने सहायता राशि वितरित की हैं।

(5) राज्य सरकार का यह सतत् प्रयास रहा हैं कि दंगों के माध्यम से जिनकी सम्पत्ति को क्षति पहुंची हैं ऋण प्रदान किये जा सकें। इस सन्दर्भ में ऋण प्राप्त करने के लिए 344 आवेदन भरे गये थे उनमें से 213 प्रार्थना पत्रों पर ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किया जा चुका हैं तथा शेष पर कार्यवाही जारी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिले में निर्माणाधीन लिफ्ट सिंचाई योजनाएं

59. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बांरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में कितनी व कौन-कौन सी लिफ्ट सिचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं और ये कब प्रारम्भ हुई थी तथा अब तक इन पर कितना धन व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनको प्रत्येक को पूर्ण होने में कितना-कितना समय लगेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पर्वन लिफ्ट सिचाई योजना कब प्रारम्भ हुई व इसको कब पूर्ण होना था?

(4) इस योजना पर अनुमानित व्यय कितना था तथा अभी तक कितना व्यय हो चुका है? क्या अनावश्यक विलम्ब के कारण इस योजना पर व्यय काफी बढ़ गया है? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है?

(5) अब इस योजना को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा तथा आगामी वर्ष में इस पर कितनी राशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

(1) कोटा जिले के चम्बल क्षेत्र में गणेशगंज लिफ्ट स्कीम (ब्लाक नं. 20), काचरी लिफ्ट स्कीम (ब्लाक नं. 10) और सोरखंड लिफ्ट स्कीम (ब्लाक नं. 11) निर्माणाधीन हैं। इस जिले में पर्वन लिफ्ट सिचाई परियोजना भी निर्माणाधीन है। इनका निर्माण कार्य क्रमशः वर्ष 1981-82, 1988-89 में गणेशगंज पर 286 लाख, काचरी पर 20 लाख, सोरखंड पर 28

(सिंचाई मंत्री)

लाख और पर्वन परियोजना पर फरवरी, 1990 तक 318.89 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

(2) यह बात धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। वांछित बजट उपलब्ध होने पर पर्वन परियोजना को वर्ष 1994-95 तक, गणेशगंज को 1990-91 व अन्य दोनों को 1991-92 में पूर्ण किया जा सकता है।

(3) इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1981 में प्रारम्भ हुआ तथा समुचित बजट मिलने पर वर्ष 1985 में पूर्ण होना प्रस्तावित था।

(4) इस परियोजना की अनुमानित लागत वर्ष 1978 की दरों से 349.00 लाख रु. थी तथा इस पर फरवरी, 1990 तक 318.80 लाख रु. व्यय हो चुके हैं। यह सही है कि कीमतें बढ़ने के कारण लागत काफी बढ़ गयी है। विलम्ब का कारण वांछित बजट का आवटित न होना है।

(5) इस परियोजना को पूर्ण करना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है वांछित बजट उपलब्ध होने पर इस परियोजना को मार्च, 1995 तक पूर्ण किया जा सकता है। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 40.00 लाख रुपये का बजट प्रस्ताव है।

नीमकाथाना उपखण्ड के ग्रामदानी ग्राम

60. **श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर में कितने ग्रामदानी गांव हैं तथा वे कब से स्वीकृत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों की ग्राम सभाओं के चुनाव की क्या प्रक्रिया है तथा उसका पालन किन-किन ग्रामों में हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम-सभाओं की जनता ग्राम दान से अलग होकर पंचायत राज में शामिल होना चाहती है ? यदि हां, तो कितनी ग्राम सभाओं ने कब प्रार्थना-पत्र दिये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की तो क्यों ?

उत्तर

(1) उपखण्ड नीमकाथाना में 46 ग्रामदान गांव हैं। सन् 1966 से स्वीकृत हैं सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) ग्राम सभाओं के चुनाव राजस्थान ग्राम अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15 तथा ग्रामदान नियम 12 के अनुशरण में ग्रामदान बोर्ड को कराने होते है। पूर्व नियम 12(4) में सर्वसम्मति या सर्वानुमति से चुनाव कराने का प्रावधान था। इससे चुनाव कराये जाने में कठिनाई आने से इसमें संशोधन कर ग्राम सभा के चुनाव हेतु 2/3 बहुमत का प्रावधान किया गया। जिन ग्राम सभाओं में चुनाव हो चुके तथा जिनमें चुनाव कराना शेष है उनकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(3) यह सही है कि 10 ग्राम सभाओं के 2086 व्यक्तियों ने विकल्प पत्र ग्रामदान

(राजस्व मंत्री)

से अलग होने व पंचायत राज में शामिल होने के लिए दिये हैं। प्रार्थना पत्र देने का समय व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में है। इन प्रार्थना पत्रों के संबंध में जांच कर अध्यक्ष, ग्रामदान बोर्ड से विचार-विमर्श कर कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्राथमिक शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

61. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1959 के पश्चात् पंचायत समितियों के अधीनस्थ प्राथमिक विद्यालयों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या अब उक्त पदों पर नियुक्ति करने की सरकार मंशा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार राज्य में 300 छात्रों की संख्या से अधिक वाले प्राथमिक विद्यालयों का सर्वे करवाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों की स्ट्रेन्थ का निर्धारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। इसकी आवश्यकता नहीं समझी जा रही है।

(2) जी नहीं। क्योंकि स्कूल का ताला खोलने एवं बन्द करने आदि का कार्य अध्यापक स्वयं कर लेता है एवं सफाई आदि का कार्य एवं पानी के पीने की व्यवस्था बच्चों के सहयोग से करवा ली जाती है जिससे उनमें स्वावलम्बन की भावना दृढ़ होती है एवं श्रम के प्रति निष्ठा भी जागृत होती है।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सांचोर राजकीय कन्या पाठशाला का भवन

62. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला जालोर के सांचोर कस्बे में राजकीय कन्या पाठशाला का नया भवन बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय लिये जाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दानदाता को शीघ्र ही भूमि उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही चल रही है।

बनास सिंचाई परियोजना

63. श्री रामनारायण बैरवा (नैनवा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामनारायण बैरवा)

(1) बनास सिंचाई परियोजना की क्या क्षमता होगी ? यह कब प्रारम्भ की गई और कब तक पूरी होना सम्भव है ?

(2) क्या बून्दी जिले की तहसील नैनवा के सर्वाधिक गांव हर वर्ष अकाल-ग्रस्त रहते हैं और उक्त सिंचाई परियोजना उक्त तहसील क्षेत्र के समीप हैं ? यदि हां, तो क्या अकाल की समस्या के स्थाई समाधान एवं पानी के अधिकतम उपयोग हेतु नैनवा क्षेत्र को इस परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) बीसलपुर परियोजना की 1982 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजे गये परियोजना के प्रारूप के अनुसार जल भराव क्षमता 2350 करोड़ घनफीट थी। इस परियोजना का प्रथम चरण जो केवल पीने के पानी के लिये है, सरकार द्वारा स्वीकृत है। इस पर कार्य नवम्बर, 1987 में आरम्भ किया एवं वर्ष 1991 तक पूरा करना प्रस्तावित है। इस चरण की जल भराव क्षमता 140 करोड़ घनफुट है।

द्वितीय चरण में फाटक लगाकर पूर्ण क्षमता तक जल संग्रहण करना तथा जल उपलब्धि के अनुसार सिंचाई के लिये नहर प्रणाली पर कार्य करना है। द्वितीय चरण का कार्य अभी स्वीकृत नहीं हुआ है।

(2) गत चार वर्षों में सम्वत् 2045 को छोड़कर नैनवा तहसील के अधिकतर गांव अकाल ग्रस्त रहे है। वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार नैनवा तहसील के कुछ गांवों को बीसलपुर परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव है, परन्तु यह तब ही तय हो सकेगा जब पेयजल की आवश्यकता के उपरान्त कितना पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध होगा।

सांगानेर और चाकसू तहसीलों में वृद्धावस्था, अपाहिज पेंशन

64. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की सांगानेर और चाकसू तहसीलों में वृद्धावस्था व अपाहिज पेन्शन के अनेक आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अनिर्णित आवेदन पत्रों का विवरण मय विलम्ब के कारणों के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम काठावाला पंचायत समिति चाकसू के तीन निवासियों ने वर्ष 1987-88 में भूमिहीन होने तथा शारीरिक अयोग्यता के आधार पर पेन्शन हेतु आवेदन किया था परन्तु पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट किये जाने के कारण उनको पेन्शन नहीं मिल सकी ? यदि हां, तो उसका तत्संदर्भ में विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पेन्शन की न्यूनतम राशि 100/- रुपये माहवार हो गई है ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील सांगानेर में 20 वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेन्शन प्रकरण शेष है।

(समाज कल्याण मंत्री)

जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया है। ग्राम चुनावों के कारण पटवारियों द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण विलम्ब हुआ। तहसील चाकसू में एक भी प्रकरण शेष नहीं है।

(2) ग्राम काठावाला पंचायत समिति चाकसू के संबंधित प्रार्थियों तथा सरपंच से तहसील एवं पंचायत समिति स्तर पर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां, आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

बकाया वृद्धावस्था अपाहिज पेन्शन प्रकरणों की सूची

तहसील कार्यालय, सांगानेर

1- तीजा पत्नि स्व० श्री छीतरमल बागड़ा, ग्राम अभयपुरा
2- केसरदेवी पत्नि अर्जुन धानका, कपूरावाला
3- प्रभाती देवी पत्नि रामनारायण बैरवा, ग्राम खातीपुरा
4- सुन्दर देवी पत्नि हरफूल बागड़ा, ग्राम अभयपुरा
5- रामादेवी पत्नि नानगराम बैरवा, ग्राम अभयपुरा
6- सणगारी बाई पत्नि छोगालाल बागड़ा, ग्राम अभयपुरा
7- प्रेमदेवी पत्नि भंवरसिंह राजपूत, ग्राम खातीपुरा
8- धापूदेवी पत्नि कल्याण बागड़ा, ग्राम खातीपुरा
9- सुन्दरदेवी पत्नि किशालाल बागड़ा, ग्राम खातीपुरा
10- केसरदेवी पत्नि नारायण बैरवा, तेजावाला रामनगर
11- संकुदेवी पत्नि रामनाथ बैरवा, ग्राम तेजावाला रामनगर
12- रकमादेवी पत्नि नवलकिशोर बागड़ा, ग्राम अचरावाला
13- नारायण सिंह पुत्र घोकलसिंह राजपूत, ग्राम कपूरावाला
14- छोटादेवी पत्नि देवीलाल, ग्राम जगतपुरा
15- सोना देवी पत्नि भूरेखां, ग्राम जगतपुरा
16- पार्वती देवी पत्नि गंगाराम, मालवीय नगर
17- शान्ति देवी पत्नि टेलाराम, ग्राम मालवीय नगर
18- नारायणसिंह पुत्र विशन, ग्राम बगरकला
19- गिरधारी सिंह पुत्र नारायण सिंह, ग्राम दुर्गापुरा
20- शहजादी पत्नि रोशन सुलेमान, खोनागोरियान

राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप–2) विभाग

अधिसूचना

क्रमांक:–प. 1(24) वित्त/व्यय–नियम/65 जयपुर, दिनांक 21.12.89

विषय:-राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेन्शन नियम, 1965

राज्यपाल महोदय ने आदेश प्रदान किये है कि "राजस्थान अपाहिज, अपंग, एवं अन्धे व्यक्तियों के पेन्शन नियम, 1965" में निम्नांकित संशोधन किया जावे:–

उक्त नियमों के वर्तमान नियम 4 के स्थान पर निम्नांकित नियम प्रतिस्थापित किया जावे :–

"4. प्रत्येक व्यक्ति जो नियम 3 के अन्तर्गत पेन्शन पाने का अधिकारी है। उसे 100/– रु. मासिक पेन्शन मिलेगी परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार/भारत/अन्य राज्य सरकार या प्राइवेट संस्थाओं व अन्य स्थानों से 100/– रुपये मासिक से कम पेन्शन अथवा पालतू भत्ता पाता हैं तो उसे 100/– रुपये में से जो पेन्शन/भत्ता मिलता हैं उसका केवल अन्तर ही देय होगा।

यह संशोधन दिनांक 1.12.1989 से प्रभावशील होगा।

राज्यपाल के आदेश से

ह०

(शिवनाथ सिंह)

उपशासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Finance (Gr. 2) Department

ORDER

No. F. 1(22) FD(Rules/73 Jaipnr, dated the 21.12.1989

Sub:-Rules governing Grant and payment of Old Age & Widow Pension to destitutes.

The Governor has been pleased to order that the following amendment may be made in the Rajasthan Old Age and Widow Pension Rules, 1974 namely:-

In the said rules:-

The existing Rule 4 shall be substituted by the following namely :-

"4. Amount of pension :

(i) The amount of Pension payable to each destitute shall be Rs. 100/-per month. where husband and wife both are destitute, the amount of pension payable to them jointly shall be Rs. 150/- per month provided that in case of death of either husband or wife, as the case may be, the amount of pension payable to other spouse shall be Rs. 100/- per month only.

(ii) In case of destitute in receipt of the pension, maintenance allowance or an allowance by whatever name it is called below Rs. 100/- per month from the Government of Rajasthan/Central Government/other State Government, Local fund or from a Statutory body, Corporation, Private body/Institution or any other source, the amont of pension shall be equal to the difference between Rs. 100/-per month and the amount of pension/maintenance allowance he or she is already in receipt of. Similarly, if more than one destitute in a family is in rcceipt of pension/maintenance allowance jointly below Rs. 150/- per month from any of the source referred to above, the amount of pension payable under these rules shall be equal to the difference between Rs. 150/- per month and the amount of pension, maintenance allowance he or she is already in receipt of jointly".

These orders shall take effect from 1.12.1989.

By order of the Governer,
Sd/-
(Shiv Nath Singh)
Dy. Secretary to the Government.

ईसरदा रेल्वे स्टेशन स्थित भूमि पर अतिक्रमण

65. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (खण्डार): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ईसरदा, पंचायत समिति सवाई माधोपुर को रेल्वे स्टेशन ईसरदा स्थित भूमि पर ग्राम पंचायत के पंच श्री महावीर प्रसाद जैन एवं श्री राम प्रसाद शर्मा तथा अन्य व्यक्तियों ने दिनांक 30-1-1989 को अतिक्रमण कर लिया ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त अतिक्रमण को राज्य सरकार के आदेश से हटा दिया गया ? यदि हां, तो किस सक्षम अधिकारी द्वारा ?

(3) क्या इन पंचों के खिलाफ धारा 17 (4) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अब राज्य सरकार उक्त पंचों के खिलाफ धारा 17(4) की कार्यवाही कब तक पूर्ण करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार के आदेश के अनुसार विकास अधिकारी तथा तहसीलदार, सवाई माधोपुर द्वारा श्री महावीर प्रसाद जैन पंच का अतिक्रमण हटवा दिया था। श्री रामप्रसाद पंच का भूमि के नियमन का प्रकरण पंचायत में विचाराधीन होने के कारण नहीं हटाया गया।

(3) जांच जिला कलक्टर, सवाई-माधोपुर के यहां विचाराधीन है।

(4) जांच पूर्ण होने पर जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

टीबी क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतिकरण

66. श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र टीबी में किन किन ग्रामों का विद्युतिकरण कर दिया गया है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) टीबी क्षेत्र की तहसील रावतसर तथा नोहर के कितने ग्राम अविद्युतिकृत है ? तहसील व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अविद्युतिकृत ग्रामों को कब तक विद्युतिकरण करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टीबी के माह फरवरी, 1990 तक 100 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। ग्रामवार सूची 'अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) माह फरवरी, 1990 के अन्त तक टीबी विधान सभा क्षेत्र की नोहर व रावतसर तहसील के क्रमश: 33 व 148

(ऊर्जा मंत्री)

ग्राम अविद्युतिकृत हैं। सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा घोषित वार्षिक लक्ष्य एवं आवंटित वित्तीय साधनों के अनुरूप ग्रामों का विद्युतिकरण करना वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित किया जाता है। अतः टीबी विधान सभा क्षेत्र के अविद्युतिकृत रहे ग्रामों के विद्युतिकरण की निश्चित समयावधि बता पाना सम्भव नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य कर्मचारियों को विशेष वेतन वृद्धि

67. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पदोन्नति के न्यून अवसर होने व विगत समय वेतनमानों में इस प्रकार की व्यवस्था की दृष्टि में क्या सरकार का राज्य कर्मचारियों को क्रमश: 10, 20 व 30 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर लेने पर पुनरीक्षित नवीन वेतनमान नियमों में क्रमश: एक, दो व तीन वेतन वृद्धि स्वीकृति का लाभ प्रदान करने का विचार है ?

(2) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो किस कारण ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अग्रिम वेतन वृद्धियां पदोन्नति के अवसरों में कमी की पूर्ति नहीं करती। आवश्यक वस्तुओं के भावों में वृद्धि के लिये मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है परन्तु फिर भी कभी-कभी भत्ते में अनुपातिक वृद्धि नहीं हो पाती। अतः इस अन्तर की पूर्ति हेतु वेतनमानों में संशोधन के समय समुचित एवं एक मुश्त लाभ दिया जाता है। यह लाभ अग्रिम वेतन वृद्धियों के रूप में भी दिया जाता है। ऐसा लाभ दिया जा चुका है।

डग क्षेत्र की सिंचाई योजनाएं

68. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झालावाड़ जिले के विधान सभा क्षेत्र डग में कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं क्रियाशील हैं और उनके निर्माण में कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) उक्त क्षेत्र में कौन-कौन सी सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उनकी क्रियान्विति की दिशा में कब तक कार्यवाही का प्रस्ताव है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के विधान सभा क्षेत्र डग में निर्माणधीन सिंचाई परियोजनायें व इनके निर्माण पर फरवरी 90 तक व्यय की गई राशि निम्न प्रकार है:-

1.	मोंगरा सिंचाई परियोजना	70.38 लाख रु.
2.	बिस्तुत्रिया सिंचाई परियोजना	66.25 ,, ,,
3.	नाका सारना	8.30 ,, ,,

(सिंचाई मंत्री)

(2) इस क्षेत्र में दो पोण्डला लघु सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव विचाराधीन है। इनका तखमीना बना दिया गया है। जिनकी जांच की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी होने एवं वांछित बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। साथ ही एक वृहद परियोजना गागरीन व तीन मध्यम योजनाएँ पीपलार, क्यासरी व राजगढ़ भी प्रस्तावित है। गागरिन एवं पीपलाद केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेज रखी है, क्यासरी पर शष्य वैज्ञानिक (कृषि विभाग) से लाभ लागत अनुपात निकलवाया जा रहा है राजगढ़ का सर्वेक्षण होना है। इन योजनाओं पर केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

लसाड़िया क्षेत्र में वन विभाग के नाम घोषित भूमि

69. **श्री नारायण लाल मीणा** (लसाड़िया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में ऐसी कितनी भूमि है जो सन् 1962 या इसके पूर्व गजट नोटिफिकेशन द्वारा वन विभाग के नाम घोषित की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस पर आज दिन तक अमल बरामद नहीं हुआ और राजस्व रिकार्ड में बिलानाम ही दर्ज है ?

(3) यदि हां, तो उस भूमि पर कितने काश्तकारों का कितनी भूमि पर नाजायज कब्जा है ? तथा उसमें से कितने काश्तकारों को कितनी भूमि आवंटित होकर उनके हक में नियमन हो चुकी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि अब वन विभाग ऐसी भूमि को अपने नाम दर्ज कराने पर जोर दे रहा है जिससे हजारों काश्तकारों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जायेगी ?

(5) क्या सरकार काश्तकारों के हित में गजट नोटिफिकेशन द्वारा की गई उक्त घोषणा निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र जो उदयपुर जिले की धरियावाद तहसील में स्थित है, में 1962 या इससे पूर्व 49912.00 हैक्टर भूमि को गजट नोटिफिकेशन द्वारा वन भूमि घोषित किया गया है।

(2) उपरोक्त घोषित 49912.00 हैक्टर वन भूमि में से 47702 56 हैक्टेर वन भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है और शेष 2204.44 हैक्टेयर भूमि का अमल दरामद होना शेष है।

(3) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में स्थित वन भूमि पर 934 काश्तकारों का 1070.00 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा है। इनमें से 56 व्यक्तियों के 107.55 हैक्टेयर भूमि के नियमन की कार्यवाही जारी है। इसके अलावा 192 काश्तकारों को 197.1 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। अभी तक किसी भी काश्तकार के नाम भूमि का नियमन नहीं किया गया है।

(राजस्व मंत्री)

(4) जी हां, यह सही है कि वन विभाग घोषित वन भूमि को पूर्ण रूप से अमलदरामद कराने पर जोर दे रहा है।

(5) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उच्च प्राथमिक शालाओं के वेतन बिल

70. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जब से उच्च प्राथमिक शालाएं जिला परिषदों में दी गई हैं तब से अध्यापकों के वेतन बिल आदि एक स्थान पर नहीं बनते हैं ?

(2) जिला बाड़मेर की आठों पंचायत समितियों के ऐसे विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन व क्लेम बिल अभी कहां बनते हैं व कहां पास होते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय पर यह व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु शिक्षा विभाग में भी वेतन बिल एक स्थान पर नहीं बनते थे।

(2) पंचायत समिति धोरीमन्ना, चौहटन एवं शिव के बिल धोरीमन्ना में, पंचायत समिति, बालोतरा, बायतु एवं बाड़मेर के बिल बालोतरा में एवं पंचायत समिति सिवाना व सिणधरी के सिवाना में बनते हैं। सभी प्राथमिक विद्यालय (छात्रायें) के अध्यापकों के बिल बाड़मेर में बनते हैं। सभी बिलों को जिला परिषद कार्यालय, बाड़मेर के द्वारा पास किया जाता है।

(3) सभी बिलों को जिला मुख्यालय पर ही पास किया जाता है, परन्तु वेतन बिल आदि बनाने का कार्य क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है क्योंकि यह सुविधाजनक व्यवस्था है।

जोधपुर जिले में विद्युत कनेक्शन

71. **श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा)**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर जिले में 3 फरवरी, 1990 से 28 फरवरी, 1990 तक विद्युत के कितने कृषि कनेक्शन व कितने घरेलू कनेक्शन दिये गये है ? उपखण्ड व गांववार उपभोक्ता के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले में कितने खम्भे खड़े किये गये व कितने किलोमीटर तार खींचे गये ? उप-खण्ड व गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आसोप गांव में कबीर भवन पर घरेलू कनेक्शन की एक कि मी. लाइन खीची है ? यदि हां, तो किसने कब स्वीकृति जारी की ? यदि नहीं, तो किसने कार्य करवाया ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में 3 फरवरी, 1990 से 28 फरवरी, 1990 तक 31 कृषि कनेक्शन व 592 घरेलू कनेक्शन दिये गये हैं। उपखण्ड वार, ग्रामवार उपभोक्ताओं के नाम सहित सूची परिशिष्ट "अ" व "अ-1" में संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में जोधपुर जिले में 621 खंभे खड़े किये व 69.106 कि. मी. एल. टी. व 11 के. वी. लाइन के तार खींचे गये। उपखण्ड वार ग्रामवार सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) जी नहीं, आसोप ग्राम में कबीर भवन में घरेलू कनेक्शन हेतु एक कि. मी. की लाइन नहीं खेंची गई है, लेकिन श्री हरिबाबा स्वामी, सूरदास कबीर दास, आशाराम, लक्ष्मणराम जी संत व श्री नैनाराम 5 अघरेलू कनेक्शन देने के लिये ग्रुप स्कीम के तहत 0.8 कि. मी. लाइन खेंची जा रही है जिसकी अनुमानित लागत 23,908/- रुपये है। इस लाइन की स्वीकृति सहायक अभियन्ता द्वारा दी गई थी जिसके लिये वह स्वयं सक्षम अधिकारी है। लाइन की स्वीकृति नियमानुसार ही की गई है। अतः इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगानगर जिले में किसान आन्दोलन से सम्बद्ध मुकदमें

72. श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): क्या मुख्य (गृह) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत राज्य सरकार के समय श्री गंगानगर जिले के किसानों व अन्य पर आन्दोलनों के दौरान मुकदमें हुए हैं ? यदि हां, तो कितने किसानों पर तथा अन्य लोगों पर तथा कौन-कौन से किसान आन्दोलनों में ?

(2) क्या जिन किसानों पर मुकदमें हुए हैं उनको सरकार वापिस लेने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसानों तथा अन्य पर झूठे मुकदमें किये गये है तथा मारपीट कर प्रताड़ित किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। गत राज्य सरकार के समय में श्री गंगानगर जिले के किसानों व अन्य पर आन्दोलनों के दौरान 7 अपराध 63 किसानों के विरुद्ध पंजीबद्ध हुये हैं। यह अपराध वर्ष 1987 के किसान आन्दोलन से सम्बन्धित है।

(2) वर्तमान में सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है क्योंकि सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

नोहर साहवा लिफ्ट योजना

73. श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) एवं श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा गांधी नहर की नोहर साहवा लिफ्ट योजना के लिए वर्ष 1989-90 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और उक्त राशि में से इस वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की जा सकेगी ? यदि पूरी राशि व्यय नहीं हो पायेगी तो किस कारण ?

(2) इस लिफ्ट योजना में इस वित्तीय वर्ष में कितनी किलोमीटर नहर की खुदाई और कितने किलोमीटर नहर की चिनाई की योजना थी ? क्या ये लक्ष्य पूरे हो जावेंगे ?

(3) उक्त लिफ्ट योजना में चूरू जिले के कितने गांव सम्मिलित हैं तथा कुल कितने बीघा भूमि सिंचित होगी ? तहसीलवार गांवों एवं सम्बन्धित भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर की नोहर-साहवा लिफ्ट योजना के लिये वर्ष 1989-90 के लिये 400 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी, संशोधित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में रुपये 326 लाख की अनुमानित राशि का प्रावधान रखा गया है, जिसके व्यय होने की सम्भावना है। पूरी राशि व्यय नहीं होने का मूल कारण माह फरवरी, 1990 में इस क्षेत्र में लगातार असामयिक वर्षा होना है। ग्राम रामका स्थित भट्टों के ठेकेदार द्वारा निर्मित की गई कच्ची टाइलें नष्ट हो गई एवं पुनः इन भट्टों को चालू करने में लगभग 25 से 30 दिन लग गये जिससे लक्ष्य के अनुसार टाइलें प्राप्त नहीं हुई इसके फलस्वरूप लाइनिंग कार्यों व खुदाई के कार्यों में बाधा आई। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों के कारण कार्य काफी समय तक मंद रहा। माह जनवरी में नहर के बंद रहने से भी प्रगति पर प्रभाव पड़ा।

(2) इस वित्तीय वर्ष में साहवा लिफ्ट नहर पर 14.75 किलोमीटर लम्बाई में मिट्टी खुदाई का कार्य व 10 किलोमीटर लम्बाई में लाईनिंग का कार्य सम्पन्न करवाने का लक्ष्य था। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी और अब 3.25 किलोमीटर में खुदाई व 5 किलोमीटर में लाइनिंग का कार्य सम्पादित हो सकेगा।

(3) साहवा लिफ्ट योजना में चूरू जिले के 121 गांव सम्मिलित हैं तथा 40,235 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई प्रस्तावित है। तहसीलवार गांवों का विवरण प्रपत्र "क" पर संलग्न हैं। इस योजना के सर्वे का कार्य भारतीय सर्वे विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। और यह कार्य प्रगति पर है। सर्वे का कार्य पूरा होने के पश्चात् ही वास्तविक सिंचित भूमि का विवरण ज्ञात होगा।

प्रपत्र (क)

चूरू जिलों में लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची

जिला–चूरू

तहसील–तारानगर

1. बूचीवास
2. गाडास
3. भाटियों की ढाणी
4. बलिया
5. घना ढाणा
6. खरथवास
7. गडना
8. गाजवास
9. लूणास
10. भामरान
11. रेवासी
12. कैलास
13. किलीपरिया
14. बिलियोनवास
15. पिथाना
16. पुनरावास
17. गोगटिया बागवतान
18. गोगटिया कच्छावतान
19. गोदारवास
20. गोगटिया चारणां
21. ,, पाटा छंगोइ
22. तारानगर
23. जिथसाना
24. जिथासाना टिब्बा
25. जिथसाना ताल
26. सुखवासी
27. मिखोला
28. चंगोई
29. साहबा
30. भोभरिया
31. धीरवास बड़ा
32. बनियाला
33. छोटी डाबडी
34. डाबडी
35. भाडंग
36. भूरावास
37. भांभणी
38. नैठवा
39. दुलेरी
40. मेघसर
41. छोटा भाडसर
42. लुडनिया
43. भाडसर कांधलान
44. भणीन
45. हरीपुरा
46. टिब्बा भलाउ
47. टिब्बा पंडरेऊ
48. ताल भलाऊ
49. गसाला ताल
50. बनड़ा

51. जोधरा
52. बाय
53. कालवास
54. सेवसीसर
55. कोहीना
56. श्योपुरा
57. सरया
58. खारथवासिया
59. गसला टिब्बा
60. ताल पंढरेऊ
61. माडावास
62. धीरवास छोटा
63. रेयाटुण्डा
64. देवगढ़
65. करनपुरा

तहसील–सरदारशहर

1. बनियासर
2. तोलासर
3. रोलासर
4. मानापुरसर
5. दलूसर
6. कुसुमदेसर
7. जैतासर
8. जैतसीसर
9. रायपुरा
10. भऊ वाला
11. निमरासर
12. देवासर
13. अमरासर
14. पुनसीसर
15. सहजासर
16. मेहरासर उपाध्यान
17. धोताउठी
18. गुसाइयाली ढाणी

तहसील–राजगढ़

1. धोलिया
2. महलाना उवराध
3. महलाना दिखनाध
4. रोजनी
5. मिठडी
6. मिलकी
7. मुवाडा
8. घोधावास
9. छारवाला
10. कंलन
11. दांतली
12. बड़ी बिरगी
13. छोटी बिरगी
14. मालवास
15. देवत
16. गनाऊ
17. चानणा
18. चुनकिया
19. हासियावास
20. घोगाडिया

21. चुनकियागट	30. नलगाई
22. धांगडा	31. खुर्द
23. चैनपुरा बड़ा	32. नलगाई कलान
24. धना	33. डुमली
25. खयाली	34. देसरवास का ताल
26. नरवासी	35. चैनपुरा छोटा
27. मागला	36. कुसुम्बी
28. भासोर	37. कलकीवास
29. गगालसीसर	38. बास कंजन

बालोतरा में महाविद्यालय

74. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार ने बालोतरा कस्बे में एक महाविद्यालय प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो यह महाविद्यालय कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

(2) इसका क्या स्तर रहेगा और भवन तथा स्टाफ की क्या-क्या व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बालोतरा कस्बे में महाविद्यालय वर्ष 1990-91 में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) यह महाविद्यालय स्नातक स्तर का प्रस्तावित है। बालोतरा सेवा समिति, बालोतरा द्वारा भवन निर्मित कर देना प्रस्तावित है। अस्थाई व्यवस्था हेतु राजकीय भीमराज जैसमल गोलेच्छा माध्यमिक विद्यालय, बालोतरा के भवन में महाविद्यालय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। स्टाफ की व्यवस्था नगरपालिका, बालोतरा द्वारा दो वर्ष का संचालन व्यय राज्य कोष में जमा कराने के उपरान्त ही की जा सकेगी।

आदिवासियों को बंदूकों के लाइसेन्स

75. श्री गमीर लाल मीणा (सराड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में कितने आदिवासियों के पास लाइसेन्स शुदा बन्दूकें हैं ? इनमें से कितने लोगों के लाइसेन्स का रिन्युअल किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1989 में व सन् 1990 तक लाइसेन्स रिन्युअल नहीं होने पर पुलिस ने पूर्व अवधि तक लाइसेन्स युक्त बन्दूकों को जब्त कर लिया ? यदि हां, तो किस-किस की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह कार्यवाही राज्य सरकार

(श्री गमीर लाल मीणा)

के आदेश के मुताबिक की गयी अथवा पुलिस ने लोगों को तंग करने अथवा अन्य कारणों से ऐसा किया ? यदि पुलिस ने नियम या आदेश विरुद्ध कार्यवाही की है तो दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है और कब तक ?

उत्तर

(1) सराड़ा विधान सभा क्षेत्र में 743 आदिवासियों के पास लाइसेन्स शुदा बन्दूकें है। इनमें से 473 व्यक्तियों के अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण किया गया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1989 में मात्र दो व्यक्तियों श्री नाथा पुत्र वेला मीणा व श्री केरिंग पुत्र नाथू मीणा की बन्दूकों को जब्त किया गया।

(3) जी हां। अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण न कराने पर आयुध नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश थे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्रामीण विद्युतिकरण

76. श्री जियालाल बंशीवाल (दौसा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कितने गांवों को अब तक विद्युतीकृत किया जा चुका है तथा कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सम्पूर्ण ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में माह फरवरी, 1990 के अन्त तक 26498 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 10626 ग्रामों का विद्युतीकरण करना शेष है। जिलेवार संख्या सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित वित्त एवं 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत घोषित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप ही वर्षवार ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाता है। अतः सम्पूर्ण ग्रामों के विद्युतीकरण की निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

सूची "अ"

राज्य में माह फरवरी, 90 तक विद्युतीकृत ग्रामों
तथा शेष अविद्युतीकृत ग्रामों की जिलेवार संख्या सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	माह मार्च, 89 तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	वर्ष 1989-90 के दौरान माह फरवरी, 90 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	फरवरी 90 तक कुल विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	फरवरी 90 के अन्त पश्चात् शेष अविद्युतीकृत ग्रामों संख्या
1	2	3	4	5	6
1-	अजमेर	733	67	800	139
2-	अलवर	1563	62	1625	322
3-	बांसवाड़ा	867	50	917	546
4-	बाडमेर	526	40	566	298
5-	भरतपुर	961	55	1016	426
6-	भीलवाड़ा	1428	54	1482	87
7-	बीकानेर	478	17	455	178
8-	बून्दी	606	37	643	155
9-	चित्तौड़गढ़	1539	115	1654	706
10-	चूरू	581	52	633	267
11-	धौलपुर	326	13	339	214
12-	डूंगरपुर	585	46	631	206
13-	जयपुर	2227	74	2301	509
14-	जैसलमेर	90	7	97	418
15-	जालौर	541	11	552	60
16-	झालावाड़	854	101	955	634

1	2	3	4	5	6
17-	झुन्झुनूं	666	10	676	16
18-	जोधपुर	645	24	669	37
19-	कोटा	1428	108	1536	544
20-	नागौर	1017	32	1049	200
21-	पाली	805	13	818	18
22-	सवाई माधोपुर	1214	65	1279	378
23-	सीकर	837	–	837	–
24-	सिरोही	446	–	446	–
25-	श्रीगंगानगर	1383	153	1536	2980
26-	टौंक	611	80	691	398
27-	उदयपुर	2058	197	2255	890
योग		25015	1483	26498	10626

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 की सूची

जालोर जिले के अधीन जिन स्थानों पर डायरेक्ट फीडर से पी. एच. ई. डी. विभाग को कनेक्शन दिये गये उनकी सूची

(अ) जालोर खण्ड

क्र.सं.	उपखण्ड का नाम		स्थान
1.	(प. व. स.) जालोर	1.	जालोर
		2.	भागली
		3.	गोधन
		4.	ऊन
		5.	लेटा
		6.	धावला
		7.	मीठडी
		8.	पानवा
2.	(ग्रा. वि. नि.) जालोर	9.	ओडवाडा
		10.	रेवत
		11.	सरत
		12.	चरा
		13.	डेलदरी
		14.	आकोली
		15.	सान्तु
		16.	रायपुरिया
		17.	मेटाला
3.	(ग्रा. वि. नि.) आहोर	18.	सेदरिया बालोतान
		19.	बेदाना
		20.	मादडी
		21.	सनवाडा

		22.	रामा
		23.	संखवाली
		24.	उम्मदपुर
		25.	थावला
		26.	कवराडा
		27.	गुडावालोतन
4.	(ग्रा. वि. नि.) सायला	28.	पहाडपुरा
		29.	खानपुर
		30.	तीखी
		31.	माण्डवला
		32.	बालवाडा
		33.	केशवाना
		34.	रेवतडा
		35.	उम्मेदाबाद
		36.	सायला
		37.	बावतरा
		38.	चोराऊ
		39.	पोसाना
		40.	मेगलवा
		41.	जीवाना
		42.	डेटा गोलिया
		43.	सुराना
		44.	तिलोडा
		45.	दादल
5.	(प. व स.) जालौर	1.	जालौर-पहाडपुरा-तीखी
		2.	गोदन-ओडवाडी
		3.	गोदन लेटा-धावला
6.	(ग्रा. वि. नि.) जालौर	4.	जालौर-रेवत
		5.	चूरा-शरना
		6.	चूरा-डेनदरी

		7. बागरा–आकोली
		8. बागरा–सान्तु
		9. सियाना–रायपुरिया
		10. सियाना-भेटाला
7.	(ग्रा. वि. नि.) आहौर	11. उम्मेदपुर–बेदाना
		12. गुडा बालोतान–मादडी
		13. आहौर–निवाडा
		14. भादराजून–रामा
		15. अजीतपुरा–संखवाली
		16, उम्मेदपुर
		17. गुडा बालोतान–थावना
		18. चांदराई–कवराडा
		19. गुडा बालोतान
8.	(ग्रा. वि. नि.) सायला	20. माण्डवला–बालवाडी
		21. केशायतन–रेवतडा
		22. केशाना–उम्मेदाबाद
		23. सायना–चौराऊ
		24. पोषाणा–जालान
		25. पोषाणा–सुराणा–तिलोडा
		26. बागोडा–दादल–धुमिडिया

(ब) भीनमाल खण्ड

क्र.सं.	उपखण्ड का नाम	स्थान
1.	भीनमाल	1. धुमडिया
		2. बागोडा
		3. राऊसा
		4. मोरसीन
		5. मीनमरल
		6. धनवाडा

		7.	निम्बावास
		8.	पुनासा
		9.	फागोतरा
		10.	भालनी
		11.	गावडी
		12.	दासप्पा
		13.	भागल सेप्टा
2.	सांचौर	14.	लेदरमेर
		15.	सांचौर
		16.	लोलासन
		17.	सालू
		18.	केरवी की धानी
		19.	मांडा की धानी
		20.	सांकड
		21.	गुंडाऊ
		22.	सुरावा
		23.	भादरुणं
		24.	हरियाली
		25.	चौरा
		26.	मालवाडा
		27.	परावा
		28.	आकोला
		29.	देवडा
		30.	केरीया
		31.	बिरावा
		32.	अगरवा
		33.	दूथवा
3.	रामसीन	34.	माडोली
		35.	लूर
		36.	जसवंतपुरा

		37.	शेरना
		38.	धानसा
		39.	सावीदर
4.	रानरवाडा ——— रानीवाड़ा	40.	देवपुरा
5.	भीनमाल	1.	धूमडिया–बागोडा–रांवता–मारसीन–देवडा गोलिया
		2.	निम्बोर्डा–निम्बावास
		3.	पुनासा–मालनी
		4.	दासप्पा–भागल–सेप्टा
6.	रानीवाड़ा	5.	रानीवा–देवपुरा
7.	सांचोर	6.	सांचोर–साखुपुरा
		7.	सरनाऊ–साकड–गुडाऊ–सुराया
		8.	भादरना–देवडी–हरियाली–पारवा
		9.	रामजीकागोल–केरवा–अगरका दथवा
8.	रामसीन	10.	रामसीन–माण्डोली
		11.	भरुडी–लूर
		12.	जसवंतपुरा
		13.	शेरना–धनसा
		14.	भीनमाल–सावीदर

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 की सूची

भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1989–90 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम जहां विद्यालय क्रमोन्नत हुआ	पंचायत समिति का नाम	1981 की जनगणना के अनुसार गांवों की जनसंख्या
1	2	3	4
1–	तस्वारिया	जहाजपुर	1999
2–	घोड़	"	1017
3–	महेन्द्रगढ़	सहाड़ा	2317
4–	कोट	रायपुर	1293
5–	सिगोली	मांडलगढ़	1708
6–	लाडपुरा	"	1853
7–	पनोतिया	शाहपुरा	1109
8–	रहड़	"	1654
9–	लेबर कॉलोनी	भीलवाड़ा (शहर)	122625
10–	भादसी	आसीन्द	1281
11–	आकड़सादा	"	2287
12–	पड़ासोली	"	2746
13–	सरदारनगर	बनेड़ा	2470
14–	महुआखुर्द	"	2280
15–	सोंडार	हुरड़ा	1090
16–	रासेड	कोटड़ी	1831
17–	निम्बाहेड़ा जाटान	मांडल	1688
18–	दरीबा	सवाणा	676
19–	आमली	सुवाणा	1545
20–	सठेपा	कोटड़ी	1059
21–	आशाहोली	रायपुर	2069

1	2	3	4
22-	सोजावास	सहाड़ा	1547
23-	अरणिबावास	शाहपुरा	1556
24-	ककरोलिया घाटी	कोटड़ी	1382
25-	गोरखीया	मांडल	2434
26-	कोदूकोटा	सुवाणा	2751
27-	देवरिया	शाहपुरा	1230
28-	लाछड़ा	आसीन्द	2894
29-	आसोप	कोटड़ी	975
30-	अमरगढ़	जहाजपुर	1494
31-	खाखला	सहाड़ा	2655
32-	नाथड़ियास	रायपुर	1470
33-	सरगांव	सहाड़ा	1538
34-	सोनियाणा	सहाड़ा	1821
35-	मानपुरा	मांडलगढ़	2949
36-	गाडोल	जहाजपुर	1629
37-	पडेर (कन्या)	जहाजपुर	5372
38-	बड़लियास (कन्या)	कोटड़ी	3597
39-	बागोर (कन्या)	मांडल	7136
40-	मंगरोप (कन्या)	सुवाणा	5214
41-	रायला (कन्या)	बनेड़ा	4549

द्वितीय बैठक

दिनांक 26-3-90

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] नवम् विधान सभा के प्रथम सत्र का बारहवां दिवस [संख्या : 9

(द्वितीय बैठक)

सोमवार,

दिनांक 26 मार्च, 1990

राजस्थान विधान सभा की बैठक म. प. 4.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी राज्य के वित्तीय विवरण आय-व्ययक 1990-91 का उपस्थापन करेंगे।

वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), 1990-91

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : महोदय, मैं वर्ष 1990-91 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा-पटल पर रख रहा हूं।

2. वर्ष 1989-90 के बजट अनुमानों में 75.81 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा और पूंजी खाते तथा लोक खाते के लेन-देनों सहित कुल मिलाकर 48.80 करोड़ रुपये का अधिशेष अनुमानित था, साथ ही राज्य कर्मचारियों के साथ हुए समझौते के कारण कर्मचारियों के वेतन व भत्तों की वृद्धि को सम्मिलित करते हुए तथा संशोधित अनुमान 1988-89 के अनुसार वर्ष के अन्त में रहे 148.66 करोड़ रुपये के घाटे को जोड़ने पर, गत वर्ष के बजट भाषण में वर्ष 1989-90 के अन्त तक सम्भावित घाटा 203.86 करोड़ रुपये का आंका गया था।

3. वर्ष 1988-89 के अन्त में 158.66 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 67.89 करोड़ रुपये का ही घाटा आया है। संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1989-90 के दौरान 90.08 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा रहने की सम्भावना है और कुल मिलाकर 2.86 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। इसमें वर्ष के प्रारम्भिक घाटे की 67.89 करोड़ रुपये की राशि जोड़ने पर, वर्ष 1989-90 के अन्त में कुल घाटा 70.75 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

4. वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों में 132.56 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा और कुल मिलाकर 29.76 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। वर्ष 1989-90 के अन्तिम घाटे को इसमें जोड़ने के पश्चात्, यह घाटा 100.51 करोड़ रुपये हो जावेगा। इस घाटे की पूर्ति करने के लिये राज्य की वित्तीय स्थिति की विस्तृत समीक्षा करके राज्य सरकार कुछ समय पश्चात् परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत करेगी।

5. योजना आयोग से राज्य की वार्षिक योजना 1990-91 पर अभी अन्तिम विचार विमर्श नहीं हुआ है अतः उपलब्ध साधनों को दृष्टिगत रखते हुए, हमारी

(121)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्राथमिकताओं के अनुरूप एवं जन आकांक्षाओं के अनुकूल परिवर्तित बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते समय योजना व्यय को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

6. राज्य सरकार ऐसे कृषकों, कारीगरों एवं दस्तकारों जिन्होंने राज्य के सहकारी बैंकों से 2 अक्टूबर, 1989 के पूर्व 10,000 रुपये तक के ऋण लिये हों तथा जो "विलफुल डिफाल्टर" नहीं रहे हों, के ऋण माफ करने की योजना भारत सरकार से विचार–विमर्श कर लागू करेगी। इसके लिये वर्ष 1990–91 में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा। वर्ष 1990–91 की वार्षिक योजना को मूर्तरूप देते समय उपरोक्त का विशेष रूप से ध्यान रखा जावेगा।

7. जैसा कि अपेक्षित है, वर्ष 1990–91 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है और अन्य बजट-पत्रों के साथ साथ अनुदानों की मांगें भी सम्मानित सदस्यों को दी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल हम वित्तीय वर्ष 1990–91 के पहले चार महीनों के लिए ही "लेखानुदान" की मांग कर रहे हैं।

आंशिक लेखानुदान वर्ष 1990–91

श्री अध्यक्ष : आंशिक लेखानुदान वर्ष 1990–91 सम्बन्धित विवरण।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय–व्ययक), 1990-91 का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, वर्ष 1990–91 के लिये "लेखानुदान" (वोट आन अकाउन्ट्स) सम्बन्धित विवरण भी प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4.05 म. प. को कल मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 1990 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

शुद्धि - पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	58	32	टीक	टोंक
2.	186	27	विभान	विधान